शुक्रवार,
२१ मई, १९५४

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

छठा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

—:o:—

भाग १—प्रश्न और उत्तर

लोक सभा

विषय-सूची

अंक ३—२४ अप्रैल से २१ मई १९५४

पृष्ठ भाग

बुधवार, २८ अप्रैल, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर २८८३–२९२४

प्रश्नों के लिखित उत्तर २९२४–२९२८

बृहस्पतिवार, २९ अप्रैल, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर २९२९–२९६६

प्रश्नों के लिखित उत्तर २९६६–२९७२

शुक्रवार, ३० अप्रैल, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर २९७३–३०१८

प्रश्नों के लिखित उत्तर ३०१८–३०२४

सोमवार, ३ मई, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ३०२५–३०६४

प्रश्नों के लिखित उत्तर ३०६४–३०६८

मंगलवार, ४ मई, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ३०६९–३११५

प्रश्नों के लिखित उत्तर ३११५–३१२२

पृष्ठ भाग

बुधवार, ५ मई, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ३१२३–३१७३

प्रश्नों के लिखित उत्तर ३१७३–३१८२

बृहस्पतिवार, ६ मई, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ३१८३–३२१९

प्रश्नों के लिखित उत्तर ३२१९–३२२२

शुक्रवार, ७ मई, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ३२२३–३२६८

प्रश्नों के लिखित उत्तर ३२६८–३२८०

सोमवार, १० मई, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ३२८१–३३२३

प्रश्नों के लिखित उत्तर ३३२४–३३४०

मंगलवार, ११ मई, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ३३४१–३३८६

प्रश्नों के लिखित उत्तर ३३८६–३३९८

पृष्ठ भाग

बुधवार, १२ मई, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ३३९९–३४४६

प्रश्नों के लिखित उत्तर ३४४६–३४७०

बृहस्पतिवार, १३ मई, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ३४७१–३५१७

प्रश्नों के लिखित उत्तर ३५१७–३५४२

शुक्रवार, १४ मई, १९५४

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण ३५४३

प्रश्नों के मौखिक उत्तर–

तारांकित प्रश्न संख्या २४९१ से २४९५, २४९७ से २५०८, २५१० से २५११ और २५१३ से २५२१ ३५४३–३५९२

अल्पसूचना प्रश्न संख्या १३ ३५९२–३५९६

प्रश्नों के लिखित उत्तर–

तारांकित प्रश्न संख्या २४९६ से २५१२ और २५२२ से २५२६ ३५९७–३६०१

अतारांकित प्रश्न संख्या ५७७ से ५८९, ५९१ और ५९२ ३६०१–३६१०

बुधवार, १९ मई, १९५४

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण ३६११

प्रश्नों के मौखिक उत्तर–

अल्पसूचना प्रश्न संख्या १४ ३६११–३६१४

शुक्रवार, २१ मई, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर–

अल्पसूचना प्रश्न संख्या १५ से १७ ३६१५–३६२४

लोक सभा

शुक्रवार, २१ मई, १९५४

लोक सभा सवा आठ बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अल्प सूचना प्रश्न तथा उत्तर

फ्रांसीसी वायु सेना के स्काईमास्टर विमान का डम डम पर उतरना

अ० सू० प्र० सं० १५. साधन गुप्त : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या १२ मई, १९५४ को मध्याह्नोत्तरांत फ्रांसीसी वायुसेना का एक स्काईमास्टर विमान डम डम पर उतरा था जिसमें फ्रांसीसी सशस्त्र सैनिक थे और वह विमान १३ मई, १९५४ को बहुत सवेरे उन्हीं सैनिकों को लेकर हिन्द चीन को चला गया ; तथा

(ख) यदि ऐसा है, तो क्या इसने सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली थी ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) १२ मई को हिन्द चीन को जाने वाला फ्रांसीसी वायुसेना का कोई विमान डम डम पर नहीं उतरा था। सेगांव से आने वाला फ्रांसीसी वायु सेना का एक

स्काईमास्टर डम डम पर दोपहर को १·५४ पर आया था और १३ मई को सबेरे ८·५९ पर पेरिस के लिये चल पड़ा। इस विमान में चालकगण के अतिरिक्त, ३१ यात्री थे जिनमें दो स्त्रियां तथा चार बच्चे तथा कुछ घायल व्यक्ति थे।

(ख) उपरोक्त विमान को वायुसेना प्रधान कार्यालय द्वारा उड़ान की अनुमति दे दी गई थी।

श्री साधन गुप्त : क्या यह विमान असैनिक विमान था या यह फ्रांसीसी वायु सेना का विमान था ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जैसा कि मैंने अभी कहा यह फ्रांसीसी वायुसेना का विमान था।

श्री साधन गुप्त : क्या सरकार की यह नीति है कि फ्रांसीसी वायुसेना के विमानों को हमारे हवाई अड्डों पर उतरने की अनुमति दी जाय जिसके परिणाम स्वरूप स्पष्टतः उसकी सेनाओं को हिन्द चीन से आने में या हिन्द चीन ले जाने में सहायता मिलेगी ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : इस मामले के सम्बन्ध में विभिन्न देशों के साथ अभिसमय तथा समझौते किये गये थे और हमें उन समझौतों तथा अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय के अनुसार कार्य करना पड़ता है—इनमें

समय समय पर परिवर्तन किया जा सकता है। सर्वप्रथम, हमारा सामान्य नियम यह है कि भारत से होकर अस्त्र शस्त्र तथा सशस्त्र सैनिक न ले जाये जायें ; दूसरे, यदि कोई विमान आता है तो सामान्य रूप से वायुसेना प्रधान कार्यालय उस पर विचार करता है तथा इसकी सूचना मुझे या किसी अन्य व्यक्ति को दिये जाने के बाद इसको अनुमति दी जा सकती है या उसे नहीं दी जा सकती है। किन्तु यदि एक से अधिक विमान आता है तो यह भिन्न मामला है। निस्सन्देह उस एक विमान में भी सशस्त्र सैनिक या सैनिक सामग्री नहीं होनी चाहिये। यही साधारण नियम है।

श्री साधन गुप्त : चूंकि इस विमान विशेष में सशस्त्र सैनिक थे, क्या भारत सरकार इस सम्बन्ध में कार्यवाही करेगी कि सशस्त्र सैनिक ले जाने वाले विमान को हमारे हवाई अड्डों में उतरने की अनुमति न दी जाय और उससे वह उपनिवेश युद्ध के प्रयोजन के लिये उन का प्रयोग न कर सकें

श्री जवाहरलाल नेहरू : क्या सशस्त्र सैनिकों से विमान चालकगण या यात्रियों का निर्देश कर रहे हैं ?

श्री साधन गुप्त : मुझे मालूम हुआ है कि उस में कुछ सशस्त्र सैनिक यात्री भी थे।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मेरी सूचना के अनुसार कुछ स्त्रियों तथा बच्चों के अतिरिक्त, उसमें कुछ घायल व्यक्ति भी थे और उन्हें ही सशस्त्र सैनिक कहा जा सकता है, और जैसा कि माननीय सदस्य को मालूम है वे लोग पश्चिम की ओर फ्रांस को वापस जा रहे थे। हम घायल व्यक्तियों के वापिस ले जाये जाने में बाधा नहीं डालना चाहते। फ्रांसीसी वायुसेना के इस वायुयान के भारत से होकर जाने के मामले में, जैसा कि मैं ने कहा, हमें समझौतों के अनुसार कार्य करना पड़ता है--हमारी वायुसेना के विमान भी फ्रांस में होकर उड़ते हैं ; और वे उनमें सदा ही सैनिकों को नहीं ले जाते, किन्तु वे नियमित रूप से वहां होकर जाते हैं और समय समय पर उनका एक विमान उड़ सकता है किन्तु बहुत से विमानों के उड़ने का तो प्रश्न ही नहीं है। यह माना जा सकता है कि इधर होकर दो या तीन व्यक्ति जा सकते हैं किन्तु यह नितान्त असम्भव है कि बहुत से व्यक्ति वहां होकर जा सकें।

श्री साधन गुप्त : क्या विमान के उतरने पर उसका निरीक्षण यह देखने के लिये किया जाता है कि उसमें सशस्त्र सैनिक तो नहीं हैं या उस विमान में कोई शस्त्र तो नहीं ले जाये जा रहे ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : इस अभिप्राय से सीमा शुल्क विभाग सदा उन का निरीक्षण करता है।

श्री आर० के० चौधरी : क्या इस विशेष मामले में वायुसेना प्रधान कार्यालय ने सब तथ्यों को, जिन्हें प्रधान मंत्री ने अभी बताया है, पूर्ण रूप से जानते हुए इस विमान के उतरने की अनमति दी थी ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं ने पहिले ही बता दिया है कि वायुसेना प्रधान कार्यालय ने अनुमति दी थी । स्वष्टत: उसको सभी तथ्यों का पता नहीं था। उसको केवल वही मालूम था जो उसे अनुमति मांगते समय बताया गया था। विमान आने के बाद जब उसके अधिकारियों ने उसे देखा, तभी उसके बारे में वे और अधिक बातें कह सकते थे ।

१५ मई, १९५४ को साऊथ ब्लाक में आग लगना

अ० सू० प्र० सं० १६. श्री अजित सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सचिवालय, नई दिल्ली, के कुछ कमरों में, जिनमें रक्षा मंत्रालय के कुछ कार्यालय हैं, १५ मई, १९५४ को सवेरे आग लग गई थी ;

(ख) यदि ऐसा है तो कोई कागज नष्ट हो गये थे;

(ग) आग लगने का कारण क्या था; तथा

(घ) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) जी हां, एक कमरे में आग लगी थी ।

(ख) आग लगने के परिणामस्वरूप कुछ कागज नष्ट हो गए थे किन्तु उनके स्थान पर अन्य कागजों से बिना किसी कठिनाई के काम लिया जा सकता है ।

(ग) घटना स्थल पर उपस्थित एक दर्शक के अनुसार आग लगने का कारण यह था कि जब बिजली जलाई गई तो बिजली के तारों में शार्ट सर्किट के कारण आग लग गई ।

(घ) उस घटना की जांच करने के लिए एक जांच समिति नियुक्त की गई है ।

श्री अजित सिंह : यह आग किस समय लगी थी, फायरब्रिगेड को कब बुलाया गया था, यह उस स्थान पर कब पहुंचा था और आग कब बुझाई गई थी ?

श्री सतीश चन्द्र : आग ९·३० बजे लगी, फायरब्रिगेड को ९·३१ पर बुलाया गया, यह ९·४० पर आया, आग पर ९·५५ तक काबू पा लिया गया और १०·३० तक पूरी तरह से बुझा दी गई ।

श्री अजित सिंह : सरकारी इमारत प्रतिष्ठापन तथा फर्नीचर को कितनी हानि हुई ?

श्री सतीश चन्द्र : कमरे की दीवारों आदि को कुछ थोड़ा सा नुकसान हुआ जिन पर फिर प्लास्टर आदि करवाना पड़ेगा, किन्तु फर्नीचर तथा अन्य सामान का निर्धारण जांच समिति कर रही है, जो एक या दो दिन में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी ।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या यह सच है कि वहां पर विद्युत यन्त्र से काम हो रहा था जिसके कारण बिजली से आग लग गई ।

श्री सतीश चन्द्र : उस कमरे में कोई यन्त्र नहीं है । उस कमरे में नक्शे हैं । नक्शों के ऊपर लाइट्स लगी हुई

थी। उनमें से जब एक लाइट जलाई गयी तो उसमें शार्ट सरकिट की वजह से जो स्पार्क निकला उससे नक्शों ने आग पकड़ ली और वह बढ़ गई।

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): नक्शों के ऊपर एक चीज़ सिलूलाइड के किस्म की लगी रहती है जो कि उन की हिफाजत रखती है। उनमें बहुत जल्दी आग लग जाती है। इस लिए एक चिनगारी से उसमें आग लग गई और चूंकि वह कमरा नक्शों का था वह सारा सिलूलाइड वगैरह जल गया और आग तेजी से बढ़ गई।

आपने जवाब तो सुन ही लिया है लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं। मैं अपनी तरफ से यहां की फायर ब्रिगेड की तारीफ करना चाहता हूं कि वह पांच छः मिनट के अन्दर पहुंच गए।

श्री डी० सी० शर्मा: क्या इस बात का ध्यान रखने के लिए उपाय किए जाएंगे कि इस प्रकार भविष्य में आग न लग सके ?

महालक्ष्मी शुगर मिल्स, हमीरा

अ० सू० प्र० सं० १७. सरदार हुक्म सिंह : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या महालक्ष्मी शुगर मिल्स हमीरा, (पेप्सू) वहां से हटा कर इकबालपुर (यू० पी०) में स्थापित कर दी गई है या उसे हटा कर स्थापित किया जा रहा है।

(ख) क्या ऐसा करने की अनुमति देने से पूर्व पंजाब तथा पेप्सू की राज्य सरकारों से परामर्श लिया गया था और यदि ऐसा है तो क्या वे इस बात को मान गई थीं ;

(ग) क्या कपूर्थला में किसी ने मृत्यु पर्यन्त का अनशन किया है ; तथा

(घ) क्या सरकार ने उन प्रभावों पर विचार किया है जो इस अनुमति के दिए जाने के कारण उस क्षेत्र की अर्थ-व्यवस्था पर पड़ेंगे ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) जी हां।

(ख) जी हां। वे इस बात के पक्ष में नहीं थीं कि यह वहां से हटाई जाय।

(ग) कोई निश्चित सूचना उपलब्ध नहीं है। इस बात के बारे में राज्य सरकार से जानकारी मांगी जा रही है।

(घ) जी हां।

सरदार हुक्म सिंह : जब पंजाब तथा पेप्सू दोनों राज्य सरकारों ने इसका विरोध किया था तो किन कारणों से अनुमति दी गई थी ?

डा० पी० एस० देशमुख : इस बात की कोई उचित सम्भावना नहीं थी कि फैक्टरी को गन्ना अपेक्षित मात्रा में मिल सकेगा।

सरदार हुक्म सिंह : क्या सरकार ने इस बात का पता लगाया कि १९५१-५२ में इस फैक्टरी को पेरने के लिए ५६ लाख टन गन्ना मिला था जबकि इस मिल की सामान्य उत्पादन क्षमता केवल ५० लाख थी ?

डा० पी० एस० दशमुख : जी नहीं, मै समझता हूं कि माननीय सदस्य के आंकड़े ठीक नहीं ह मेरे पास यह सब आंकड़े हैं । फैक्टरी की दैनिक सामान्य उत्पादन क्षमता १,८०० है ; यदि हम पेरी गई वास्तविक मात्रा पर विचार करें तो किसी भी समय यह १,४०० से अधिक नहीं बढ़ी थी ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या सरकार को मालूम है कि लाला ईश्वर दास ने जो कि इस मिल के स्वामी हैं, अब भी सरकार को अपने पत्र द्वारा इस बात का आश्वासन दिया है कि इकबालपुर में भी इस मिल की वार्षिक उत्पादन क्षमता ५० लाख मन है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मूझे इस की पूर्व-सूचना चाहिए ।

Chamber Fumigated 18/1/73

शुक्रवार,
२१ मई, १९५४

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha

संसदीय वाद-विवाद

Preservation Unit
1-4-92
Fumigated
Parliament Library

लोक-सभा

छठा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

अंक ५, १९५४

(५ मई से २१ मई, १९५४)

षष्ठ सत्र

१९५४

विषय-सूची

(अंक ५--५ मई से २१ मई, १९५४)

बुधवार, ५ मई, १९५४

	पृष्ठ भाग
सदन पटल पर रखे गये पत्र---	
आय नियम, १९५४	४६४९
विभिन्न आश्वासनों इत्यादि के सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को बताने वाला विवरण	४६४९—४६५२
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--- आठवें प्रतिवेदन का उपस्थापन	४६५२
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान दिलाना---चनपतिया तथा बेतिया के बीच रेल गाड़ी का पटरी से उतर जाना	४६५२—४६५५
सदस्य की दोष सिद्धि	४६५५—४६५६
दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--- संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव---असमाप्त	४६५६—४७१०

बृहस्पतिवार, ६ मई, १९५४

सदन पटल पर रखे गये पत्र---	
वित्त विधेयक पर हुये विवाद के दौरान में सदस्यों द्वारा पूछे गये कई प्रश्नों के सम्बन्ध में टिप्पणियां	४७११—४७१६
तारांकित प्रश्न के उत्तर की शुद्धि	४७१६—४७१७
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान आकर्षित किया जाना--- कोलम्बो में हुए एशियाई प्रधान मंत्री सम्मेलन में मोरक्को, ट्यूनीशिया, फिलिस्तीन और इसराईल के सम्बन्ध में भारत के प्रधान मंत्री द्वारा व्यक्त किये गये विचारों के विषय में समाचार पत्रों की रिपोर्ट	४७१७—४७१९
दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--- संयुक्त समिति को सौंपने तथा जनमत के लिये परिचालित करने का प्रस्ताव तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता को संशोधित करने वाला श्री एस० वी० रामस्वामी द्वारा प्रस्तुत विधेयक प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव--- असमाप्त	४७१९—४७७६

शुक्रवार, ७ मई, १९५४

संसद सदस्य श्री बी० एल० तुडू का देहावसान	

राज्य परिषद् से सन्देश ४७७७

बाल विधेयक--परिषद् द्वारा पारित रूप में सदन पटल पर रखा गया ४७७८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान आकर्षित करना--इस्पात के नये कारखाने की स्थापना का स्थान ४७७८--४७८०

सदन पटल पर रखे गये पत्र--

निष्क्रान्त सम्पत्ति के प्रश्न पर पाकिस्तान से हुई बातचीत के सम्बन्ध में विवरण ४७८०--४७८१

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--संयुक्त समिति को सौंपने तथा परिचालित करने का प्रस्ताव--असमाप्त ४७८१--४८१०

शनिवार, ८ मई, १९५४

आश्वासन समिति--

प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन ४८११

हिमाचल प्रदेश तथा विलासपुर (नया राज्य) विधेयक--याचनाओं का उपस्थापन ४८११--४८१२

सदन पटल पर रखे गये पत्र--

चन्द्रनगर जांच आयोग की सिफारिशों के बारे में भारत सरकार के निर्णय ४८१२

संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्ते सम्बन्धी विधेयक--पुरःस्थापित ४८१२--४८१३

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--संयुक्त समिति को सौंपा गया ४८१३--४८४४

हिमाचल प्रदेश तथा विलासपुर (नया राज्य) विधेयक--संशोधित रूप में पारित ४८४४--४८७५

शिलांग (राइफल रेंज तथा उमलांग) छावनियां विधि आत्मसातकरण विधेयक--संशोधित रूप में पारित ४८७५--४८७७

रबड़ (उत्पादन तथा विक्रय) संशोधन विधेयक--प्रवर समिति को सौंपने और परिचालित करने के प्रस्ताव--असमाप्त ४८७७--४९०६

सोमवार, १० मई, १९५४

लोक महत्व के विषय पर ध्यान दिलाना--सिंगरैनी कोयला खान, कोथागुडियम, हैदराबाद में दुर्घटना ४९०७--४९१०

समितियों के लिये चुनाव--

प्राक्कलन समिति ४९१०

लोक लेखा समिति ४९१०--४९११

लोक लेखा समिति में राज्यपरिषद् के सदस्यों का रखा जाना ४९११--४९१२

भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक--पुरःस्थापित ४९१२

रबड़ (उत्पादन तथा विक्रय) संशोधन विधेयक—प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव—स्वीकृत ४९१२—४९२५

हिन्दू विवाह तथा विवाह-विच्छेद विधेयक—संयुक्त समिति को सौंपने के विषय में राजयपरिषद् की सिफारिश से सहमति के लिये के प्रस्ताव—असमाप्त ४९२५—४९४८

शान्ति के कामों के लिये अणुशक्ति का प्रयोग ४९४८—४९८२

मंगलवार, ११ मई, १९५४

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

दिल्ली राज्य बिजली बोर्ड का १९५३-५४ का पुनरीक्षित प्राक्कलन और १९५४-५५ का आय व्ययक प्राक्कलन, और १९५४—५५ के आय व्ययक प्राक्कलनों के सम्बन्ध में व्याख्यात्मक टिप्पणी ४९८३

तारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि ४९८३—४९८४

सदन का कार्य—

भाषणों के लिये समय सीमा ४९८४—४९८५

हिन्दू विवाह तथा विवाह-विच्छेद विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने के विषय में राज्य परिषद की सिफारिश से सहमति के लिये प्रस्ताव—असमाप्त ४९८५—५०४४

बुधवार, १२ मई, १९५४

विशेषाधिकार प्रश्न ५०४५—५०५०

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

प्रशिक्षण तथा नियोजन सेवा संगठन समिति की रिपोर्ट ५०५०

राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणन जांच समिति की रिपोर्ट ५०५०

अनुदान की मांगों (रेलवे) के सम्बन्ध में विवरण ५०५०—५०५१

प्राक्कलन समिति—सातवीं रिपोर्ट का प्रस्तुत करना ५०५१

गैर सरकारी विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—नवीं रिपोर्ट का प्रस्तुत करना ५०५१

हिन्दू विवाह तथा विवाह-विच्छेद विधेयक—याचिकायें प्राप्त ५०५१—५०५२

रेलवे उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व को देय लाभांश की दर पर पुनर्विलोकन करने के लिये संसदीय समिति की नियुक्ति के बारे में प्रस्ताव—स्वीकृत ५०५२—५०५३

हिन्दू विवाह तथा विवाह-विच्छेद विधेयक—संयुक्त समिति को सौंपने के विषय में राज्य परिषद् की सिफारिश से सहमति के लिये प्रस्ताव—असमाप्त ५०५३—५१०८

राज्य परिषद से सन्देश ५१०८

विशेष विवाह विधेयक--परिषद् द्वारा पारित रूप में सदन पटल पर रखा गया ५११८

बृहस्पतिवार, १३ मई, १९५४

राज्य परिषद् से सन्देश ५११९—५१११

न्यनतम मजूरी (संशोधन) विधेयक--परिषद् द्वारा संशोधित रूप में सदन पटल पर रखा गया ५१११

पुस्तक प्रदाम (सार्वजनिक पुस्तकालय) विधेयक—परिषद् द्वारा संशोधित रूप में सदन पटल पर रखा गया ५१११

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) विधेयक—परिषद् द्वारा संशोधित रूप में सदन पटल पर रखा गया ५१११

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

सुदूर पूर्व के अंतर्राष्ट्रीय सैनिक न्यायाधिकरण के सदस्य के रूप में भारत सरकार द्वारा अपने अधिकारों तथा न्याय क्षेत्र के बारे में प्रेस विज्ञप्ति ५१११—५११२

अचल सम्पति अधिग्रह तथा अर्जन अधिनियम, १९५२ के अन्तर्गत अधिसूचना ५११७

भाग 'ग' राज्यों की सरकारें (संशोधन) विधेयक--याचिकायें उपस्थापित ५११७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान दिलाना--जापानी युद्ध अपराधियों के विषय में क्षमा-दान प्रबन्ध में पाकिस्तान का अविश्राम भारत के वैध उत्तराधिकारी के रूप में सम्मिलित किया जाना ५११२--५११७

विशेषाधिकार का प्रश्न ५११७—५१२३

निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन—चर्चा असमाप्त ५१२३—५१७६

काफी विक्रय विस्तार (संशोधन) विधेयक--वापस लिया गया ५१७६—५१७७

काफी विक्रय विस्तार (संशोधन) विधेयक--पुरःस्थापित ५१७७

हिन्दू विवाह तथा विवाह-विच्छेद विधेयक--

संयुक्त समिति को सौंपने के विषय में राज्य परिषद् की सिफारिश से सहमति के लिए प्रस्ताव--स्वीकृत ५१७७--५१९५

शुक्रवार, १४ मई, १९५४

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

१९५४-५५ के लिए अनुदानों की मांगों (रेलवे) के सम्बन्ध में सदस्यों से प्राप्त हुये कुछ ज्ञापनों के उत्तर देने वाले विवरण ५१९९

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, १९५४—याचिका उपस्थापित ५१९९—५२००

४ दिसम्बर, १९५३ को पूछे गये अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में शुद्धि ५२००

हाउस आफ पीपुल और पार्लियामेंट सेक्रेटेरियट का हिन्दी और अंग्रेजी में नामकरण ५२०१

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) विधेयक--पुरःस्थापित ५२०१—५२०२

संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्ते सम्बन्धी विधेयक—संशोधित रूप में पारित ५२०२--५२५३

निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के बारे में चर्चा ५२५३—५२६८

शनिवार, १५ मई, १९५४

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के सम्बन्ध में संकल्प—चर्चा असमाप्त ५२६९--५३५४

मंगलवार, १८ मई, १९५४

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण ५३५५

राज्य परिषद् से संदेश ५३५५—५३५७

औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक--परिषद् द्वारा पारित रूप में सदन पटल पर रखा गया ५३५७—५३५८

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त का वार्षिक प्रतिवेदन ५३५८

अल्प सूचना प्रश्न के उत्तर की शुद्धि ५३५८—५३५९

तारांकित प्रश्न के उत्तर की शुद्धि ५३५९

सहायक प्रादेशिक सेना विधेयक—पुरःस्थापित ५३५९—५३६०

अन्तर्राष्ट्रीय-स्थिति सम्बन्धी प्रस्ताव स्थानापन्न प्रस्ताव स्वीकृत ५३६०—५४०९

न्यूनतम मजूरी (संशोधन) विधेयक राज्य परिषद् द्वारा किया गया संशोधन स्वीकार किया गया ५४०९—५४१०

पुस्तक प्रदान (सार्वजनिक पुस्तकालय) विधेयक राज्य परिषद् द्वारा किया गया संशोधन स्वीकार किया गया ५४१०

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) विधेयक—राज्य परिषद् द्वारा किया गया संशोधन स्वीकार किया गया ५४११—५४१३

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) विधेयक—संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव स्वीकृत ५४१३—५४५१

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण ५४५२—५४५४

बुधवार, १९ मई, १९५४

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (असैनिक) १९५२—भाग १ ५४५५

१९५१-५२ के भारतीय रेलवेज के विनियोग लेखे, भाग १—पुनर्विलोकन ५४५५

१९५१-५२ के भारतीय रेलवेज के विनियोग लेखे, भाग २—विस्तृत विनियोग लेखे ५४५५

१९५१-५२ के भारतीय रेलवेज के अवरुद्ध लेखे (जिसमें वे पूंजी-विवरण भी सम्मिलित है, जिनमें ऋण लेखे भी दिये हुये हैं), आयव्यय विवरण पत्र तथा हानि लाभ लेखे ५४५६

१९५१–५२ के रेलवे की कोयला खदानों के आयव्ययक विवरण पत्र तथा कोयले आदि की कुल लागत के विवरण ५४५६
लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, रेलवेज़, १९५३ ५४५६
सामदायिक परियोजनाओं सम्बन्धी मूल्यांकन प्रतिवेदन ५४५७
चलचित्र जांच समिति की सिपारिशें ५४५७
अनुदानों की मांगों (रेलवे) सम्बन्धी ज्ञापनों के उत्तर ५४५७
विस्थापित व्यक्तियों की शिकायतों सम्बन्धी याचिकाएं ५४५७—५४५८
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान दिलाना—उड़ीसा में चावल का अतिरिक्त स्टाक ५४५८—५४६०
काफ़ी विक्रय विस्तार (संशोधन) विधेयक—प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव—स्वीकृत ५४६०—५५०१
विशेष विवाह विधेयक—विचारार्थ प्रस्ताव—असमाप्त ५५०१—५५४६

बृहस्पतिवार, २० मई, १९५४

सदन पटल पर रखे गये पत्र—
तारांकित प्रश्न संख्या ९३२ के एक अनुपूरक प्रश्न के दिये गये उत्तर को ठीक करने वाला वक्तव्य ५५४७—५५४८
सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—तृतीय प्रतिवेदन उपस्थापित ५५४८
विशेष विवाह विधेयक—विचारार्थ प्रस्ताव—परिषद् द्वारा पारित रूप में—असमाप्त ५५४८—५६१९
राज्य परिषद् से सन्देश ५६१९—५६२०

शुक्रवार, २१ मई, १९५४

सदन पटल पर रखे गये पत्र—
विभिन्न सत्रों में मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, प्रतिज्ञाओं तथा वचनों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही दर्शाने वाले विवरण ५६२१—५६२२
खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, १९४८ की धारा १० के अन्तर्गत अधिसूचनायें ५६२३
दामोदर घाटी निगम के विषय में राव समिति का प्रतिवेदन ५७१३
राव समिति के प्रतिवेदन पर सरकार के विनिश्चय ५७१४
प्राक्कलन समिति के पंचम प्रतिवेदन की सिपारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण ५७१४

प्राक्कलन समिति—आठवें तथा नवें प्रतिवेदनों का उपस्थापन ५६२३
याचिका समिति—तीसरे प्रतिवेदन का उपस्थापन ५६२३
अनुपस्थिति की अनुमति ५६२४
केन्द्रीय ट्रेक्टर संगठन के लिये ट्रेक्टर खरीदने सम्बन्धी वक्तव्य ५६२४—५६३३
भारतीय ढोर परिरक्षण विधेयक सम्बन्धी वक्तव्य ५६३३—५६४५
निष्क्रान्त सम्पत्ति व्यवस्था (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित ५६४५—५६४६
प्रादेशिक सेना (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित ५६४६
विशेष विवाह विधेयक—विचारार्थ—असमाप्त ५६४७—५७१२
राज्य परिषद् से सन्देश ५७१२

GIPD—HSD—918 LS—10-12-54—285

लोक सभा

शुक्रवार, २१ मई, १९५४

लोक-सभा सवा आठ बजे समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

८-२९ म० पू०

पटल पर रखे गये पत्र

सरकार द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों पर किये गये कार्यों सम्बन्धी विवरण

संसद-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिन्हा) : मैं सदन-पटल पर निम्नलिखित विवरण रखता हूं, जिन में विभिन्न सत्रों में मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, प्रतिज्ञाओं तथा वचनों पर सरकार द्वारा किये गये कार्य दिये हुए हैं और जो प्रत्येक के सामने दिखाये गये हैं :

(१) अनुपूरक विवरण संख्या १

लोक-सभा का छटा सत्र, १९५४।
[देखिये-परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या १]

(२) अनुपूरक विवरण संख्या ६

लोक-सभा का पांचवां सत्र, १९५३।
[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या २]

(३) अनुपूरक विवरण संख्या ११

लोक-सभा का चौथा सत्र, १९५३।
[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ३]

(४) अनुपूरक विवरण संख्या १६

लोक-सभा का तीसरा सत्र, १९५३।
[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ४]

(५) अनुपूरक विवरण संख्या १६

लोक-सभा का दूसरा सत्र, १९५२।
[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ५]

(६) अनुपूरक विवरण संख्या १७

लोक-सभा का पहिला सत्र, १९५२।
[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ६]

(७) अनुपूरक विवरण संख्या ८

अस्थायी संसद् का पांचवा सत्र, १९५२।
[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ७]

खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय): मैं खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, १९४८ की धारा १० के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं में से प्रत्येक की प्रतिलिपि सदन-पटल पर रखता हूं :—

(१) अधिसूचना सं० एम० आई० आई०—१५२(२३९) दिनांक, २८ दिसम्बर, १९५३। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये सं० एस०—१९४/५४]**

(२) अधिसूचना सं० एम० आई० आई०—१५२ (२७१)।५३,दिनांक ९ मार्च, १९५४। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये सं० एस०—१९५।५४]**

(३) अधिसूचना सं० एम० आई० आई०—१५९(१)।५४, दिनांक ९ अप्रैल, १९५४। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये सं० एस०—१९६।५४]**

प्राक्कलन समिति

आठवें तथा नवें प्रतिवेदनों का उपस्थापन

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : मैं निम्नलिखित प्रतिवेदन उपस्थित करता हूं :

(१) दामोदर घाटी निगम पर प्राक्कलन समिति का आठवां प्रतिवेदन; तथा

(२) प्रशासनिक, वित्तीय तथा अन्य सुधारों के सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति का नवां प्रतिवेदन ।

याचिका समिति

तीसरे प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री रघुरामैया (तेनालि) : मैं याचिका समिति का तीसरा प्रतिवेदन उपस्थित करता हूं ।

अनुपस्थिति की अनुमति

उपाध्यक्ष महोदय : सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति ने श्री चोखामून गोहेन, श्री श्याम नन्दन मिश्र, श्रीमती सुचेता कृपालानी, श्री देवी दत्त पन्त तथा श्री मजहरि महाता को सदन से अनुपस्थिति की अनुमति देने की तथा श्री शिवनारायण सिंह महापात्र तथा श्री बी० शिवाराव को बिना अनुमति की उपस्थिति को क्षमा करने की सिफारिश की है ।

[अनुमति दी गई] ।

मैं सदस्यों को यह भी बता दूं कि दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, १९५४ (समूह क तथा समूह ख) पर राज्य सरकारों की सम्मति प्राप्त हो गई है और उन दोनों प्रकाशनों की प्रतियां प्रकाशन काउंटर पर रखी हैं। माननीय सदस्य उन्हें वहां से ले सकते हैं।

केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन के लिये ट्रैक्टर खरीदने सम्बन्धी वक्तव्य

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : मैं केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन के सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति के सातवें प्रतिवेदन पर वक्तव्य देना चाहता हूं । इस सम्बन्ध में मुझ से एक अल्पसूचना प्रश्न स्वीकार करने के लिये कहा गया था किन्तु रिपोर्ट पर पूर्णरूप से विचार किये बिना सभी प्रश्नों का उत्तर देना असम्भव है ।

केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन की स्थिति समझने के लिये हमें संक्षेप में इस की १९४९ की स्थिति को देखना चाहिये । उस समय खाद्य समस्या गम्भीर रूप में थी। उस वर्ष ३८ लाख टन खाद्यान्न विदेशों से मंगाया गया था। उसी वर्ष हमने खाद्य के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का निश्चय किया था। खाद्यान्न नीति समिति ने यह सिफारिश की थी कि कृषि मंत्रालय कृषि योग्य बेकार पड़ी ८,५०,००,०००

एकड़ भूमि को कृषि योग्य बनाये । उस समिति ने ९० लाख एकड़ को कृषि योग्य बना कर ३० लाख टन अतिरिक्त खाद्यान्न पैदा करने का लक्ष्य निर्धारित किया था। उस समय सरकार ने यह निश्चय किया कि पांच वर्षों में २५ लाख एकड़ भूमि को कृषि योग्य बनाने की एक योजना के अनुसार कार्य किया जाये । मुख्य रूप से कांस वाली भूमि को साफ करने के उद्देश्य से केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन की स्थापना की गई ।

आरम्भ में १८० ट्रैक्टर खरीदने का निश्चय किया गया था । उस समय चार उपयुक्त प्रकार के ट्रैक्टर अर्थात् केटर पिलर डी ८, अलिस चामर्स एच० डी० १९, इंटरनेशनल हारवेस्टर टी डी २४ तथा ओलिवर एफ. डी. ई. उपलब्ध थे और बाद में विश्व बैंक ने भी इन्हें उपयुक्त प्रकार का माना था । हमारा यह निश्चय इसलिये भी था कि क्योंकि अलिस चामर्स तथा ओलिवर एफ. डी. ई. हमें बहुत जल्दी मिल सकते थे और हम भूमि को कृषि योग्य बनाने का कार्य यथासम्भव शीघ्र आरम्भ करना चाहते थे । तदनुसार हम ने ९० ओलिवर एफ. डी. ई. और ९० अलिस चामर्स एच डी १९ खरीदे । प्राक्कलन समिति ने यह कहा है कि हमें इन की जांच किये बिना खरीदना नहीं चाहिये था । मैं नहीं जानता प्राक्कलन समिति किस प्रकार जांच करवाना चाहती थी किन्तु यदि इन ट्रैक्टरों की बहुत सूक्ष्मरूप से जांच की जाती तो इस में लगभग दो वर्ष लग जाते । सम्भवतः जांच के लिये इतना समय देना उस समय उचित भी नहीं समझा जाता । इन ट्रैक्टरों ने अच्छा काम दिया । इन की यह आलोचना तो की जा सकती है कि बाद में हम ने जो अन्य प्रकार के ट्रैक्टर खरीदे थे उन की अपेक्षा इन का कार्यवाहक व्यय अधिक था । भूमि कृषि योग्य बनाने के लिये इन ट्रैक्टरों से अच्छी प्रकार से काम लिया जा रहा है । देश को होने वाली हानि तथा लाभ का पता लगाने के मामले में क्या यह कहना अनुचित होगा कि इस अवधि में कार्यवाहक व्यय के अतिरिक्त जो व्यय हुआ है उस की तुलना इन दो वर्षों में जो कि जांच कार्य में लग गये होते, चार से पांच लाख एकड़ भूमि को कृषि योग्य बना कर उस में उत्पादित अतिरिक्त खाद्य के खर्चे से की जाय ?

जब ट्रैक्टर खरीदे गये थे, उसी समय सरकार ने २४ डीज़ल के ट्रक खरीदे । प्राक्कलन समिति का कहना है कि इन को खरीदने से पहले सरकार ने डीज़ल के ट्रकों की मितव्ययता के बारे में पता नहीं लगाया था । यह एक सुविदित बात है कि, यदि अन्य सब बातें एक सी हों, आरम्भ में तो डीज़ल इंजनों पर अधिक खर्च आता है किन्तु कार्य सम्पादन में उन पर पैट्रोल के इंजनों की अपेक्षा कम खर्च आता है और वे तीन टन के ट्रकों से भी अच्छा कार्य कर सकते हैं ।

दूसरा एक महत्वपूर्ण विचार सरकार के सामने यह था कि चूंकि ट्रैक्टर डीज़ल-इंजनों के थे इसलिये कार्य सम्पादन की सुविधा की दृष्टि से ट्रक भी डीज़ल इंजन वाले होने चाहियें । तीन वर्ष तक इन ट्रकों में डीज़ल इंजन ही लगे थे । उस समय पैट्रोल राशन से मिलता था और उस समय यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता था कि पैट्रोल पर से राशन कब हट जायगा । डीज़ल इंजनों को ओवरहाल करने के खर्च की तुलना में नये पैट्रोल के इंजन का खर्च कम था । इसी बात को ध्यान में रखते हुए उस समय बदल कर पैट्रोल के इंजन लगाये गये । मेरा यह निवेदन है कि यह बात गलत है कि आरम्भ में किसी योजना या दूरदर्शिता से काम नहीं लिया गया था । ज्यादा से ज्यादा यही कह जा सकता है कि जिन व्यक्तियों ने यह निर्णय किया था उन्हों

[डा० पी० एस० देशमुख]

ने उतनी बुद्धिमत्ता से काम नहीं लिया जितनी बुद्धिमत्ता से लेना चाहिये था यद्यपि आज भी इस बात पर बहस चल रही है कि डीज़ल इंजिन अच्छा है या पैट्रोल इंजन अच्छा है। यह नहीं कहा जा सकता कि इन डीज़ल ट्रकों को खरीदने में सरकार ने गलती की थी और यदि हम यह मानें भी तो भी यह नहीं कहा जा सकता कि इन के खरीदने में किसी ने अनियमितता की थी ।

यह एक बड़ी खेदजनक बात है कि प्राक्कलन समिति ने जैदी समिति की इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन द्वारा आरम्भ किये जाने वाले इतने बड़े उपक्रम में, जिस का कोई परम्परागत अनुभव नहीं था, कुछ गलतियां होना तो ज़रूरी था। क्या यह कहना ठीक नहीं है कि इस देश में केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन जैसा बड़ा उपक्रम पहले कभी आरम्भ नहीं किया गया था ? यह एक बहुत बड़ा संगठन है और इस प्रकार के संगठन को चलाने का देश में कोई परम्परागत अनुभव नहीं था ।

अगली महत्वपूर्ण आलोचना इन ट्रैक्टरों को ठीक रखने के लिये ज़रूरी अतिरिक्त पुर्जों के सम्बन्ध में केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन द्वारा अपनाई गई नीति के बारे में है। आरम्भ में ट्रैक्टरों के साथ इन की क्रय मूल्य के २५ प्रतिशत मूल्य के अतिरिक्त पुर्ज़े खरीदे गये थे। ट्रैक्टर कम्पनियां अपने अनुभव के आधार पर तथा ट्रैक्टरों का प्रयोग करने वाले लोगों के अनुभवों के आधार पर इन के अतिरिक्त पुर्जे स्वयं ही बनाती हैं। ये ट्रैक्टर इस प्रकार के कार्य के लिये नहीं बनाये गये थे जो काम हम इन से ले रहे हैं। इसलिये इन के टूट फूट का अनुभव हमारे लिये अधिक लाभदायक नहीं हुआ। इन ट्रैक्टरों को चालू रखने के लिये हमें इन के क्रय मूल्य के २५ प्रतिशत मूल्य के अतिरिक्त पुर्जे खरीदने पड़े। अब हम अतिरिक्त पुर्जों की आवश्यकतानुसार एक सन्तोषजनक योजना बना रहे हैं। यह स्मरण रहना चाहिये कि महत्वपूर्ण अतिरिक्त पुर्जों की कमी के कारण हमारे ट्रैक्टरों को काम नहीं बन्द करना पड़ा। माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि बहुत से गैर सरकारी ट्रैक्टर कुछ अतिरिक्त पुर्जे न मिल सकने के कारण बेकार पड़े हैं। ऐसा केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन में नहीं हुआ।

प्राक्कलन समिति ने यह भी कहा है कि केटर पिलर ट्रैक्टरों के अतिरिक्त पुर्जों के ५०० बक्से २ वर्ष या इस से अधिक समय तक बिना खुले पड़े रहे थे।

बक्स सेना उत्सर्जन विभाग के थे। यह मालूम नहीं था कि इन में क्या है और न ही इन बक्सों में एक ही प्रकार के पुर्जे थे। वास्तव में प्रत्येक बक्स में बहुत सी किस्मों के पुर्जे थे और इन्हें खोलने पर इन को अलग अलग करने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता था। केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन ने उत्सर्जन से पुर्जों के कई हजार बक्स जिन का वज़न ७५० टन था लिये थे। इन की पड़ताल एक विशेषज्ञ ही कर सकता है और हमारे पास विशेषज्ञ अधिक नहीं थे। इसलिए प्रगति कम थी। फिर भी मार्च, १९५३ तक ८० प्रतिशत काम समाप्त हो चुका था।

श्री गाडगील (पूना मध्य) : औचित्य प्रश्न के हेतु। अध्यक्ष का निर्णय यह है कि लम्बे वक्तव्य पढ़े न जायं बल्कि सदन पटल पर रख दिये जायं। इस के अतिरिक्त इस मामले में सदन को भी चर्चा करने का अवसर देना चाहिये ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : मेरा भी यह सुझाव है कि सदन को इस वक्तव्य

पर और प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट पर चर्चा करने का अवसर देना चाहिये । ताकि हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकें ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री इसे सदन पटल पर रख दें । मैं यह नहीं जानता था कि माननीय मंत्री इस अवसर पर एक ऐसा वक्तव्य देना शुरू कर देंगे, जिस में प्राक्कलन समिति की हर बात का खंडन किया गया है । पहले कभी ऐसा नहीं हुआ । इस लिए वह वक्तव्य पढ़ने की बजाय सदन पटल पर रख दें । मैं सदन के नेता से परामर्श करूंगा कि इन विषयों में क्या प्रक्रिया होनी चाहिये ।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : वक्तव्य के अन्त में कहा गया है कि उन सब प्रश्नों पर जो कि प्राक्कलन समिति ने उठाये हैं, विचार किया जा रहा है, और यदि कोई गलत बात दिखाई दी तो, उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जायेगी ।

डा० पी० एस० देशमुख उठे —

उपाध्यक्ष महोदय : अब इस पर अग्रेतर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है । वक्तव्य पटल पर रख दिया जायेगा ।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : क्या इस पर चर्चा करने के लिये अगले सत्र में कोई दिन निर्धारित किया जायेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह बाद में देखा जायेगा कि क्या प्रक्रिया होनी चाहिये । अब तक तो प्राक्कलन समिति की सिफारिशों पर सदन में चर्चा नहीं हुई । सामान्यत: प्रथा यह है कि इस की सिफारिशें स्वीकार कर ली जाती हैं । उन विषयों को जिन्हें सरकार स्वीकार नहीं कर सकती समिति द्वारा पुनर्विचार के लिये भेजा जाता है । मैं माननीय अध्यक्ष से प्रार्थना करूंगा कि वह माननीय सदन के नेता से परामर्श कर के वे पग उठायें, जो समिति के उचित संचालन के हित में आवश्यक हों ।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : मेरे विचार में यह आवश्यक है कि हमें प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिये अवसर दिया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस मामले में अध्यक्ष महोदय सदन के नेता से परामर्श कर के आवश्यक कार्यवाही करेंगे ।

डा० पी० एस० देशमुख : श्रीमान्, मैं वक्तव्य सदन पटल पर रखता हूं ।

***वक्तव्य**

केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन के लिए ट्रैक्टरों का क्रय

इन कठिनाइयों के बावजूद मार्च, १९५३ तक, ८० प्रतिशत काम समाप्त किया जा चुका था और संगठन द्वारा तैयार की गई पुर्जों की सूचियां इस देश के कैटर पिल्लर व्यापारियों में परिचालित की गई थीं और उन से पूछा गया था कि क्या वे इन्हें लेने के लिये तैयार हैं और यदि हां, तो किन शर्तों पर । जो बक्स, प्राक्कलन समिति ने देखे थे, वे संभवत: वही थे जिन्हें अभी खोला नहीं गया था । यह स्मरण रखना चाहिये कि १९४८, १९४९ और १९५० में यह संगठन अभी अपने पैर ही जमा रहा था और उस के पास पुर्जों को अलग अलग रखने के लिये उचित स्थान तथा सामान नहीं था । इसलिये मेरे विचार में केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन का इतना दोष नहीं है ।

मेरी इन बातों का यह मतलब नहीं है कि मैं ने इस विषय में अपनी राय कायम कर ली है । प्राक्कलन समिति तथा जैदी समिति की रिपोर्ट मेरे मंत्रालय के विचाराधीन है और इन समितियों ने जो प्रश्न उठाये हैं

*कृषि मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य का बाकी भाग ।

[डा० पी० एस० देशमुख]

हैं मैं स्वयं उन का अध्ययन करूंगा । यदि मुझे मालूम हुआ कि किसी ने बेपरवाही की है, तो मुझे उपयुक्त कार्यवाही करने में कोई संकोच न होगा । किन्तु यह स्मरण रखना चाहिये कि संगठन के लिये यह कार्य का एक नया क्षेत्र था और नये क्षेत्र में अनुभव प्राप्त करने के लिये कुछ कीमत देनी पड़ती है । संगठन की सफलताओं को भी ध्यान में रखना चाहिये । मैं आप को बतलाना चाहता हूं कि इस संगठन ने १० लाख एकड़ से अधिक भूमि को कृषि योग्य बनाया है जो कि लक्ष्य से भी अधिक है ।

अब केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन के कार्य का जो चित्र है वह बहुत भिन्न है, क्योंकि पुरानी गलतियां फिर नहीं की गईं । अब इस के विस्तार में जाना संगत नहीं होगा । क्योंकि जो आपत्ति और आलोचना है, वह किसी और अवधि के सम्बन्ध में है । फिर भी यह बतलाना असंगत न होगा कि बड़ी निगरानी के फलस्वरूप हम ने क्रय के कुछ प्रस्तावों को छोड़ कर ४,०४,९०० रुपये बचा लिये हैं और संभरण तथा उत्सर्जन के महानिदेशालय को दिये गये आदेशों को वापस ले कर ४.५ लाख रुपये बचा लिये हैं ।

अनुबन्ध-संख्या १

वापस लिए गये आदेश और डी० जी० एस० ऐंड डी० को दिय गये आदेशों में की गई बचत

			रुपये
(१)	मई ५३	मशीनी औजार	१,३०,०००
(२)	जुलाई ५३	लोहा और इस्पात जिस में मट और वोल्ट सम्मिलित है	७८,४२०
(३)	अक्तूबर ५३	मास्टर मैक इल किट	४५,०००
(४)	दिसम्बर ५३	टायर और ट्यूब	२०,३५३
(५)	२ जुलाई ५३	युनिवर्सल कटिंग मशीन	४,५८४
(६)	जुलाई ५३	ग्रीस गन फिलर्स	१,६००
(७)	२२ अप्रैल ५३	इसाकसन पी० सी० यूज़ के लिये पुर्जे	२५,०००
		योग	३०४,९५७

(८) २८ सितम्बर, ५३ फाइनल ड्राइव्ज़ के २० सेट

वापस लिए गये आदेशों की राशी	३,०५,००० रुपये	२१,४९८·६ डालर
डालर	२१,४९८·६	

योग ४,५०,००० रुपये

अनुबन्ध संख्या २

मितव्ययता के हेतु छोड़ दिये गये क्रय के प्रस्ताव

		रुपये
जुलाई, १९५३	(१) आर्क वेल्डिंग सेट खरीदने का प्रस्ताव	२५,०००
दिसम्बर, १९५३	(२) दिल्ली कर्मशाला के लिए क्रैंक शाफट ग्राइंडर खरीदने का प्रस्ताव	४४,०००
मार्च, १९५४	(३) रिमेटलिंग मशीन खरीदने का प्रस्ताव	३०,०००
अक्तूबर, १९५३	(४) क्रेन अटैचमेंट संख्या ८ खरीदने का प्रस्ताव	५६,०००
फरवरी, १९५३	(५) १६ एंकट चैनसैट खरीदने का प्रस्ताव	२,२०,०००
		३,७५,०००

और

(६) ए एंड यू क्रम-८००० पौंड=१०४,००० रुपये

(७) ब्लू डायमंड इंजन के पुर्जे १९,५०० रुपये

योग ४,०४,९०० रुपये

भारतीय ढोर परिरक्षण विधेयक के सम्बन्ध में वक्तव्य

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : श्रीमान् आप की आज्ञा को मैं सेठ गोविन्द दास के भारतीय ढोर परिरक्षण विधेयक, १९५२ के बारे में एक संक्षिप्त वक्तव्य दूंगा। महान्यायवादी ने वैधानिक स्थिति स्पष्ट कर दी है। मैं यह बतलाना चाहूंगा कि केन्द्रीय सरकार ने इस विषय में क्या पग उठाये हैं और इस की नीति क्या है।

सब से पहले यह समझना चहिये कि ढोरों के परिरक्षण की समस्या कितनी बड़ी है। देश में हर प्रकार के लगभग २,२०० लाख ढ़ोर हैं, जिन में से कम से कम १० प्रतिशत और संभवत: ३० प्रतिशत 'लगभग बेकार' की श्रेणी में आते हैं। इतने ढ़ोरों को ३६० लाख मानवों के, मुकाबले में खाद्य या चारा तलाश करना पड़ता है, जो कि देश की कृषि योग्य भूमि से पैदा होता है। अनुमान लगाया गया है कि एक पशु के चारे के लिये दो एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है। उदाहरणतया पश्चिमी बंगाल में जहां ढोरों की संख्या १०० लाख है इस आधार पर २०० लाख एकड़ भूमि चाहिये। किन्तु इस के पास केवल १०० लाख एकड़ कृषि योग्य भूमि है। इस से आप अनुमान लगा सकते हैं कि स्थिति कितनी गम्भीर है। तथापि सारे देश की सामान्य स्थिति इतनी खराब नहीं

[डा० पी० एस० देशमुख]

है और ठीक तरह प्रयत्न करने से इस पर काबू पाया जा सकता है ।

श्री गाडगील : प्रश्न यह था कि क्या यह सदन इस विधान को पारित करने के सक्षम है। हमें यह मालूम होना चाहिये कि इस विषय में सरकार के विचार क्या हैं ।

डा० पी० एस० देशमुख : मैं कुछ और पहलुओं का भी उल्लेख करूंगा । अधिकांश ढोरों को पर्याप्त चारा नहीं मिल सकता । इसलिये उन की सामान्य स्थिति बहुत खराब है और अगली नसल भी कमजोर होती जा रही है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि सदन को क्षेत्राधिकार नहीं है तो इसे पढ़ने का क्या लाभ है ? वे वक्तव्य को सदन पटल पर रख सकते हैं ।

डा० पी० एस० देशमुख : मैं इसे पटल पर रखने के लिये तैयार हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रतियां माननीय सदस्यों को परिचालित की जायेंगी ।

सेठ गोविन्द दास (मंडला-जबलपुर—दक्षिण) : उपाध्यक्ष जी, यह स्टेटमेंट होने के बाद मैं यह जानना चाहता था कि अब मेरे विधेयक का क्या होगा, क्योंकि पहले एक स्टेटमेंट हुआ एटार्नी जनरल साहब का, उस के बाद दूसरा स्टेटमेंट हुआ मंत्री जी का, और जो श्री सत्यनारायण सिन्हा जी ने मुझे विश्वास दिलाया था, १२ मार्च को, वह यह था कि यह बिल किसी दूसरे सरकारी दिन लाया जायेगा । तो एटार्नी जनरल साहब का स्टेटमेंट हुआ, उस पर भी हमें बहुत कुछ कहना है और आप का जो अभी स्टेटमेंट हो रहा है और जो अभी टेबुल पर रखा जा रहा है उस पर भी हमें बहुत कुछ बोलना है और मैं जानना चाहता हूं कि वह विश्वास जो हमारे पार्लियामेंटरी मिनिस्टर साहब ने हमें दिलाया था कि यह विधेयक किसी न किसी सरकारी दिन पर लिया जायगा वह अभी भी मौजूद है या नहीं और मैं जानना चाहता हूं कि यह बिल अगले सेशन में किसी सरकारी दिन लाया जायगा या इस का क्या होगा, मैं यह जानना चाहता हूं ।

संसद कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिन्हा) : मैं ने जो वायदा किया था वह पूरा किया । दो सरकारी दिनों पर इस विधेयक के सम्बन्ध में विचार हुआ, पहले दिन एटार्नी जनरल साहब का इस बिल के सम्बन्ध में एक स्टेटमेंट हुआ, बिल के बाहर की कोई बात नहीं हुई और आज भी जो स्टेटमेंट मंत्री महोदय का हुआ वह भी बिल ही के सम्बन्ध में है । अब जहां तक इस बिल पर दूसरे सेशन में समय देने का ताल्लुक है, यह बिल अगर बैलट में आजायगा तो इस पर डिस्कशन हो जायेगा ।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : इस विधेयक के सम्बन्ध में महान्यायवादी ने कहा है कि इसे पारित करना संसद् के कार्य-क्षेत्र में नहीं आता और सरकार इस बात को मानती है । यदि इसे मान लिया जाय तो इस विधेयक पर चर्चा नहीं की जा सकती । किन्तु इस का विषय इस सदन, सरकार तथा हम सब के लिये बहुत महत्वपूर्ण है और आगामी सत्र में इस पर चर्चा के लिये हमें समय निकालना चाहिये । यह इस विधेयक से कुछ भिन्न है । कृषि मंत्री जो लम्बा वक्तव्य देने वाले थे उस के अन्त में यह घोषणा है कि खाद्य तथा कृषि मंत्री शीघ्र ही एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करेंगे जो इस समस्या के महत्वपूर्ण पहलुओं के सम्बन्ध में कार्य करेगी और उस के बारे में वह अपनी रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करेगी ।

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) : मैं इस विधेयक की मान्यता तथा संवैधानिक

औचित्य के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि हम इस पर अगले दिन इस के संवैधानिक औचित्य पर चर्चा कर सकते हैं। इसलिये हमें उस पर बोलने का अवसर मिलना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : जब यह विधेयक गैर-सरकारी दिन प्रस्तुत होगा तब इस पर और आगे चर्चा होगी। सम्भवतः अध्यक्ष महोदय किसी अन्य मार्ग का अनुसरण करें। अगले सत्र में जब यह विधेयक प्रस्तुत होगा तो अध्यक्ष महोदय इस पर अच्छी प्रकार से विचार करेंगे। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री के वक्तव्य के कारण इस विधेयक की अग्रेतर चर्चा पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगता है। आगे की प्रक्रिया नियमों के अनुसार विनियमित कर दी जायेगी। अब माननीय मंत्री सदन पटल पर शेष वक्तव्य रखेंगे ।

डा० पी० एस० देशमुख : कुछ सदस्य चाहते हैं कि पूरा वक्तव्य रखा जाये ।

भारतीय ढोर परिरक्षण विधेयक

श्रीमान्, मैं आप की अनुमति से सेठ गोविन्द दास के भारतीय ढोर परिरक्षण विधेयक १९५२ पर, एक संक्षिप्त वक्तव्य देता हूं। महान्यायवादी ने पहले ही स्थिति स्पष्ट कर दी है। इस पर कुछ और कहने की आवश्यकता नहीं किन्तु मैं सरकार की स्थिति, और ढोरों के परिरक्षण के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा किये गये कार्यों तथा इस महत्वपूर्ण मामले पर नीतियां जिन का राज्य सरकारों द्वारा अनुसरण किया जायेगा, बताने के बारे में किये गये कार्यों का उल्लेख करना उचित समझता हूं ।

इस विषय पर बहुत अधिक भावुकतापूर्वक विचार किया जाता है इसलिये इस जटिल तथा महत्व समस्या के महत्वपूर्ण तथा परिणाम बताना तथा इस के प्रति सरकार के दृष्टिकोण को बताना उचित है। यह बतलाना इसलिये भी आवश्यक है कि इस से राजनीतिक दृष्टि से लाभ उठाने के प्रयत्न किये गये हैं और कभी कभी वास्तविक तथ्यों की उपेक्षा कर दी जाती है। इसलिये सरकार को सभी उचित बातों पर विचार करना चाहिये और एक ऐसी नीति बनानी चाहिये जो जनता की भावना के विपरीत न हो तथा जिस से देश के हितों की भी रक्षा हो।

सब से पहले मैं इस समस्या की व्यापकता को लेता हूं। देश में सभी प्रकार के लगभग २२ करोड़ ढोर हैं जिन में से कम से कम १० और सम्भवतः ३० प्रतिशत "प्रायः बेकार" वर्ग में आते हैं। ढोरों की इतनी बड़ी संख्या को ३६ करोड़ देशवासियों की आवश्यकता के साथ साथ देश की खेती की जाने वाली भूमि में उत्पादित खाद्य तथा चारे की आवश्यकता होती है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि एक ढोर के लिये जितने पर्याप्त चारे की आवश्यकता होती है उतना दो एकड़ भूमि में पैदा होता है ।

इस आधार पर तो पश्चिमी बंगाल में, जहां एक करोड़ ढोर हैं, दो करोड़ एकड़ भूमि की आवश्यकता पड़ेगी। उस राज्य में खेती की जाने वाली भूमि एक करोड़ नब्बे लाख एकड़ है, इस प्रकार इस बात को समझा जा सकता है कि —ढोरों की इतनी बड़ी संख्या को "३६ करोड़ देशवासियों की आवश्यकता के साथ साथ देश की खेती की जाने वाली भूमि में उत्पादित खाद्य तथा चारे की आवश्यकता होती है।" सौभाग्यवश देश में हालत इतनी खराब नहीं है और यदि हम इस समस्या के मामले में ठीक प्रकार से काम करें तो इस को सुलझाया जा सकता है ।

मैं यहां इस समस्या के अन्य पहलुओं को भी संक्षेप में बता दूं। इन ढोरों को बहुत बड़ी संख्या में पर्याप्त चारा या खुराक नहीं मिल

[डा० पी० एस० देशमुख]

पाती है—वास्तव में यह सब को मिल भी नहीं सकता इस प्रकार ढोरों की सामान्य हालत बहुत खराब है और इसलिये ढोरों की नस्ल बिगड़ती जा रही है। देश के बहुत से भागों में लोग जब ढोरों की अच्छी प्रकार से देख भाल नहीं कर सकते तब वे ढोरों को खुला छोड़ देते हैं। फिर इन से लोगों को बड़ा नुक्सान पहुंचता है जब वे जंगली जानवर हो जाते हैं तो वे अच्छी फस्ल को बहुत बुरी तरह से खराब कर देते हैं। और उन को फिर से पकड़ने में और पालने में बड़ी कठिनाई होती है।

हमारे देश में ढोर अन्य देशों की अपेक्षा अधिक हैं। किन्तु उन की नस्ल इतनी खराब है कि उन के दूध से प्रत्येक व्यक्ति की दूध की न्यूनतम आवश्यकता भी पूरी नहीं होती। अच्छे डेरी फार्मों की भैंसें या गाय लोगों की भैंस या गायों से चार या पांच गुना दूध अधिक देती हैं। इसलिये हम अपनी दुधारू तथा अदुधारू ढोरों की नस्ल सुधारना चाहते हैं और यह चाहते हैं कि नस्ली सांडों से प्रजनित हों, उन्हें अच्छी खुराक मिले और उन का अच्छी प्रकार से पालन पोषण हो।

अब मैं दूसरी बात लेता हूं। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में जहां ढोर खेती के काम में, गाड़ी चलाने के काम में आते हैं और वे खाद तथा दूध देते हैं, वहां गाय के परिरक्षण तथा इस की नस्ल की सुधार की आवश्यकता बहुत अधिक है। भारतीय अर्थव्यवस्था में गाय का भी स्थान है। इसलिये यहां की जनता गाय को सम्मानपूर्ण स्थान देती है।

१९४७ में जब डा० राजेन्द्र प्रसाद खाद्य तथा कृषि मंत्री थे तो उन्होंने "ढोर-परिरक्षण तथा विकास समिति" नामक समिति स्थापित की थी। इस ने नवम्बर, १९४८ में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। श्री जयराम दास दौलत राम ने सदन में २४ मार्च, १९४९ को यह बताया था कि सरकार ने शीघ्र कार्यान्विति के लिये निम्न सिफारिशें स्वीकार कर ली थीं :

(१) प्रथम अवस्था में जिसे शीघ्र ही प्रवर्त्तित किया जाना है, निम्नलिखित ढोरों को छोड़ कर सभी उपयोगी ढोरों का बध पूर्ण रूप से बन्द कर दिया जाना चाहिये :—

(क) १४ वर्ष से अधिक आयु वाले तथा कार्य और प्रजनन की दृष्टि से बेकार पशु।

(ख) किसी भी आयु के पशु, जो आयु, चोट या अंगविकृति के कारण काम या प्रजनन में असमर्थ हों।

(२) ढोरों का बिना लाइसेंस प्राप्त किये तथा अनधिकृत बध एक दम रोक दिया जाय और इसे कानूनी रूप से हस्तक्षेप अपराध घोषित कर देना चाहिये।

इसलिये, गोशालाओं तथा पिंजरापोलों के विकास के लिये सरकार ने विभिन्न राज्यों में केन्द्रीय गोशाला विकास बोर्ड और गौशाला तथा पिंजरापोल संघ स्थापित करने के लिये कार्य किये।

केन्द्रीय सरकार ने इन संघों की नीतियों को कार्यान्वित करने के लिये राज्यों से निवेदन किया है। अग्रेतर सरकार ने मूल ग्राम केन्द्र खोलने, सांड़ों को पालने, गोशालाओं को सहायता देने तथा अनुत्पादक पशुओं की देख रेख करने के लिये गो सदन खोलने की नीति को स्वीकार कर लिया है। पशु संरक्षण के लिये सरकार ने संसद् में गो-संवर्धन विधेयक रखा है। यह केवल ग भाग के राज्यों के लिये था। किन्तु ग भाग के

राज्यों में विधान सभायें बन जाने के कारण इस को छोड़ देना पड़ा था। ३० जनवरी, १९५२ के संकल्प के द्वारा, देश में गौसंवर्धन की नीति का नवीन प्राच्यीकरण किया गया था और केन्द्र में गोशाला विकास बोर्ड के स्थान पर इस को और अधिक उत्तरदायी बनाने, पशुओं की नस्ल सुधारने तथा उन की रक्षा एवं संरक्षण करने की दृष्टि से गोसंवर्धन परिषद् की स्थापना की गई है। इस की पूर्ति के लिये गोसंवर्धन की केन्द्रीय परिषद् कार्य कर रही है एवं इस के अधिकार क्षेत्र तथा कार्य में सतत विकास हो रहा है।

इस अवस्था पर मैं संक्षेप में राज्यों की स्थिति बतलाना चाहता हूं। मध्य भारत, मैसूर तथा भोपाल राज्यों में सभी पशुओं के बध पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा है, जबकि पैप्सू तथा राजस्थान में गायों, बैलों तथा बछड़ों आदि के बध की मनाही है। बम्बई, मद्रास, पश्चिमी बंगाल, हैदराबाद, त्रावनकोर-कोचीन, मध्य प्रदेश तथा अजमेर ने लाभदायक पशुओं के बध पर प्रतिबन्ध लगा दिया है, तथा कुर्ग, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मनीपुर, त्रिपुरा तथा विन्ध्य प्रदेश की रिपोर्ट यह है कि वहां पशु बध नहीं किया जाता है और विशेषकर गायों का। इस कारण वहां किसी भी प्रकार के विधान बनाने अथवा निषेधात्मक आदेश की आवश्यकता नहीं है। कुछ मामलों में निषेधात्मक आदेश पहले से ही विद्यमान हैं। दिल्ली में नगलरपालिका समिति ने गायों के बध पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। उत्तर प्रदेश ने इस प्रश्न का निर्देश गोसंवर्धन जांच समिति को कर दिया है और बिहार विधान सभा के सम्मुख यह विधेयक रखा जा चुका है।

संविधान के अनुच्छेद ४८ में दिये गये निदेशात्मक सिद्धान्त को मानने के लिये सरकार बाध्य है और यह नीति बनाई जा चुकी है। कृषि तथा पशु पालन दोनों का विकास आधुनिक वैज्ञानिकों के तरीकों के आधार पर करने का यत्न किया जा रहा है। ३४० से अधिक मूल ग्राम केन्द्र पहले से ही खोले जा चुके हैं और अगले दो वर्षों में योजना यह है कि इन की योग संख्या ६०० हो जायेगी। एक सौ से ऊपर कृत्रिम गर्भादान केन्द्र खोले जा चुके हैं और प्रथम योजना काल में डेढ़ सौ केन्द्र और स्थापित करने का उद्देश्य है। सहायता की योजना में सांड पालने को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इस में से एक एक केन्द्र में बहुत से गांव आ जाते हैं। जो पशुओं की किस्म सुधारने की समस्या की देख-रेख करते हैं। इस प्रकार जिन क्षेत्रों में पहुंच हो गई है, घटिया किस्म के बैलों को बधिया बना दिया जाता है तथा केन्द्रों में नस्ली सांडों के द्वारा केवल प्रजनन के योग्य गायों तथा भैंसों की सेवा की जाती है। अतः धीरे-धीरे इन केन्द्रों के अन्तर्गत आ जाने वाले क्षेत्रों में निस्सन्देह पशुओं की संख्या में अत्याधिक उन्नति होगी। साथ ही, गोसदनों का संगठन किया जा रहा है, जिस से बेकार पशु निकाले जा सकते हैं।

ये गोसदन योजना बनाई गई है, और ये आम तौर से उन क्षेत्रों में स्थापित किये गये हैं जिनमें भूसे का प्रबन्ध रहता है जिससे पशुओं अथवा मनुष्यों की कोई हानि नहीं होती है। मुझे यह कहते हुये खेद है कि गोसदनों की उन्नति उतनी सन्तोषजनक नहीं है, जितनी होनी चाहिये थी, और उसके लिये यह कहा जा सकता है कि सम्मिलित योजना सफल नहीं हो सकी। किन्तु मुझे विश्वास है कि यह योजना सफल होगी क्योंकि जनता का सहयोग प्राप्त हो गया है, जो दुर्भाग्यवश इस समय इतना पर्याप्त नहीं है जो विद्यमान गो सदनों की क्षमता की पूर्ति कर सके और काफी संख्या में नये केन्द्र खोल सके। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सरकार ने इस कार्य के लिये काफी राशि की व्यवस्था की है और निस्सन्देह

[डा० पी० एस० देशमुख]

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसके लिये इसी प्रकार उपयुक्त राशि की व्यवस्था करेगी।

मेरे आदरणीय मित्र सेठ गोविन्द दास ने कलकत्ता तथा बम्बई जैसे बड़े-बड़े नगरों में पशु बध के प्रश्न का विशेष रूप से निर्देश किया है। यहां, जैसा कि हम सभी को विदित है कि हर समस्या आर्थिक समस्या है। दूध देने वाले पशु का एक बार दूध बन्द हो जाने पर वह शहर में अपने मालिक के लिये अनार्थिक हो जाता है। कुछ हद तक, वह अपने दूध देना बन्द कर देने वाले पशुओं को शहर के बाहर भेज देता है, किन्तु अपने सारे ही पशुओं के लिये ऐसी व्यवस्था कर पाना उसके लिये बड़ा महंगा पड़ता है। इसी प्रकार वह अपने छोटे-छोटे बछड़ों के मरने की चिन्ता नहीं करता क्योंकि जब तक वे दूध देना बन्द कर देने वाले अथवा दूध देने के योग्य पशु नहीं बन जाते, उनकी देख भाल करने से कोई भी आर्थिक लाभ नहीं हो सकता। अतः केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों का विचार ऐसे पशुओं को शहरों से हटा कर पड़ोस के गांवों में उनके रखने का यथाशीघ्र प्रबन्ध करने का है, जहां इन पशुओं की उपयुक्त मूल्य पर उचित देख-रेख करने की व्यवस्था की जा सके। इस दिशा में कुछ ठोस कार्यवाहियां पहले ही की जा चुकी हैं और इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिये प्रत्येक प्रयत्न किया जायगा। मैंने स्वयं हाल ही में कलकत्ता की यात्रा की है और मैं सदन को आश्वासन दे सकता हूं कि ठीक दिशा में बड़ा अच्छा श्रीगणेश किया गया है। सरकार का विचार बड़े शहरों में देख-भाल करने तथा इन कार्यवाहियों को आगे बढ़ाने का है। अपने मंत्रालय के उदाहरण के आधार पर मैं बताना चाहूंगा कि दूध न देने वाली गायों को पंजाब वापस भेजने के लिये किराये में रियायत कर दी गई है। इस सदन में की गई विशिष्ट मांग के उत्तर में सरकार ने हाल ही में गोमांस के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया है।

अतः इस प्रकार पता लगता है कि सरकार की योजना का उद्देश्य इस असाधारण कठिन समस्या पर ठोस सहानुभूतिपूर्ण तथा परिवर्तनशील ढंग से प्रहार करना है और जो कुछ भी उसने किया है तथा प्राप्त किया है वह किसी भी दशा में नगण्य नहीं है। जिन पशुओं में सुधार हो सकता है, उनको सुधारा जाना चाहिये, और वे जिनमें कोई उन्नति की आशा नहीं है, उनको अविकसित क्षेत्रों में रखा जा सकता है, उपलब्ध भूसे की मात्रा पर उन के कारण उल्टा प्रभाव न पड़े और जहां उनकी भली प्रकार देख-भाल की जा सके। समस्या की गम्भीरता की दृष्टि से तथ्य तथा इसकी जटिलता के सम्बन्ध में इस पर दो सम्मतियां नहीं हो सकतीं। अपने सीमित साधनों तथा लोगों के प्रारम्भिक उत्साह से मुझे ऐसा जान पड़ता है कि हमने अच्छा तथा सुदृढ़ श्रीगणेश किया है। जैसा कि हम अपनी नीति को समझते हैं इस पर भली प्रकार विचार किया जा चुका है कि प्रारम्भ में इसका परिणाम देर से ज्ञात हो सकेगा, किन्तु चूंकि जनता ने इसके मूल्य को आंक लिया है, और अपना सम्पूर्ण सहयोग देती है, इस कारण मुझे सन्देह नहीं है कि यह कार्य पूरा नहीं होगा। मुझे भय है कि आज जायज़ रूप से किंचित सहयोग की भी आशा नहीं की जा सकती। उदाहरण के लिये, आज जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, ऐसे लोगों का मिलना कठिन है कि स्थापित किये गये गोसदनों में लोग अपने बुड्ढे तथा बेकार पशुओं को रख दें। इसी प्रकार प्रत्येक राज्य सरकार अनेक कारणों वश केन्द्रीय सरकार के द्वारा काफी वित्तीय सहायता का वचन पा कर भी मूल ग्राम केन्द्रों तथा गोसदनों की स्थापना करने के लिये ही समान रूप से सशक्त है।

जो कुछ मैंने ऊपर कहा है इसके साथ ही सरकार ने निम्न कार्यों के लिये अविलम्ब क्या कार्यवाहियां की जांयं इसके लिये विशेषज्ञों की एक समिति की नियुक्ति करने का निश्चय कर लिया है :

(१) दूध देने वाली गायों का वध रोकना, विशेषत: कलकत्ता तथा बम्बई जैसे शहरों में, चाहे कुछ समय के लिये वे सूख गये हों;

(२) इस विषय के लिये वर्तमान विधि को अधिक प्रभावशाली बनाना जिससे 'फूका' जैसी बुरी प्रथाओं को समाप्त किया जा सके;

(३) उपयुक्त क्षेत्रों में दूध का पाउडर बनाने की सम्भावना को ढूंढ निकालना; तथा

(४) पशुओं के अन्तर्राज्य आवागमन पर कोई प्रभावशाली नियन्त्रण लगाना।

मुझे आशा है कि मैंने अब तक जो कुछ कहा है उससे सदन तथा सदन के बाहर का प्रत्येक विचारवान व्यक्ति सहमत हो गया होगा और सरकार इस समस्या को सुलझाने में ईमानदारी से कार्य कर रही है तथा इसका अपनी यथाशक्ति एवं सावधानी से सामना कर रही है किन्तु महान्यायवादी की सम्मति को दृष्टि में रखते हुये और चूंकि यह सच है कि राज्य इस मामले को निबटाने में लगे हुये हैं, जैसा कि राज्य सूची के मद (१५) के अन्तर्गत वास्तव में यह उनके विधिक अधिकार तथा उत्तरदायित्व में आता है, यदि इस विधेयक मतदान के लिये ज़ोर दिया गया तो केन्द्रीय सरकार के पास इसका विरोध करने के अतिरिक्त अन्य मार्ग नहीं है।

निष्क्रान्त सम्पत्ति व्यवस्था (संशोधन) विधेयक

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि निष्क्रान्त सम्पत्ति सम्बन्धी विधि का ऐसे व्यक्तियों के सम्बन्ध में जिन्होंने ७ मई, १९५४ को या उसके बाद कोई ऐसा कार्य किया है या करें जिसके कि उस तारीख के पहले किये जाने की दशा में वे व्यक्ति उक्त विधि के अन्तर्गत आ जाते, निराकरण करने और उस प्रयोजन के लिये तथा कतिपय अन्य प्रयोजनों के लिये निष्क्रांत सम्पत्ति व्यवस्था अधिनियम, १९५०, में संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"निष्क्रान्त सम्पत्ति सम्बन्धी विधि का ऐसे व्यक्तियों के सम्बन्ध में, जिन्होंने ७ मई, १९५४ को या उसके बाद कोई ऐसा कार्य किया है या करें जिसके कि उस तारीख से पहले किये जाने की दशा में वे व्यक्ति उक्त विधि के अन्तर्गत आ जाते, निराकरण करने और उस प्रयोजन के लिये तथा कतिपय अन्य प्रयोजनों के लिये निष्क्रान्त सम्पत्ति व्यवस्था अधिनियम, १९५० में संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री ए० पी० जैन: मैं विधेयक को पुर:-स्थापित करता हूं।

प्रादेशिक सेना (संशोधन) विधेयक

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : मैं प्रादेशिक सेना अधिनियम, १९४८ में अग्रेतर संशोधन करने के लिए एक विधेयक पुर:-स्थापित करने की अनुमति चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"प्रादेशिक सेना अधिनियम, १९४८ में अग्रेतर संशोधन करने के लिये एक विधेयक पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री त्यागी : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

विशेष विवाह विधेयक (जारी):—

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन १५ मई, १९५४ को श्री सी० सी० बिस्वास द्वारा रखे हुये प्रस्ताव पर विचार करेगा।

श्री गाडगील : मैं निवेदन करूंगा कि इस चर्चा को यहीं समाप्त न कर इसे अगले अधिवेशन में रखा जाय।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरु) : मुझे कुछ कठिनाई का अनुभव हो रहा है। मैं नहीं चाहता कि इस विशेष विधि के अथवा इसी प्रकार का किसी अन्य विधि के बारे में वाद-विवाद पर कोई प्रतिबन्ध लगाया जाय। यह एक महत्वपूर्ण विषय है और यह समझा जाना वांछनीय नहीं होगा कि इसे बहुत तेज़ी के साथ पारित किया गया है। इसके विपरीत, यह विषय बहुत समय से इस सदन के सम्मुख है। आशाओं का निरन्तर टलते जाना हृदय को दुखी बना देता है। वर्ष प्रतिवर्ष तथा सत्र प्रतिसत्र जो विलम्ब होता रहा है उससे हम में से बहुत लोग तंग आ चुके हैं। इस में सदन का कुछ दोष नहीं है, कई कारणों से वैसा होता रहा है। अतः अब प्रश्न इसके लिये एक और दिन निश्चित करने का नहीं है। जैसा कि माननीय सदस्य श्री गाडगील ने कहा है यह तो स्पष्ट ही है कि हम इसे इस सत्र में पारित नहीं कर सकते। यदि इसे अगले सत्र में एक और दिन दे दिया जाय तो इससे कुछ ऐसा अन्तर नहीं पड़ता। मैं इस प्रस्ताव को मानता हूं किन्तु इस परन्तुक के अधीन कि अब अगले सत्र में इस पर तेज़ी के साथ विचार होना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : तो अब यह निश्चित हो गया है कि सविचार के लिये एक दिन और दिया जाएगा। उसके पश्चात् विचार समाप्त हो जाएगा और खंड पर विचार आरम्भ होगा। जब तक इस विधेयक सम्बन्धी कार्यवाही समाप्त नहीं होगी इसमें किसी प्रकार का विघ्न नहीं पड़ने दिया जाएगा।

श्री आर० के० चौधरी (गौहाटी) : मैं इस विधेयक का पूर्णरूपेण समर्थन करता हूं; न केवल समर्थन करता हूं वरन् यह भी चाहता हूं कि इसका क्षेत्र कुछ बढ़ाया जाय।

इस विधेयक द्वारा एक कम खर्च के विवाह की व्यवस्था की गई है। कोई मंत्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, किसी हवन इत्यादि की ज़रूरत नहीं है। लड़का कहेगा "मैं तुम्हें पत्नी रूप में ग्रहण करता हूं" और लड़की कह देगी "मैं तुम्हें पति रूप में ग्रहण करती हूं" और विवाह हो जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय : हस्ताक्षर और रजिस्ट्री की आवश्यकता होगी।

श्री आर० के० चौधरी : माननीय विधि मंत्री ने हिन्दुओं के सम्मुख यह प्रलोभन तो रखा है, किन्तु आज से दस वर्ष पहले उनके इस विषय में कुछ और ही प्रकार के विचार थे।

सोलह वर्ष की आयु से २१ वर्ष की आयु तक एक लड़की को अपना समय नावल इत्यादि पढ़ने, खाना पकाना सीखने नृत्य, संगीत इत्यादि में बिताना होगा, तभी वह इस प्रकार के विशेष विवाह के योग्य बन सकेगी। किन्तु यही प्रतीक्षाकाल तो सर्वाधिक संकट का काल होता है।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य की बात कुछ ठीक समझ में नहीं आ रही है। या तो यह विशेष विवाह कम खर्च वाला होना चाहिए अतः उस अवस्था में आयु घटनी चाहिए और या यह आयु बढ़नी चाहिए क्योंकि अधिक समय तक प्रतीक्षा न कर सकने के फलस्वरूप लड़कियां पुरातन रीति के अनुसार ही विवाह करने पर उद्यत होंगी।

विधि तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री बिस्वास) : यदि और सस्ता बनाने और मधुरतर बनाने के बीच चुनाव करना हो, तो वह उसे मधुरतर बनायेंगे।

श्री आर० के० चौधरी : मैं कहना यह चाहता था कि लड़कियों के लिये यह आयु १६ वर्ष होनी चाहिये। मैं २१ वर्ष की आयु के पक्ष में नहीं हूं। १६ वर्ष और २१ वर्ष की आयु के बीच के छै वर्ष किसी भी लड़की के जीवन के बहुत ही नाजुक वर्ष होते हैं। वैसे यह विवाह का एक सस्ता तरीका है।

उपाध्यक्ष महोदय : वे चाहें तो विवाह पुराने तरीके के अधीन विवाह कर सकती हैं।

श्री आर० के० चौधरी : यदि कोई व्यक्ति इस विधेयक के अधीन अपनी इच्छानुसार किसी लड़की से विवाह करना चाहे तो उसे अपने माता पिता से किसी प्रकार की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। वे दोनों इस विधेयक के अधीन विवाह कर सकते हैं। इसके बाद यदि वह एक दूसरे से ऊब जायें तो उस समय विवाह-विच्छेद की व्यवस्था है। मैं समझता हूं कि हिन्दू लड़के लड़कियों के लिये यह प्रलोभन बहुत बुरा है।

इस विधेयक के उपबन्ध के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी विवाहित महिला से विवाह करने का इच्छुक हो, तो वह उस महिला के विवाह-विच्छेद के बाद ऐसा कर सकता है। यह बहुत ही अनुचित है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है 'परदारेशु मातृवत अर्थात दूसरे व्यक्ति की पत्नी को माता के रूप में देखना चाहिये। परन्तु इस विधेयक के द्वारा तो इस सिद्धान्त और शास्त्रोक्त वचनामृत की नृशंस हत्या की जा रही है। इसके द्वारा हिन्दू धर्म के सारे ढांचे को ही नष्ट किया जा रहा है।

हिन्दू धर्म पर अनावश्यक रूप से कीचड़ उछालने वाला काम नहीं किया जाना चाहिये। हिन्दू और ईसाई धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि किसी भी आदमी के लिये सम्पूर्ण जीवन के लिये केवल एक ही पत्नी होनी चाहिये, यह नहीं कि जीवन के एक काल के लिये एक पत्नी। मैं इस प्रकार के एक विवाह के पक्ष में हूं। बार बार विवाह-विच्छेद करके कई पत्नियां रखने वाले ढंग के विवाह को मैं अच्छा नहीं समझता हूं। इसको मैं अनैतिक समझता हूं। और इसी प्रकार के विवाह की रूपरेखा माननीय मंत्री ने हमारे सामने रखी है। मेरे विचार से नैतिकता के आधार पर किसी भी प्रकार का विवाह-विच्छेद नहीं होना चाहिये।

विधेयक के अनुसार, विवाह-विच्छेद के बाद एक वर्ष रुक कर पुनः विवाह किया जा सकता है। विवाह-विच्छेद और पुनः विवाह के बीच के इस एक वर्ष की अवधि के विरुद्ध मुझे बहुत आपत्ति है। सामान्य रूप से यह विधान संत्रस्त महिलाओं के लाभ के लिये है। ऐसी अधिकांश महिलाओं के पास कोई सम्पत्ति नहीं होती है। जब वे अपनी विवाह-विच्छेद की याचिकायें प्रस्तुत करती हैं तो उन याचिकाओं के व्यय उनके भावी पति देते हैं। ऐसी दशा में वह व्यक्ति उस महिला से विवाह करने के लिये एक वर्ष तक प्रतीक्षा क्यों करने लगा। हो सकता है कि वह इतनी लम्बी प्रतीक्षा करने को तैयार न हो। इसलिये यदि आप इस विधान से महिला को लाभ पहुंचाना चाहते हैं, तो उसको विवाह-विच्छेद के बाद दूसरा विवाह यथासम्भव शीघ्र ही कर लेने देने की अनुमति देनी चाहिये। मेरा सुझाव यह है कि इस एक वर्ष की अवधि को घटा कर तीन महीने कर दिया जाये ताकि ऐसी महिला का भावी पति उससे विवाह करने के सम्बन्ध में अपने विचार न बदल सके। अन्यथा सम्भव है कि इस एक वर्ष की अवधि में ही वह उस महिला से विवाह करने का विचार ही छोड़ दे और किसी दूसरी लड़की से विवाह कर

[श्री आर० के० चौधरी]

ले। मुस्लिम विधि में भी तीन महीने का ही उपबन्ध है।

दूसरी बात मैं यह यह पूछना चाहता हूं कि भारत में इस विवाह-विच्छेद विधेयक को कौन लोग चाहते हैं ? मुसलमानों के विधान में तो इसके लिये पहले ही से व्यवस्था है। जहां तक हिन्दुओं का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि उनकी एक नगण्य संख्या ही कदाचित् इसके पक्ष में हो। मैं तो यह समझता हूं कि इससे अधिकांश व्यक्तियों को कोई लाभ नहीं पहुंचेगा। यदि आप ऐसा ही चाहते हैं, तो फिर ग्रेटना ग्रीन नामक स्थान पर होने वाले विवाह के ढंग को आप यहां पर भी क्यों नहीं चालू कर देते हैं ? उक्त स्थान स्काटलैंड की सीमा के निकट है, और वहां जाकर यदि कोई पुरुष और महिला एक रात पति और पत्नी के रूप में रह लेते हैं, तो उनका विवाह पूर्ण हो जाता है। इसमें तो और भी कम झंझट है। एक बात और है, यह विधान सारे राज्य क्षेत्रों पर लागू होगा, परन्तु जम्मू और काश्मीर पर नहीं। ऐसा क्यों किया गया है ? वहां पर भी इसे लागू किया जाना चाहिये क्योंकि विवाह के लिये वह एक बहुत ही उपयुक्त स्थान है।

जहां तक विवाह के रद्द होने का सम्बन्ध है, मैं माननीय मंत्री से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। विधेयक के खण्ड २४ के अनुसार इस अधिनियम के अधीन किया गया ऐसा कोई भी विवाह रद्द और शून्य घोषित किया जा सकता है, जिसमें धारा ४ के खण्ड (क) (ख) (ग) तथा (घ) में निर्दिष्ट किसी भी शर्त का पालन न किया गया हो।

उक्त शर्तों के अन्तर्गत प्रतिषद्ध पीढ़ियों के कारण विवाह की शून्यता आ जाती है। मेरा निवेदन इस सम्बन्ध में यह है कि जब पुरुष और नारी दोनों ही सत्य को जानते हुए भी यह घोषित करते हैं, कि उनके बीच प्रतिषद्ध पीढ़ियां नहीं हैं, तो फिर कुछ वर्षों के बाद आप उसी विवाह को प्रतिषद्ध पीढ़ियों के आधार पर रद्द घोषित किये जाने की अनुमति क्यों देते हैं ? इसके लिये कोई समय सीमा भी निश्चित नहीं की गई है। इसका होना बहुत आवश्यक है। आपको यह स्पष्ट रूप से घोषित कर देना चाहिये कि इतने वर्षों के बाद कोई भी विवाह रद्द घोषित नहीं किया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : अन्य बहुत से माननीय सदस्य भी इस वाद-विवाद में भाग लेना चाहते हैं। माननीय सदस्य अपने बाकी तर्क खण्डवार विचार के समय दे सकते हैं।

श्री आर० के० चौधरी : विवाह-विच्छेद के सम्बन्ध में कपट-मंत्रणा या अभिसन्धि का उल्लेख भी किया गया है। जब दोनों ही पक्ष पारस्परिक सहमति से विवाह-बिच्छेद करते हैं, तो फिर इस का प्रश्न ही कहां उठता है ?

मुझे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं जो जो मैं बाद में कहूंगा।

श्रीमती जयश्री (बम्बई-उपनगर) : मैं यह समझती हूं कि यह विधेयक संविधान में निगमित मूलभूत अधिकारों की प्रत्याभूति के विरुद्ध नहीं जाता है, क्योंकि वह अपने उपबन्धों को ऐसे किसी व्यक्ति पर लागू नहीं करना चाहता है जो इस विधान के अधीन रहना नहीं चाहता है। यह एक अनुमतिक विधान है। साथ ही साथ यह संविधान के उपबन्धों के अनुकूल है। संविधान के अनुच्छेद ४४ में कहा गया है कि राज्य को एक सी व्यावहारिक संहिता सम्पूर्ण देश के लिये बनानी चाहिये। यह विधान उसी के अन्तर्गत आ जाता है। १८७२ के अधिनियम का संशोधन बहुत उपयोगी सिद्ध होगा।

आजकल भारत में विविध व्यक्तिगत विधियों के अनुसार विवाह के तरीके भिन्न-भिन्न हैं। मैं तो यह समझती हूं कि विवाह उससे सम्बन्धित दो व्यक्तियों का ऐच्छिक सहयोग है। उसके अधिकारों की रक्षा और उसके कर्त्तव्यों का लागू करना राज्य का कर्त्तव्य है। अतः जहां तक राज्य का सम्बन्ध है, विवाह एक व्यवहारिक संविदा होना चाहिये।

जहां तक विवाह की आयु का सम्बन्ध है, मेरे विचार से यह आयु १८ वर्ष होनी चाहिये, जैसा कि पुराने अधिनियम में है। इस आयु को बढ़ा कर २१ वर्ष करना ठीक नहीं है। इंग्लैण्ड में यह आयु १६ वर्ष रखी गई है।

इस विधेयक में जो दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है वह पहले हो चुके विवाहों के पंजीयन के सम्बन्ध में है। मेरे विचार से यह खण्ड केवल उन्हीं विवाहों तक सीमित रहना चाहिये जो भूतकाल में हो चुके हैं। भविष्य में होने वाले विवाहों पर यह लागू नहीं होना चाहिये। अन्यथा बहुत गड़-बड़ी पैदा हो जायेगी। इससे महिलायें अनुचित लाभ उठाना चाहेंगी, क्योंकि उत्तराधिकार के सम्बन्ध में इसके द्वारा उन्हें लाभ पहुंचेगा। परन्तु, जैसा कि मैंने कहा, इसमें भी कुछ परिवर्तन किया जाना चाहिये।

दाम्पत्य अधिकारों की स्थापना सम्बन्धी खण्ड २२ को निकाल देने के लिये मैं मंत्री महोदय से अपील करती हूं। यह उपचार हमारी वर्तमान सभ्यता के अनुकूल नहीं है। प्रधान मंत्री ने एक उदाहरण दिया कि दुल्हिन को जब दूल्हे की बीमारी का पता चला तो उसने उसके साथ जाने से इंकार कर दिया, किन्तु दूल्हे ने लड़की के विरुद्ध अभियोग चला दिया। क्या इस प्रकार की अत्याचारपूर्ण विधि बनाना वांछनीय है?

न्यायिक पृथक्करण परित्याग के आधार पर प्राप्त किया जा सकता है। यदि यह खण्ड निकाल दिया जाये, तो दो वर्ष के परित्याग के आधार पर न्यायिक पृथक्करण हो सकता है, मैंने इसके सम्बन्ध में एक संशोधन रखा है।

विवाह-विच्छेद सम्बन्धी खण्ड २७ का उपखण्ड (ज) हटा दिया जाना चाहिये। हमारे समाज में स्त्रियों को पैर की जूती समझा जाता है। महिलायें अपने प्रति न्याय किये जाने की मांग करती हैं और केवल विवाह-विच्छेद के लिये विवाह-विच्छेद की मांग नहीं करती हैं। कृपालानी जी का स्त्रियों को अर्धांगिनी कहना उचित है। परन्तु सभी पुरुष तो ऐसे नहीं हैं। लाखों महिलायें इन असमर्थताओं के कारण पीड़ित हो रही हैं। हम देखते हैं कि बहुतसी स्त्रियां बदनाम स्थानों पर जाती हैं और गढ़-वाल में लड़कियां बेची जाती हैं। क्या स्त्रियां इस प्रकार बाजारों में अन्य चीजों के समान बेची जाने की पात्र हैं?

यदि हमारा आदर्श समाज हो, तो कोई भी स्त्री विवाह-विच्छेद नहीं चाहेगी। महिलायें अपने घरों को सुसम्पन्न और सुन्दर बनाना चाहती हैं। विवाह-विच्छेद के अनुमत हो जाने के बाद लोग किसी न किसी कारण अपनी पत्नियों को छोड़ देंगे, इसलिये हमें ऐसा मार्ग सोचना चाहिये जिससे कि समाज में विवाह-विच्छेद होने का कोई कारण ही न रहे।

उपाध्यक्ष महोदय : एक विवाह पद्धति के कारण पति दूसरी पत्नी नहीं रख सकता है।

श्रीमती जयश्री : एक विवाह का उप-बन्ध, स्त्रियों को संरक्षण देने के लिये किया गया है। यदि इस उपबन्ध को हटा दिया जाता है तो स्त्री न्यायालय में जाकर विवाह-विच्छेद की मांग करेगी और यदि उसको कुछ पोषण-व्यय दिया जाये तो वह सुख और शान्ति से रह सकती हैं।

यदि केवल पति द्वारा परित्याग, अत्याचार और स्वभावेण मद्यपान तथा नपुंसकता के आधार पर स्त्रियां

[श्रीमती जयश्री]

विवाह-विच्छेद चाहती हैं तो मुझे इस खण्ड से सहमत होने में कोई हानि दिखाई नहीं देती है।

पारस्परिक सहमति के इस नवीन खण्ड का मैं विरोध करती हूं क्योंकि अशिक्षित होने के कारण लोग अपनी पत्नियों को सहमति देने के लिये बाध्य कर सकते हैं। इसे मूल विधेयक में दिये गये आधारों तक ही सीमित रखा जाना चाहिये।

पोषण-व्यय के विषय में यह उपबन्ध है कि यदि किसी स्त्री को पोषण-व्यय मिलता है और वह पुनर्विवाह कर लेती है या अनैतिक जीवन व्यतीत करती है, तो उसका पोषण-व्यय बन्द किया जा सकता है। इस "अनैतिक जीवन" का स्पष्टीकरण होना चाहिये। अन्यथा इस के कारण भ्रमवश स्त्रियों को हानि पहुंच सकती है।

मुझे इस बात से प्रसन्नता हुई है कि बच्चों को पर्याप्त संरक्षण दिये जाने की प्रत्याभूति दी गई है चाहे वह विवाह के परिणामस्वरूप या उस से अनपेक्ष उत्पन्न हुआ हो। इसके अतिरिक्त इस विधेयक का नाम होना चाहिये था "भारतीय विशेष विवाह अधिनियम" क्योंकि यह भारत से बाहर भी लागू होने वाला है।

श्री लक्ष्मय्या (अनन्तपुर) : महिला सदस्या की यह बात सुन कर मुझे आश्चर्य हुआ कि स्त्रियों को पैर की जूती समझा जाता है, जबकि वस्तुस्थिति यह है कि बड़े बड़े प्रभावशाली और निर्धन लोग घर में मेमों की तरह बर्ताव करते हैं, और नारी को घर की लक्ष्मी माना जाता है। फिर भी नारी शोर मचाती हैं। मैं उन्हें सम्पत्ति में अधिकार देने के पक्ष में हूं क्योंकि इससे घरों में उनकी स्थिति और भी दृढ़ हो जायेगी।

विवाह सामाजिक और राष्ट्रीय सम्बन्ध है, जो संसार में नैतिकता की स्थापना करता है। मैं इन दो विधेयकों को प्रस्तुत करने के लिये विधि मंत्री को धन्यवाद देता हूं।

अच्छी नारी के साथ विवाह कर के जीवन स्वर्ग और बुरी के साथ जीवन नरक बन जाता है। नारी का आदर अवश्य होना चाहिये और होता भी है। क्योंकि इस विधि का समस्त राष्ट्रीयजीवन पर प्रभाव पड़ने वाला है, इसलिये इसे बहुत विचारपूर्वक, और शाश्वत आधार पर बनाया जाना चाहिये।

सब लोगों के विचारों और अनुभवों पर विचार करने के पश्चात् ही यह विधि बनाई जानी चाहिये और इस विधेयक में यथा-संभव संशोधन होने चाहियें। प्रगतिशील उपक्रम होने के नाते मैं इसका स्वागत करता हूं।

यह विधेयक सब मतों और जातियों के लोगों के लिये है यह इसकी विशेषता है। पहले हमारे समाज में अनेक प्रकार के विवाह होते थे और इस प्रकार की सन्तानें मानी जाती थीं। हमारे ऋषियों ने समय की प्रचलित स्थितियों के अनुसार विधि का निर्माण किया था। इसलिये अब यह हमारे लिये कोई बिल्कुल नई विधि नहीं है। हिन्दू विवाह विधेयक में कुछ गुण हैं किन्तु उत्तराधिकार, दायाधिकार, और संयुक्त परिवार से प्रथकता आदि के मामलों में इसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा।

कुछ विशेष परिस्थितियों में विवाह-विच्छेद ठीक है, किन्तु सब प्रकार के अविचार-पूर्ण उपबन्ध करना उचित नहीं है। क्या पति को न्यायालय में जाकर अपनी पत्नी की बीमारियों और व्यभिचार का वर्णन करना शोभा देता है। यदि वे पृथक्करण चाहते हैं तो यह पारस्परिक सहमति द्वारा होने दिया जाये। न्यायालय को उन्हें पुनर्विचार करने और

पुनः सुलह करने के लिये एक साल या छः महीने का अवकाश देना चाहिये। उसके पश्चात् यदि वे सुलह नहीं करते हैं, तो उन्हें पृथक होने की अनुमति दी जाये। एक विवाह प्रथा होते हुए, विवाह के ग्यारह आधार बनाने की कोई आवश्यकता नहीं हैं? श्री रामचन्द्र ने एक विवाह प्रथा का जीवनपर्यन्त पालन किया। एकमायित्व का उपबन्ध होते हुए विवाह-विच्छेद की व्यवस्था करना अनिवार्य नहीं है। क्या वह बेचारा, जिसे उसकी पत्नी ने छोड़ दिया है, विधुरावस्था में अपना जीवन समाप्त कर दे? कठिनाई यह है कि हम अपनी पत्नियों से तो सीता और सावित्री बनने की आशा रखते हैं और स्वयं राम नहीं बनना चाहते हैं। इसलिये स्त्रियां विवाह-विच्छेद चाहती हैं। एक विवाह के होते हुए विवाह-विच्छेद की कोई आवश्यकता नहीं हैं, पर यदि सदन बहुमत से इसे पास करना चाहता है, तो भयंकर आरोप लगाने और इन आधारों पर अभियाचना देने की बजाये, उन्हें न्यायालय में जाकर छः महीने या एक साल का अवसर दिये जाने के पश्चात् विवाह-विच्छेद करने दो।

खंड ४ के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि लड़की की आयु, उसके पिता या अभिरक्षक की सहमति से अठारह वर्ष कर दी जानी चाहिये।

जब हम सुशिक्षित लोगों को दूसरी जाति वालों के साथ विवाह करने की अनुमति देते हैं, तो माता पिता या भाई के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को, उसमें आपत्ति कर सकने का उपबन्ध क्यों किया जाता है? इसके द्वारा शरारती लोग उनको धमका कर धन बटोरने का प्रयत्न करेंगे। जब लोगों को संवरण करने की स्वतन्त्रता दी जाती है, तो उनके मार्ग में बाधायें क्यों रखी जानी चाहियें। यदि सदन बाधाएं रखना चाहता है, तो उस असम्बद्ध व्यक्ति से प्रत्याभूति मांगनी चाहिये तब मामले की पड़ताल की जाये।

खंड ६ के उपखंड (२) में कहा गया है कि विवाह अधिकारी को विवाह की सूचना समाचार पत्रों आदि में प्रकाशित करनी चाहिये ताकि वर-वधू के माता पिता आदि जान सकें और आपत्ति करने का उनको अवसर मिल सके। ऐसा विवाह करने पर अपने आप संयुक्त परिवार से पृथक्करण नहीं होना चाहिये। यदि लड़के के भाई आदि पृथक्करण चाहते हैं, तभी पृथक्करण होना चाहिये, अन्यथा नहीं। संशोधनों के समय मैं विस्तार से अपने विचार रखूंगा।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : १९४९ में मैंने एक विधेयक प्रस्तुत किया था और सदन ने इससे अधिक क्रान्तिकारी विधेयक को पारित किया था। विदेशियों के समय ऐसी स्थिति हो गई थी कि विभिन्न समाजों के लोग परस्पर विवाह नहीं कर सकते थे। प्रयाग उच्च न्यायालय ने एक क्षत्रिय महिला का ब्राह्मण युवक से विवाह अवैध ठहराया था। श्री विट्ठल भाई पटेल ने इस अत्याचार को अनुभव किया और मेरे विधेयक प्रस्तुत करते ही पांच मिनट में वह पास हो गया। जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न समाजों के बीच होने वाले विवाह वैध घोषित कर दिये गये। आज भी हिन्दुओं के प्रत्येक समुदाय के बीच विवाह पूर्णतया मान्य है। परन्तु यदि कोई हिन्दू, मुसलमान या ईसाई से या इसके उलट कोई विवाह करना चाहे, तो उसकी मान्यता का कोई उपबन्ध नहीं है। अंगरेज़ों ने १८७२ में यह उपबन्ध किया था कि ऐसा विवाह करने से पूर्व हिन्दू या मुसलमान को अपने हिन्दू या मुसलमान न होने की घोषणा करनी पड़ती थी। पहले यदि कोई हिन्दू या सिख या जैन अपनी जाति से बाहर की किसी लड़की से विवाह करना चाहता था, तो उसे अपने हिन्दू या सिख या जैन न होने की घोषणा

[पंडित ठाकुरदास भार्गव]

करनी पड़ती थी। १९२३ में यह अधिनियम बनाया गया कि अपना धर्म छोड़े बिना हिन्दू, सिख, जैन परस्पर विवाह कर सकते थे और फिर भी अपना धर्म कायम रख सकते हैं, किन्तु साथ ही उस विवाह पर यह शर्त भी लगाई गई थी कि व्यवहारिक रूप में वह व्यक्ति हिन्दू नहीं रहता था। उसे यह कहना पड़ता था कि उत्तराधिकार नियम उस पर लागू नहीं होते थे अपितु उसके सम्बन्ध में भारतीय उतराधिकार अधिनियम लागू होता था। डा० गौड़ अपने विधेयक को पारित कराने का लोभ संवरण नहीं कर सके और इन प्रतिबन्धों को उन्होंने स्वीकार कर लिया।

मैं यह चाहता हूं कि यदि कोई हिन्दू या मुसलमान या सिख या जैन किसी अन्य जाति वाले से विवाह करना चाहता है वह विवाह के पश्चात् भी हिन्दू, मुसलमान, सिख या जैन ही रहेंगे। मैं चाहता हूं कि १९२३ में लगाया गया प्रतिबन्ध हटा दिया जाये।

वर्तमान विधेयक कुविचारित है, इसे उपयुक्त दृष्टिकोण से तैयार नहीं किया गया है। धर्म छोड़ने की घोषणा करने के वही पुराने प्रतिबन्ध इसमें भी पाये जाते हैं। इस विधेयक की धारा १५ इस विधेयक के अन्तर्गत किये गये विवाहों को अधिमान देती है। मैं नहीं चाहता कि इस अधिनियम के अन्तर्गत हुए विवाहों को अन्य सभी प्रकार के विवाहों पर अधिमान दिया जाये। इसलिये मैं सभी विवाहों के इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीबद्ध कराये जाने के विरुद्ध हूं। सरकार ने इस सम्बन्ध में जागरूकता से काम नहीं लिया है। सरकार इस महत्वपूर्ण मामले की वर्षों से उपेक्षा करती आई है। सरकार को ऐसे महत्वपूर्ण राष्ट्र-निर्माता विभागों के लिये एक पृथक मंत्रालय बनाना चाहिये था। यदि वर्तमान माननीय विधि मंत्री के स्थान पर किसी सामाजिक सुधार मंत्री ने इस विधेयक को प्रस्तुत किया होता तो ऐसी महत्वपूर्ण बातों की उपेक्षा नहीं की गई होती। गत सात वर्षों में सरकार ने अन्तर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहन देने के लिये कुछ भी नहीं किया है। अन्तर्जातीय तथा अन्तर्प्रान्तीय विवाह ही वह आधार हैं जिन पर एक सुदृढ़ राष्ट्र की नींव रखी जा सकती है। यदि दो तीन लाख ऐसे विवाह हो जायें तो पंजाब में हिन्दुओं और सिखों की सारी समस्या ही समाप्त हो जाये। प्राचीन काल में यह ऐसे विवाह हुआ करते थे। हिन्दू समाज एक ऐसा समाज है जिसमें सभी धर्म समा जा सकते हैं। आज तक जितनी विदेशी जातियां भारत में आई हैं वह सभी हिन्दू समाज में विलीन हो गई हैं। यदि इस विधेयक को इस दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया होता तो संविधान के अनुच्छेद ४४ में जो ध्येय रखा गया है वह पूरा हो गया होता। उदाहरण के लिये यदि विवाह की आयु २१ वर्ष रखी जाती है तो सारे भारत वर्ष के लिये निश्चित की जा सकती थी। यदि इस विधेयक के अन्तर्गत विवाह करने वालों पर भारतीय उत्तराधिकार नियम लागू होता है तो क्या सभी हिन्दू इसे स्वीकार कर लेंगे ? मेरा यह प्रश्न है कि क्या यह कोड ३० करोड़ हिन्दुओं को मान्य होगा ? यदि आप कोई सामान्य कोड बनाना चाहते हैं तो आप को उस में वह सभी बातें रखनी होंगी जो अधिक से अधिक लोगों को मान्य हों। ऐसा न होने पर कोई एक समान कोड बनाना सम्भव नहीं है।

सन् १९४९ का विधेयक कुछ ही मिनटों में पास हो गया था। यदि इस विधेयक को विवाह के इच्छुक विभिन्न धर्मावलम्बियों तक ही सीमित रखा गया होता तो इसके पारित होने में अधिक समय नहीं लगता। हिन्दू समाज सदा से ही उदार माना तथा उदारचेता रहा है

और इसी कारण हिन्दू कोड बिल इस सदन में प्रस्तुत किया गया था। इस विधेयक में विवाह-विच्छेद तथा एक विवाह के जो उपबन्ध हैं उनके सम्बन्ध में सभी अपने विचारों को प्रकट करना चाहते हैं। मेरा निवेदन यह है कि यदि यह विधेयक समाज सुधार की भावना से प्रस्तुत किया गया होता तो इसका स्वागत हुआ होता। माननीय मंत्री ने अपनी जो विचार-धारा व्यक्त की थी उससे मैं प्रसन्न हूं। उन्होंने कहा था, "यह आर्थिक स्वतन्त्रता के लिये है। सरकार पुरुषों को ही नहीं स्त्रियों को भी आर्थिक रूप से स्वतन्त्र कर देना चाहती है। पिता की सम्पत्ति में भाग मिलने से लड़की को आर्थिक स्वतन्त्रता मिल सकती है। परन्तु यही पर्याप्त नहीं है। यह कहना कि स्त्री पैर की जूती है या पुरुष गुलाम हैं कुछ जंचता नहीं है। हमें अपनी आंखों को खोल कर तथा सभी परिस्थितियों पर ध्यान रख कर ही कार्य करना चाहिये। मेरी इच्छा है कि यह विधेयक केवल हिन्दुओं पर ही नहीं अपितु सभी पर लागू हो। यही मेरा विचार है।"

परन्तु केवल सोचने भर से तो काम चलता नहीं है। दोनों विधेयक सदन के समक्ष हैं, उनको अपने विचारों को कार्यरूप में परिणित करने का पूरा अवसर है। विधि मंत्री प्रत्येक विधेयक की वैधानिकता की जांच करते हैं परन्तु वह अपने विचारों को उनमें स्थान नहीं दे सकते हैं। यही सुझाव मैंने हिन्दू कोड बिल पर चर्चा होने के अवसर पर दिया था और यही सुझाव मैं आज भी दे रहा हूं।

विवाह के परिणामस्वरूप पति और पत्नी की सम्पत्तियां तथा उनकी आमदनियां संयुक्त हो जानी चाहियें। इससे आर्थिक स्वाधीनता की समस्या हल हो जायेगी। हम विवाह विधियों में इस प्रकार के परिवर्तन करें जिनसे कि भारत की महिलायें स्वाधीन तथा आत्मनिर्भर बनेंगी। मेरी राय में विवाह-विच्छेद के कारण, भारत में स्त्रियों को कष्ट उठाने पड़ते हैं, पुरुषों को नहीं। विवाह-विच्छेद स्त्रियों के हित में नहीं है। मैं तो भारत की एक पुराणमतवादी जाति में पैदा हुआ हूं। फिर भी ३० वर्ष के पहिले हमने विधवा-विवाह का समर्थन किया था। विधवा-विवाह अधिनियम होते हुये भी मुश्किल से कुछ एक या दो विधवाओं ने पुनर्विवाह किये होंगे इसी प्रकार से, विवाह-विच्छेद की अनुमति दी जाने पर भी, मैं नहीं समझता कि विवाह-विच्छेद अधिक संख्या में होंगे। हमें पत्नी को वास्तविक रूप में समान अंशधारी अर्धांगी बना देना चाहिये। फिर यह समस्या सरल हो जायेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : अर्थात् पति पत्नी का त्याग आसानी से नहीं कर सकेगा। उसे पत्नी के साथ साथ आधी सम्पत्ति से भी हाथ धोना पड़ेगा। क्या यही आपका सुझाव है ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : बिलकुल। यह सुझाव तो आप ने ही एक बार किया था। हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार भी विवाह का यही उद्देश्य और आदर्श है कि पति पत्नी संयुक्तरूप से धनार्जन करें। आज भी हमारे अधिकतर परिवारों में स्त्रियां ही रानियां हैं। मैं उनके राज्ञिपद को ठोस आर्थिक आधार देना चाहता हूं।

हिन्दू विधि में विवाह-विच्छेद का उपबन्ध नहीं है और उसके कारण कतिपय स्त्रियों के जीवन दुखी बन जाते हैं। इन व्यवहारिक कठिनाइयों को देखते हुये मैं विवाह-विच्छेद का समर्थन करता हूं। मैं भी उन्हीं परम्परागत संस्कारों में पला हूं जिनमें कि मेरे सनातनी मित्र पले हैं।

[पंडित ठाकुरदास भार्गव]

में भी विवाह के उस आदर्श को ही मानता हूं कि वह दो आत्माओं का अविभाज्य मिलन है। किन्तु हमें वास्तविकता की उपेक्षा नहीं करनी चाहिये। आज एक सज्जन किसी लड़की के साथ विवाह करके एक सप्ताह के बाद उसे छोड़ देता है। तब उस बेचारी का क्या होगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या इस विधान के अनुसार वह दूसरा विवाह नहीं कर सकती है ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : हिन्दू विवाह तथा विवाह-विच्छेद विधेयक के पारित होने पर यह बात देखी जायगी। जहां तक इस विधेयक का प्रश्न है, मैं सदन के समक्ष एक गंभीर प्रस्थापना रख रहा हूं। वह इस प्रकार है कि हम पहले दूसरा विधेयक पारित करें और उसके बाद इस विधेयक पर विचार करें। यदि दूसरे विधेयक में हम इस प्रकार के उपबन्ध रखते हैं जो पूर्णतया न्याय हों, और जो इस विशेष विवाह विधेयक के उपबन्धों से भी दूर जाते हों, और जिसमें महिलाओं को उस विधेयक के अन्तर्गत मिलने वाले अधिकारों से अधिक अधिकार मिलते हों तो पंजीयन का कोई भी प्रश्न पैदा नहीं होता। जहां तक हिन्दू विवाह और विवाह-विच्छेद विधेयक का प्रश्न है, मैं नहीं चाहता कि एक महिला को यहां की अपेक्षा कम अधिकार मिलें, और मैं इसीलिये यह कहने को तैयार हूं कि उसे अधिक अधिकार मिलेंगे। हम भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम की बात सोच रहे है, किन्तु वह हिन्दुओं पर लागू नहीं किया जा सकेगा। मुझे इस बात में सन्देह है कि सभी लोग भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम से परिचित नहीं हैं।

श्री गाडगील: इस नये अधिनियम से नये गहस्थी लाभ तो उठा सकेंगे किन्तु उन विवाहित व्यक्तियों का क्या होगा जो एक पत्नीत्व का लाभ उठाना चाहते हों क्या वे अपने नाम पंजीबद्ध करायेंगे ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : फिर वही प्रश्न पैदा होता है। नये विधेयक के अधीन बहुपत्नीत्व निषिद्ध होगा। इसी लिये मैं कह रहा हूं कि दूसरा विधेयक जल्दी से पारित किया जाये। जिनका विवाह हो चुका है, उन्हे इस से कोई भी घाटा नहीं होता। यदि हिन्दू विवाह और विवाह-विच्छेद विधेयक पारित किया जाये तो यह उन पर लागू होगा, और इस से उन्हें एकपत्नीत्व विवाह-विच्छेद और उत्तराधिकार का पूरा-पूरा लाभ होगा। जो पहले के विवाह हो चुके हैं, और अब इस खण्ड चार के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले उपबन्ध के अभाव में बिल्कुल शून्य हुये हैं, उन सभी की पुष्टि होनी चाहिये। इस प्रकार के विवाह से पैदा हुये बच्चे को जायज़ नहीं समझा जाना चाहिये। महात्मा गांधी, स्वामी श्रद्धानन्द, भाई परमानन्द, और हजारों अन्य लोगों ने इस तरह के अन्तर्जातीय विवाह किये। १८७२ और अब या १९२३ के बीच इस प्रकार के विवाह हुये और इस प्रकार के विवाह वर्तमान धारा ४ के अनुसार ठीक हैं —इन की पुष्टि इसी प्रकार होनी चाहिये जिस प्रकार १९४९ के अधिनियम ४१ द्वारा अन्तर्जातीय विवाह की पुष्टि हुई थी। डा० अम्बेडकर ने पुरानी हिन्दू संहिता में यह एक मात्र प्रस्ताव रखा था कि कुछेक प्रकार के विवाहों को ही प्रमाणिक माना जाये। हिन्दू विधि के अनुसार सभी प्रमाणिक विवाहों के पंजीयन की कोई भी प्रस्थापना नहीं थी। प्रस्तुत विधेयक सर्वथा नया है, इसीलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि यह विधेयक गलत ढंग से सोचा गया है, और इसको गलत ढंग से

समझा गया है । जिन्होंने यह विधेयक प्रस्तुत किया है, उन्होंने स्थिति को ठीक ढंग से नहीं समझा है क्यों कि इसमें सामाजिक सुधार की कोई भी बात नहीं आ पाई है । वे तो शास्त्रीय एवं वैधानिक ढंग से इस पर विचार कर रहे हैं, और हमें इस दृष्टिकोण से आपत्ति है । मैं चाहता हूं कि विभिन्न धर्मावलम्बी आपस में विवाहिक मेलजोल स्थापित करें । इसी प्रकार अन्य प्रांतीय विवाह भी निर्बाध रूप से होते रहें, यही मेरी कामना है । जहां तक इस विधेयक की धारा १० का प्रश्न है, इस पर पूरी सावधानी से विचार नहीं किया गया है । सच पूछिये तो विधि का मज़ाक उड़ाया गया है । आप लोगों को धोके पर धोखा देंगे जब आप उन से कहेंगे कि आपत्तियां करने की आज्ञा नहीं है, और न उन के सम्बन्ध में जांच की जायगी । यदि ऐसी बात है तो हमने अपने संविधान की प्रस्तावना को पारित क्यों किया ? हमने क्यों इस प्रकार कहा कि अपने विधान के अनुसार हम सामाजिक न्याय करेंगे । मैं चाहता हूं कि आप देश की विधि के साथ इस प्रकार आंख मिचौली न खेलें । मैं चाहता हूं कि आपत्तियों पर पूरा-पूरा विचार किया जाये और इन बातों की पूरी छान-बीन की जाये । मैं यह नहीं चाहता कि देश में ऐसा वातावरण फैले कि इस विधेयक के अनुसार विवाह करने वाले मनुष्य का विवाह असम्मानित और अन्याय समझा जाय । मैं श्री बैंकटारमन् और श्री टेकचन्द्र के उन तर्कों से भी सहमत नहीं हूं जो उन्होंने धारा २५ के उपबन्धों की व्याख्या में बता दिये हैं । उक्त धारा २५ के अन्तर्गत इस तरह का निकाय होना चाहिये कि केवल पति और पत्नी विवाह-पदाधिकारी के सामने अपनी याचिकायें प्रस्तुत करें । यदि आप इस को राष्ट्रीय महत्व का मामला समझते हैं तो विवाह पदाधिकारी को ही सभी बातों की छानबीन करने और अनुचित विवाह रोकने का मौका देना चाहिये । धोखा और मजबूरी, आदि की बातों की भी पूरी छानबीन करनी चाहिये, ताकि वास्तविक विवाह के पहले ही इस प्रकार की भूलों को दूर किया जा सके और यह शरारत रोकी जा सके । वर-वधू के दोनों पक्षों को भी अपनी अपनी आपत्तियां बताने का मौका दिया जाना चाहिये ।

आयु, प्रतिषिद्ध पीढ़ियों, संयुक्त परिवार और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के सम्बन्ध में भी कुछेक बातें निवेदन करना चाहता हूं । अभी तक मैंने विधेयक के उपबन्धों को नहीं छेड़ा है ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य खण्डों पर विवाद होने के समय इन बातों का उल्लेख करें ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यदि मैंने अधिक समय लिया है तो मैं यहीं पर समाप्त करूंगा ।

श्री जवाहर लाल नेहरू : श्रीमान् कल आप ने यह शुभ विचार प्रकट किया कि यह एक अच्छी बात होगी यदि उन सदस्यों को भी बोलने का मौका दिया जाये जिन्हें कि पहले बोलने का मौका नहीं मिला है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब तो सत्र लगभग खत्म हो चुका है ।

श्री जवाहर लाल नेहरू : श्रीमान्, मैं यह कहना चाहता था कि मैं आपके इस विचार से पूर्णतः सहमत हूं, तथा मैं उन व्यक्तियों की राह में बाधा उत्पन्न नहीं करना चाहता हूं जिन्हें कि इस विषय के सम्बन्ध में अपने विशेष सुझाव देने हों ।

मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं परन्तु मुझे कुछ कहने के लिए

[श्री जवाहर लाल नेहरू]

थोड़ा बहुत विवश किया गया है तथा मेरे विचार में मुझे इन्कार नहीं करना चाहिये। किन्तु म इस विधेयक के विभिन्न उपबन्धों का विश्लेषण नहीं करना चाहता हूं, मैं उन पर चर्चा नहीं करूंगा, मैं केवल कुछ मोटी मोटी बातों की ओर सदन का ध्यान दिलाऊंगा।

यह विधेयक एक अलग चीज है तथा यह हिन्दू संहिता से सम्बन्धित विधेयकों में से एक नहीं है फिर भी इसका सम्बन्ध विभिन्न परिवर्तन लाने से है तथा इस तरह से यह उस दृष्टिकोण का एक हिस्सा ही माना जा सकता है।

गत कई वर्षों से हम विभिन्न रूपों में इन मामलों पर विचार करते रहे हैं। गत दो अथवा तीन अवसरों पर मैंने इस सदन को एक आश्वासन दिया कि हम इन मामलों को जल्दी से निबटायेंगे। परन्तु मेरे आश्वासनों से स्थिति पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। हमारी कामनाओं के बावजूद इस में कुछ विलम्ब हुआ है। यह सही है कि इस तरह के मामलों में जल्दबाजी से काम नहीं किया जा सकता है। अपितु, इस सम्बन्ध में दी गई तरह-तरह की रायों पर विचार करना होता है। फिर भी यह दुर्भाग्य है कि इस में बहुत ज्यादा विलम्ब हुआ है। इस लिये मेरे लिये यह एक खुशी की बात है कि कम से कम अब यह मामले इस विधेयक अथवा अन्य विधेयकों के रूप में हमारे सामने हैं।

मैं इतना विद्वान नहीं कि मैं हिन्दू धर्मशास्त्र की सूक्ष्मताओं तथा मुख्य बातों पर चर्चा कर सकूं। परन्तु मैंने कानून तथा प्रथा, इतिहास तथा सांस्कृतिक विकास के विषय का कुछ विस्तार से अध्ययन किया है तथा हिन्दू समाज के बारे में मेरी यह धारणा रही है कि वह अधिकांश रूप से सदैव गतिशील रहा है। यह धारणा चिरकाल तक रही है, इसकी गतिहीनता के कारण नहीं अपितु इसकी गतिशीलता के कारण। धीरे धीरे इसमें गतिहीनता आने लगी चाहे यह जात पात के कारण से थी अथवा अन्य बातों के कारण। मेरा विश्वास है कि हिन्दू समाज की इसी एक बात ने गतिहीनता ने कमजोर किया तथा इसे सामाजिक दृष्टिकोण से पूरा गतिहीन बना दिया यद्यपि इस में कुछ अच्छे गुण भी थे। कई सौ वर्षों तक गतिहीनता बढ़ती गई तथा अन्त में, भारत में ब्रिटिश राज के आगमन से इस पर अन्तिम मुहर लगी। पहले जब कभी भी हम हिन्दू कानून को लेते थे तो हम हिन्दू रस्मों व रिवाजों को ही ध्यान में रखते थे। आज हमें उन बेढंगे रिवाजों को महत्व नहीं देना चाहिये। उन से भ्रम फैलता है। फिर भी रस्म व रिवाज हिन्दू कानून को धीरे-धीरे बदल रहे थे। अर्थात् ज्यों ज्यों परिस्थितियां बदलती गईं त्यों त्यों रिवाज बदलते गये तथा उनका कानून पर प्रभाव पड़ा चाहे प्राचीन ग्रंथों में कुछ भी लिखा पड़ा था। जहां तक प्राचीन ग्रंथों का सम्बन्ध है, वे इतने हैं कि प्रत्येक तर्क के सम्बन्ध में ग्रंथों से उद्धरण दिये जा सकते हैं। अंग्रेजों के आगमन पर सारी विचारधारा गतिहीन हुई, क्योंकि इसे अत्यन्त ही अनुदार वर्गों की सहायता से संहिता का रूप दिया गया। स्वभावत: यदि हम उन दस्तावेजों को देखेंगे तो हमें मालूम होगा कि इस में परिवर्तन सम्मिलित नहीं किये गये हैं जो कि हुये थे, अथवा जो कि हो रहे थे। तो उन्होंने इसको इस तरह से संहिताबद्ध किया जो एक हजार वर्ष पूर्व के युग के लिये उपयुक्त थी, तथा विधान को छोड़कर किसी अन्य उपाय द्वारा उसका परिवर्तन नहीं हो सकता था। अंग्रेजों को किसी भी बात में दिलचस्पी नहीं

थी । वह ऐसे मामलों में एक तरह की शांति रखना चाहते थे जिस से कि वह शोषण का काम जारी रख सकें । तो अंग्रेजों के आने के समय से हिन्दू समाज की गतिशीलता कुछ दब गई है । वास्तव में इस ने इसे अपरिवर्तनीय बनाया । केवल विधान बनाकर ही इसका परिवर्तन हो सकता था । तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि हिन्दू समाज को जो चीज़ जिन्दा रखे हुये थी वह यह थी कि इस में बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालने की शक्ति थी । समाज बदलता जा रहा है । हम एक ऐसे युग में रह रहे हैं जो कि उस युग से बिल्कुल भिन्न है जिस में कि हमारे पूर्वज रह रहे थे । मैं यह नहीं कहता हूं कि कुछ मूल सिद्धांत ऐसे हैं जो कि अपरिवर्तनीय नहीं हैं । मैं इस चीज़ की चुनौती नहीं देता हूं । परन्तु जहां तक मानव सम्बन्धों तथा अन्य बातों का सम्बन्ध है यह समझना कि वह अपरिवर्तनीय है एक गलत बात होगी । तो समाज को यदि जिन्दा रहना है तो इसे बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार अपने आपको ढालना होगा । हिन्दू समाज बहुत हद तक इस लिये जीवित रहा है कि इसे अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार ढालने की सामर्थ्य थी । इसकी वह सामर्थ्य बहुत हद तक नष्ट हुई है । इसलिये इस काम को करने का तरीका केवल यह है कि इसे विधान द्वारा चलाया जाये । एक हजार, तीन हजार अथवा पांच हजार वर्ष पूर्व लिखी हुई बातों का ज़िक्र करने का कोई फायदा नहीं । उस समय से सारी परिस्थिति ही बदल गई है । इस लिये इस तर्क का कोई फायदा नहीं । विश्व के ऋषियों, मुनियों तथा दार्शनिकों ने इस बात पर जोर दिया है कि कोई चीज़ पुरानी होने से अच्छी तथा नई होने से बुरी नहीं हो सकती है । हमें वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये इस पर विचार करना होगा तथा उन सिद्धांतों को भी ध्यान में रखना होगा जिनका कि समाज में धीरे धीरे विकास हुआ है । हम एक राजनीतिक क्रांति में से गुज़रे हैं जिसके परिणामस्वरूप हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई है । अब हम एक आर्थिक क्रांति से गुज़र रहे हैं । इसके साथ ही सामाजिक क्रांति भी आवश्यक है । समाज एक संयोजित इकाई है । आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तन की अवहेलना करके हम राजनीतिक बातें नहीं कर सकते हैं । अधिकांश लोग यह बात मानते हैं कि आर्थिक क्रांति उतनी ही आवश्यक है जितनी कि राजनीतिक । कुछ लोग समझते हैं कि सामाजिक मामले राजनीतिक तथा आर्थिक मामलों से सर्वथा भिन्न हैं तथा इन में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है । जीवन एक संयोजित चीज़ है । यदि आप राजनीतिक तथा आर्थिक दृष्टिकोण बदलते हैं तो आप को सामाजिक दृष्टिकोण भी बदलना होगा चाहे यह बात आपको पसन्द हो अथवा न हो । यदि आप को यह पसन्द न हो तो भी यह बदलेगा, कुछ झगड़े से तथा कुछ असंतोष से ? तो, एक सच्ची क्रांति में यह तीनों बातें आ जानी चाहियें । यह किस तरह किया जाये, इस सम्बन्ध में मतभेद हो सकता है । परन्तु इसे करना आवश्यक है । जो व्यक्ति राजनीतिक मामलों में अपने आपको क्रांतिकारी कहता है किन्तु आर्थिक अथवा राजनीतिक मामलों में अनुदार अथवा प्रतिक्रियावादी है, वह युक्तियुक्त व्यक्ति नहीं है । किसी व्यक्ति विशे के लिये इस में कुछ कठिनाई हो, परन्तु यदि किसी समाज में इस तरह की बातें होंगी तो वह एक बुरी बात होगी । अस्पृश्यता को ही लीजिये । कुछ व्यक्तियों के मतानुसार इसे यथावत रखना धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ है । परन्तु हम बहुत पहले इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यह न केवल अन्याय है अपितु इसे खत्म भी किया जाना

[श्री जवाहर लाल नेहरू]

चाहिये ताकि हिन्दू समाज जीवित रह सके। अर्थात् यह सामाजिक सुधार एक आवश्यक चीज़ बन गई। इतना ही नहीं बल्कि यह इस दृष्टिकोण से भी आवश्यक बना है कि इसे बदलती हुई परिस्थितियों के अनुकूल बनाना चाहिये। वह तर्क तथा उस तरह का सोचना समझना उसे मानव सम्बन्धों की अन्य समस्याओं पर लागू करना है। मानव सम्बन्धों की समस्या सब से बड़ी समस्या है चाहे यह एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के साथ अथवा एक वर्ग की दूसरे वर्ग के साथ की हो। उस तर्क में सभी तरह के सम्बन्ध आ जाते हैं। मानव सम्बन्धों की समस्या एक महत्वपूर्ण समस्या है तथा हमें इस बात पर विचार करना चाहिये कि बदलती हुई परिस्थितियों में हम इसे कैसे रोक सकते हैं। चाहे हम इसे रोक सकते हैं अथवा नहीं हमें अपने आप को इन परिवर्तनों के अनुकूल बनाना होगा। जहांतक इस विधेयक का सम्बन्ध है यह किसी पर थोपा नहीं जा रहा है। यह केवल एक अनुमतिक विधान है। इस में कोई जबर्दस्ती नहीं, केवल आप कुछ काम करने की अनुमति देते हैं। और जब यह किसी अवस्था पर स्थापित हो जाता है तो आप अगला कदम उठाते हैं। मैं इस विधेयक के खंडों के सम्बन्ध में कुछ कहना नहीं चाहता हूं। यह विधेयक राज्य परिषद् से आया है। इसमें इधर उधर मामूली परिवर्तन करना वांछनीय होगा। मैं समझता हूं कि समय आने पर यदि आवश्यकता पड़ी, तो मैं उनके सम्बन्ध में दो एक शब्द कहूंगा। यह विधान किसी एक विशेष पक्ष का नहीं है और न किसी विशेष पक्ष के लिये है। इसका प्रभाव हम सब पर पड़ता है। इसका प्रभाव केवल हिन्दुओं पर ही नहीं पड़ता, अपितु अन्य लोगों पर भी पड़ता है क्योंकि यह एक अनुमतिक विधान है। हिन्दू समाज का मैंने इस लिये उल्लेख किया कि इसका यहां बार बार जिक्र आता है। मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

श्री गाडगील : मैंने कल का प्रधान मंत्री द्वारा दिया गया भाषण सुना। औरों के भी भाषण सुने। इस अति महत्वपूर्ण प्रश्न को समझने में रचनात्मक, आलोचनात्मक और यों कहना चाहिए, घृणात्मक एवं दोषान्वेषण-पूर्ण रवैये से काम लिया गया है। यद्यपि इस विधेयक में बहुत ज्यादा बातों पर विचार करने की गुंजाइश नहीं है, फिर भी आपकी कृपा है कि आपने विवाह एवं विवाह-विच्छेद के दर्शन एवं सिद्धान्तों पर एक सामान्य चर्चा कराने का समय दिया है। मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि हम सभी ने एकमत होकर विवाह को एक धर्मसंस्थापन माना है। यह ठीक है, किन्तु प्रश्न यह है कि अभी भी आदर्श प्रेम का विवाह पुराना नहीं पड़ा है। अतः एक हमारा यही प्रयत्न होना चाहिए कि विवाह को जीवन-पर्यन्त नीति बना कर एक पत्नीत्व या एक पतित्व पर दृढ़ रह कर जीवन को सुखमय और आनन्दमय बनायें। अब तक दिए गए भाषणों को सुनकर मैं इसी नतीजे पर पहुंचा था कि विवाह को ऐसा प्रतीक्षा-कक्ष समझा गया है जहां लोग निर्बोध रूप से आ-जा सकें और किसी भी समय तक वहां रहें, किन्तु अब मैं समझता हूं कि स्त्री, पुरुष और समाज ही इस समस्या से सम्बन्ध रखते हैं। जब तक हम विवाह और परिवार को समाज की दो प्रणालियां समझें, तब तक हमें पूरी गम्भीरता से इस प्रश्न पर विचार करना पड़ेगा।

[**श्रीमती खोंगमेन** पीठासीन हुईं]

विवाह किस आयु में किया जाय, यह सोच-विचार का विषय है। इस सम्बन्ध में

हमारे पुराने ऋषियों में जो विचारधारा फैली थी, वह आज के समाज में नहीं चल सकती, आज का सामाजिक जीवन बदल चुका है। पहले ज़माने में गांवों में ही अधिक लोग रहा करते थे, अब हर एक गांव नगर में बदलता जा रहा है। इस देश में एक लाख से अधिक आबादी वाले ७३ नगर हैं और ४८५ कस्बों की कुल आबादी २०,००० के करीब है। बड़े बड़े शहरों में अपने पड़ौसी का पता भी नहीं चलता, और सामाजिक सम्पर्क के लिए आपको क्लबों में जाना पड़ता है। किन्तु गांव में इसकी उलट दशा है। लोग एक-दूसरे को जानते हैं, और आना-जाना भी प्रायः होता रहता है अतः विवाह से बहुत पहले दोनों भावी वर-वधू एक दूसरे को जानते हैं। आधुनिक ढंग के नगरों में इस प्रकार के सम्पर्क क्लबों में बनाये जाते हैं, और सामुदायिक या साम्प्रदायिक भेदभाव के बिना ही प्रायः विवाह हो जाता है। इसी विवाह-सम्बन्ध को नियमित करने के लिए ऐसे विधान की आवश्यकता है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि स्त्री, पुरुष और समाज का यदि एक अच्छा मेल रहे तो बहुत ही सुखमय जीवन बनता है। पुरुष की दृढ़ता और उसका साहस, स्त्री का सन्तुलन और सौन्दर्यसहित आकर्षण जब मिल जायें तो समाज की दृढ़ता और प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकती है।

इसी प्रकार, यदि हम विवाह को एकमात्र साझा न समझ कर जीवन भर का गठजोड़ और व्यवहार समझते हैं तो हमें ऐसी सामाजिक प्रणाली, अनुशासन प्रणाली और ऐसे विधान का निर्माण करना है जिससे हमारे इस बड़े उद्देश्य की प्राप्ति हो।

प्रस्तुत विधेयक आज्ञाकारी, एवं व्यापक विधेयक है और इसे हर कोई सम्प्रदायवादी स्वीकार कर सकता है। इस सम्बन्ध में हमारी प्रगति के पहले बरण में हमें भारतीय महिलाओं की उन्नति, शिक्षा आदि को भी ध्यान में रखना होगा, विश्वास कीजिए, कि यहां की स्त्रियां इतनी जाग्रत हो चुकी हैं कि अब वह पुरुषों के दुर्व्यवहार पर कभी भी आंख मूंद के नहीं बैठ सकतीं। इसमें समाज की भलाई है कि हमारी नारी ने इतनी प्रगति की है कि उससे हमारी प्रतिष्ठा बढ़ गई है। अतः मेरा निवेदन है कि लड़कों और लड़कियों को अपना जीवन साथी ढूंढने में पूरी आज़ादी और पूरा समय दिया जाना चाहिए। स्त्रियों पर सामाजिक निर्बन्धन रखना ठीक नहीं किन्तु इतनी आज़ादी और इस प्रकार की प्रणाली होना भी ठीक नहीं जिससे इस प्रकार की बर्बादी फैले जो आजकल फैली हुई है। वास्तव में हमारे सामाजिक विचार के प्रतिपादकों और नेताओं का इस प्रकार का आचरण होना चाहिए कि हमारी इच्छा के अनुकूल, अस्थिर ढंग से, यह काम चल सके। इसलिए मेरी राय में लड़की को, जब वह १८ वर्ष की आयु पूरी करे, अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी लड़के से विवाह करने की स्वतन्त्रता प्राप्त होनी चाहिए। २१ वर्ष की आयु ज़रूरी नहीं है। २१ वर्ष की आयु में इतना काम नहीं हो सकेगा जितना १८ वर्ष की आयु में होगा। मेरी यह प्रार्थना है कि जीवन-साथी चुनने की आयु १८ वर्ष होनी चाहिए, क्योंकि यह आयु वयस्कता और परिपक्वता की आयु होती है।

इसके साथ ही यह देखना भी ज़रूरी है कि १८ वर्ष की आयु में स्वतन्त्र रूप से विवाह करने की सुविधा वाले लड़के कहीं इस विवाह को खेल-तमाशा तो नहीं बना रहे हैं। किन्तु, यह कैसे हो सकता है? क्या कानून बना कर इस दिक्कत को दूर किया जा सकता है, मैं नहीं चाहता कि इसमें रुपये पैसे की कोई शर्त रखी जाए। मैं चाहता हूं कि जीवन के डगर पर पड़े हुए दो साथी एक सफल जीवन बिता सकें और हर एक बात में बारबर के हिस्सेदार रहें।

विवाह-योग्य आयु का प्रसंग उठते ही मेरे मस्तिष्क में एक बात आई। क्या आप

[श्री गाडगील]

विश्वास करेंगे कि हमारे देश में ५ वर्ष की आयु की १,३३,००० विधवायें हैं। वास्तव में स्थिति यही है। १९३६ या १९३७ में जब बाल विवाह (संयम) अधिनियम प्रस्तुत हुआ था, सरकार इस बात के बहुत विरुद्ध थी। उस समय मैंने यह आंकड़ा बताया था कि १ वर्ष से कम की १,२०,००० विधवायें हैं। मैंने उस समय इस पर प्रश्न भी किया था, पहले सरकार ने विरोध किया और बाद में मुझ से कहा कि इस मामले को प्रवर समिति के पास भेजा जाएगा। बाद में यह पारित हुआ। देखिए परिणाम क्या रहा ? जनगणना रिपोर्ट से यह पता चला कि कुल विवाहित आबादी में से ९० प्रतिशत स्त्रियां १५ वर्ष से कम की विधवायें हैं। यों देखा जाय तो १५ से २५ के बीच की आयु में अधिक विवाह होते हैं, किन्तु १८ वर्ष की आयु का होना आवश्यक है और इसीलिए मैं १८ की अवधि पर ज़ोर दे रहा हूं। जहां तक समाज का प्रश्न है, यह बात इसलिए और भी आवश्यक बन जाती है, क्योंकि देश की आर्थिक प्रगति इसी पर निर्भर, है। यह इस प्रकार है कि किसी विशेष आयु में ही पुरुष अधिक उत्साह और धड़ल्ले से काम कर सकता है। और यहां विवाह की प्रणाली से इन सब बातों पर प्रभाव पड़ता है। आंकड़े देख कर आपको इस बात का पता चलेगा कि जितनी ही अधिक आयु हो विधवाओं की उतनी ही अधिक संख्या होगी। हां, प्रश्न यह है कि विवाह-विच्छेद के प्रति हमारा क्या रवैया होना चाहिए ? एक पतित्व या एक पत्नीत्व को तो हमने विधि में आत्मसात किया, और जैसा, मैंने पहले भी कहा, यह विधि हिन्दुओं तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि अन्य देशवासियों के लिये भी यही कानून होना चाहिए। हमारे देश में धर्मनिरपेक्ष राज्य है, और इसलिए यहां सभी के लिए एकपतित्व या एक पत्नीत्व होना चाहिए। यदि इस प्रकार की विधि बनाई जाय तो यह सीधे तर्क की बात है कि विवाह-विच्छेद के लिए उपबन्ध होना चाहिए, किन्तु प्रश्न यह है कि क्या.....

श्री नन्दलाल शर्मा (सीकर) : आदरणीय अध्यक्षा महोदया, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस समय एक भगवती अध्यक्ष पद पर आसीन हैं और वह 'धर्म चक्र प्रवर्तनाय' जो लिखा है उसकी भावना को अधिक रख सकती हैं। मैं देख रहा हूं कि एक भावना समाज में, और समाज में नहीं तो इस सदन में प्रतिध्वनित हो रही है और वह यह है कि बार बार यहां यह कहा जाता है कि पुरुष समाज और स्त्री समाज, यह शब्द हमें सुन कर बड़ा खेद हो रहा है कि आज तक जब से विश्व चला है स्त्री समाज और पुरुष समाज अलग अलग नहीं रहे हैं। माता की गोदी में पुरुष पलता है और बड़ा होता है और यदि माता चाहे तो वह उसके प्राण भी ले लेती है और जहां यह है कि पुत्र के भयंकर से भयंकर शत्रु बनने पर भी उसके प्रति माता बुरा भाव नहीं रखती वहां के लिये ऐसा कह देना कि स्त्री समाज कोई अलग है और पुरुष समाज अलग है, यह अत्यन्त अनुचित बात है। मैं यह शब्द इसलिये कह रहा हूं कि कुछ पाश्चात्य दृष्टिकोण से चकाचौंध और चमत्कृत लोग ऐसा समझ रहे हैं कि हिन्दू जाति ने स्त्री समाज के ऊपर बड़ा अत्याचार कर डाला। मैं कहता हूं कि आपने अपने संविधान में उनको "इक्वैलिटी आफ राइट्स" दिया है लेकिन मैं आपको बतलाऊं कि हमारे यहां तो देवियों को और माताओं को कहीं अधिक ऊंचा स्थान दिया गया है। हमारे यहां मां का दर्जा और मां का मान दस गुना अधिक है। एक सन्यासी के लिये नियम है कि पिता अगर उसके पास आ जाय तो पिता दंड के समान लेट कर अपने सन्यासी पुत्र को प्रणाम करे लेकिन यदि माता आये तो वह सन्यासी पुत्र दंड के समान लेट कर अपनी माता को

प्रणाम करता है। यह हिन्दू जाति और यह देवियों का आदर स्थान और आदर है, अब मुंह तो किसी का बन्द नहीं किया जा सकता, जो चाहे कह सकता है। मेरा मुंह है मैं कहता हूं कि मैंने दस हाथ का हरिण देखा तो मुझे ऐसा कहने से कौन रोक सकता है। जिसके जी में जो आवे वह बोलता चला जाय और यह कहे कि हिन्दू समाज में देवियों का अपमान होता है। आज भी जिस जाति के अन्दर वर्ष में दो बार भगवती का पूजन होता हो, कुमारी का पूजन होता हो और जहां पर छोटी छोटी लड़कियों के चरण पूजे जाते हों और सब प्रकार से पूजन किया जाता हो उस जाति के मुकाबले में हमें अमरीका, रूस और अन्य यूरोपीय देशों का दृष्टान्त देकर बताया जाता है कि स्त्रियों को यह अधिकार वहां भी मिला हुआ है, सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। आपको पता है कि इस जाति की एक देवी ने नहीं बल्कि करोड़ों देवियों ने अतीत में अपने प्राण हंसते हंसते दे दिये लेकिन अपने स्त्रीत्व पर धब्बा लगने न दिया। अभी थोड़े ही दिन की बात है कि जब पाकिस्तान के अन्दर हिन्दू देवियों पर बर्बर अत्याचार हो रहा था तो उन्होंने अपनी लाज बचाने के लिये कुएं में छलांगें लगा लीं और आग लगा कर जल मरीं जिस जाति की स्त्रियों का यह आदर्श हो, वहां यह हिन्दू कोड बिल, स्पेशल मेरेज बिल और तलाक इत्यादि की बातें कही जायं और कुछ देवियां, दुर्भाग्यवश जिनको अपने घर का पता नहीं है, जब यह कहती हैं कि हम आपसे तलाक नहीं मांगेंगी, हम को खाली तलाक का अधिकार दे दो, हम कौन होते हैं अधिकार देने वाले, आप अपने पुत्र का गला घोंट कर मार डालो और पति को भोजन में विष मिला कर मार डाल सकती हैं आप अपने पारिवारक सुख को स्वाहा कर सकती हैं, लेकिन उन्हें ठंडे दिल से सोचना होगा कि वास्तव में यह तलाक का अधिकार उन को कहां ले जायगा और अन्त में इससे उनका हित होगा अथवा अहित ही होगा। भगवती की शक्ति अपार है, स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने बाज़ार में चलती हुई एक वेश्या को देखा जिसके कि साथ लोग मज़ाक कर रहे थे, रामकृष्ण परमहंस तत्काल रो दिये और उसके चरणों में गिर पड़े और कहने लगे कि हे माता जगदम्बा तू जो सारे विश्व की रक्षा करने वाली मां है, तू अपने पुत्रों की परीक्षा लेकर उनका अगर पतन करेगी इनको कौन उठायेगा ? एक क्षण में उस माता के हृदय से और मन में जितना पाप था वह धुल गया और वह माता परमहंस के चरणों में गिर पड़ी और उसने अपना वैश्यापन छोड़ दिया। मुझे क्षमा करें अगर मैं कहूं कि आज वह सदस्य जो बार बार स्त्री जाति पर पुरुषों द्वारा अत्याचार होने की बात कहते हैं और उनको अधिकार दिलाने की मांग करते हैं, उनमें कुछ ऐसे भी हैं जो अभी कल तक अपनी सैलेरीज़, आनरेरियरम और अलाउंसेज के लिये झगड़ा करते हैं वह कहते हैं कि पुराना धर्म स्टैगेनेट हो रहा है, स्पेशल मैरेज बिल कुछ नहीं है, डाइवोर्स और मैरेज बिल कुछ नहीं है, यह तो केवल वही हिन्दू कोड बिल का दूसरा रूपान्तर चल रहा है और उसको आज हमारे प्रधान मंत्री ने स्वीकार कर लिया। विश्व के इतिहास में किसी देश के अन्दर आप इतना बड़ा और व्यापक विरोध नहीं दिखला सकते जितना कि इस लेजिस्लेशन के विरुद्ध ११ वर्ष के अन्दर विरोध हुआ है। १९४३ से और उससे भी पहले सन् ३४ से लेकर जब से हिन्दू कोड के बीज पड़े हैं, बेचारी ने पहले सर सुल्तान अहमद को अपना पति बनाया, उनका त्यागपत्र हुआ, डाइवोर्स हुआ, उसके बाद उसने डाक्टर अम्बेडकर को अपना पति बनाया, उनका डाइवोर्स हुआ, सर बी० एन० राव को फिर अपना पति बनाया और उनका भी डाइवोर्स हुआ और आज अब वह श्री बिस्वास के गले में पड़ रही है। मैं श्री बिस्वास के व्यक्तिगत विचार इस सम्बन्ध में खूब

(श्री नन्दलाल शर्मा)

अच्छी तरह से जानता हूं और इस मंत्रिपद को स्वीकार करने से पहले उन्होंने इस हिन्दू कोड बिल के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट किये हुए हैं लेकिन क्या करें वह विवश हैं। आज राज सेवक होने के नाते वह कुछ नहीं कह सकते हैं और जो गवर्नमेंट के वहां से आवाज़ आती है उसे स्वीकार करना पड़ता है और वही कहना पड़ता है।

एक माननीय सदस्य : डाइवोर्स कैसे हुआ ?

श्री नन्दलाल शर्मा : जितने बेचारी के पति बने सब डाइवोर्स हुए, या यह कहिये कि पोलियेंडरी और पोलिगैमी हुई, लेकिन यह ज़रूर है कि कम से कम पहले पति नहीं रहे।

श्री पुन्नूस (आल्लप्पि) : क्या यह सच है कि जब माननीय मंत्री मंडल में नहीं थे तो वे इस विधेयक के विरुद्ध थे ?

श्री बिस्वास : माननीय सदस्य उस राय का ज़िक्र कर रहे हैं जो मैंने राउ समिति के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में दी है। यह राय मैंने अपने अन्य तीन सहयोगियों के साथ तब दी थी जब मैं उच्च न्यायालय में न्यायाधीश था। परन्तु वह कोई अधिकृत राय नहीं थी बल्कि हिन्दु सम्प्रदाय से सम्बन्ध रखने वाले व्यक्तियों के रूप में दी गई थी। यदि मुझे ठीक याद है, तो विवाह-विच्छेद के सम्बन्ध में हमारा दृष्टिकोण यह था कि हमें यह देखना चाहिये कि इस देश में विवाहित जीवन सुखी रहता है या नहीं और हमें अन्य देशों के अनुभव से सबक लेना चाहिये। उस दिन भी मैंने अपने भाषण में यही कहा था, अर्थात् महिलाओं को भी अन्य देशों के अनुभव से फायदा उठाना चाहिये।

श्री के० के० बसु : मंत्री महोदय के बारे में अब यह कहा जा रहा है कि उन्होंने मंत्रि-मंडल में आने के बाद अपनी राय बदल दी है। क्या हम जान सकते हैं कि अब उनकी क्या राय है ?

सभापति महोदय : शान्ति, शान्ति।

श्री नन्दलाल शर्मा : माननीय चेयरमैन महोदया मैं अपने विधि मंत्री को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मंत्रिमंडल पद सम्भालने से पूर्व जिस रूप में इसका विरोध किया था उसका स्पष्टीकरण यहां पर अभी कर दिया।

श्री बिस्वास : हमने जो राय दी थी उसका निर्देश आपको राउ समिति के प्रतिवेदन में कई स्थान पर मिलेगा।

एक माननीय सदस्य : आप उसी बात पर दृढ़ हैं।

श्री नन्दलाल शर्मा : मेरा इस बिल के सम्बन्ध में विशेष रूप से यह निवेदन है कि तीन, चार टेस्ट्स इस को दे देने चाहियें। एक तो यह कि पबलिक इस को डिमांड करती है या नहीं, इस लेजिस्लेशन की आवश्यकता है या नहीं और जनता इसे चाहती है या नहीं। यह कोई जनमत जानना नहीं है कि यहां पर चार आदमी खड़े हो कर कह दें कि जनता इसे चाहती है और इस बारे में कोई अपोज़ीशन नहीं है, तो हम ने तो एक बार नहीं अनेक बार इस बात के लिये चैलेंज दिया है और फिर कहता हूं कि आप भारत-वर्ष के किसी प्रान्त में किसी गांव में किसी नगर में आप लोग इस के लिये वोट कर लें और यदि बहुमत आप को इस बिल के सम्बन्ध में प्राप्त हो जाय तो मैं वही कहूंगा जो श्री अंगद ने कहा था :

जौ मम चरन सकसि सठ टारी।
फिरहिं रामु सीता मैं हारी॥

अरे मूर्ख यदि तू मेरा चरण हटा सके तो श्रीराम जी लौट जायेंगे, और मैं सीता जी

को हार जाऊंगा । उसी तरह मैं कहूंगा कि अगर जनता का बहुमत आप को मिल जायगा तो मैं आप की बात को स्वीकार कर लूंगा और अपनी बात को हार जाऊंगा । लेकिन जनता में इस के विरुद्ध कितनी उग्र भावना है यह सब पर विदित है, जब राव कमेटी घूम रही थी तो लोगों ने इस विधेयक के, विरुद्ध अपना मत प्रकट करने के लिये अमृतसर और लाहौर के स्टेशनों में रेलवे के डिब्बे तोड़ दिये और काले झंडे दिखाये और मैं कहूंगा कि आज भी वही चीज़ है और मैं कहता हूं कि आप दिल्ली शहर में बैठे हैं, मैं कहता हूं कि अगर यही भाषण जो आप यहां करते हैं उन को पबलिक में खुले में करें तो आप देखेंगे कि आप की क्या दशा होती है .....

एक माननीय सदस्य : वही दशा होगी जो आप की होगी ।

श्री पी० आर० राव (वारंगल) : आप किस का ज़िक्र कर रहे हैं, अगर आप डाइवोर्स के बारे में कहते हैं तो गांवों में हर जगह इस का रिवाज है .....

श्री नन्द लाल शर्मा : पहली बुद्धिमानी तो यह थी कि कम से कम सती धर्म के मतों के धर्माचार्यों को, जो इस धर्म के तत्वों को जानते हैं, बुला कर पूछ लिया जाता कि आप के धर्म के अनुसार कैसा विधान बन सकता है । यहां वह व्यक्ति जो अपने स्थानों और कामों से बाहर नहीं निकल सकते, अर्थ और काम आदि के अन्दर जिन की बुद्धि लगी हुई है वह धर्म की बात नहीं कह सकते । धर्म की बात कहने का अधिकार उस को है जो कामना में आ कर के, भय में आ कर के, प्राण जाने पर भी अपने धर्म का परित्याग न करे, धर्म के बारे में बात करने का अधिकार उस को है । सही व्यक्तियों के द्वारा ही सदाचार प्रवृत्तियां बताई जाती हैं । यह नहीं है कि जिस ने चाहा अपनी मर्ज़ी से सब कुछ कह दिया ।

एक माननीय सदस्य : कौन ढूंढेगा उन व्यक्तियों को ?

श्री नन्द लाल शर्मा : आप को ढूंढना पड़ेगा । रास्तों की उपवीथियों के अन्दर छिपे रहने पर भी जो ढूंढना चाहते हैं वह ढूंढ लेते हैं । जो नहीं ढूंढना चाहते हैं वह नहीं ढूंढते हैं और कहते हैं कि भल्ला बेचने वाला और साग बेचने वाला क्या समझता है कि आचार क्या है ।

इस लिये, सभा-नेत्री महोदया, मैं यह निवेदन करूंगा, इस बिल के सम्बन्ध में विशेषकर, कि यह भावना हमें अपने में रखनी चाहिये कि खाली मोनागामी, मौनोगामी कहने मात्र से काम नहीं चलेगा । मैं ने भी इसी लिये कहा था कि सीता और राम ने जो आदर्श मौनोगामी को अपनाया वह आज कल के काम वासना के कीडे नहीं अपनायेंगे । जो व्यक्ति आज ड़ाइवोर्स दे कर कल अपना दूसरा विवाह करना चाहते हैं उन की दृष्टि में तो स्वप्न में भी मौनोगामी नहीं है । वह तो पौलिगैमी और पौलिऐन्ड्री दोनों को ही अपने साथ रखना चाहते हैं । जहां पर पौलिगामी और पोलऐन्ड्री रहेगी वहां पर और कोई भी सिद्धान्त रह सकता है लेकिन कोई आचार का सिद्धान्त नहीं रह सकता है । वह कहते हैं कि थोड़े दिन आपस में मिल लें कहीं पर, मैरिड हो कर नहीं,मिल भर लें । मैरिड होने का क्या लक्षण है ? कितने अंश मिलने के बाद मैरिड होता है आदमी ? लोग कहते हैं कि विवाह के माने क्या हैं यदि पति पत्नी को कुछ न कह सके और पत्नी पति को कुछ न कह सके ? किन्तु इस का यह अर्थ नहीं है कि हमारे घर में सभी जगह स्त्रियां दुखी हैं । हां, जिन जगहों पर वह दुखी हैं वहां

[श्री नन्द लाल शर्मा]

पर यह देखिये कि पुरुष कितना सुख पा रहा है। सारा दिन जो बाज़ार में बोझ ढोता है कड़ाके की धूप में इधर उधर फिरता है और चार पैसे लाता है, वह भूखा रहता हुआ भी अपने बाल बच्चों को खिलाता है और मन को शान्त रखता है। टूटी फुटी झोंपड़ी में ही वह रह सकता है, उसी के घर में स्त्री दुखी होती है। पुरुष समाज ही दुखी है, भूखा है और नंगा है तथा गरीब है। हमारे कम्यूनिस्ट लोग ही उस पुरुष समाज को उठायें। जिस दिन पुरुष समाज उठ जायेगा उस दिन स्त्री समाज भी उठ जायेगा।

अगर यह स्थिति है कि एक व्यक्ति पापवश, दुर्भावनावश अपनी सती, साध्वी और पतिव्रता स्त्री को पीटता है और उस के लिये आप के पास कोई प्राविज़न आप के विधान के अन्दर नहीं है तो आप अपने इंडियन पैनल कोड का संशोधन करें।

श्री पी० आर० राव: वहां जा कर के दावा तो नहीं कर सकती।

श्री नन्द लाल शर्मा: मैं कहता हूं कि पतिव्रत धर्म की व्यवस्था ही हमारे यहां चाहिये और वही हमारे यहां रही है। उसी के साथ में हमारे यहां पत्नीव्रत धर्म भी रहा है। राम से बढ़ कर पत्नीव्रत कोई भी हमारे यहां नहीं रहा। इस व्यवस्था को राम की तरफ ले जाना चाहिये। लेकिन आप रावण की तरफ ले जा रहे हैं। मैं कहता हूं कि आज आप लोग राम के आदर्श की उपेक्षा कर रहे हैं। विधान में बदलाव कर रहे हैं और समाज को गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमारा आप से कोई सम्बन्ध नहीं। आप जिधर जाना चाहें जा सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि समाज का चरित्र और आदर्श ऊंचा रहे तो आप को उस के लिये दूसरा मार्ग ढूंढना पड़ेगा। आज समाज को बुरा मार्ग प्रदान करना बुद्धिमानी नहीं है। आप बुराई की परमिशन तो दे देते हैं फिर कहते हैं कि हम कोई जबर्दस्ती थोड़े ही करते हैं। जितने भी पतन के मार्ग हैं उन के लिये परमिशन देने के बाद, सुसाइड की परमिशन देने के बाद आप कह दें कि हम ने तो सिर्फ परमिशन ही दी है, लोग पागल थोड़े ही हैं कि अपने आप को मार डालेंगे, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि आज सुसाइड भयंकर से भयंकर अपराध होते हुए भी लोग सुसाइड करते हैं। ऐसी परिस्थिति में किसी चीज की सिर्फ परमिशन देने के कोई माने नहीं हैं।

आप लोग कहते हैं कि स्त्रियों को स्लेवरी में, बान्डेज में, रक्खा जाता है। किस की बान्डेज में? पुत्र की बान्डेज में, पिता की बान्डेज में, पति की बान्डेज में? क्या इस का यह अर्थ है कि तीनों ही स्त्रियों के शत्रु हैं, पुत्र भी स्त्रियों का शत्रु है, पिता भी स्त्रियों का शत्रु है, पति भी स्त्रियों का शत्रु है, जिस के पास वह रहती है? मैं तो कहता हूं कि शास्त्र ने पुत्रों को भी आज्ञा दी है कि वह माता की आज्ञा का उल्लंघन न करे, पिता की आज्ञा का उल्लंघन न करे, यह सब से बड़ा दोष होगा, यह कहीं भी क्षमा नहीं होगा।

श्री भागवत झा आज़ाद (पुर्निया व संथाल परगना): आप ही शायद लायक पुत्र हैं, आप ही लियाकत के ठेकेदार हैं? मैं कहता हूं कि आप ही लायक पुत्र नहीं हैं।

श्री नन्द लाल शर्मा: आप जैसे लायक पुत्रों के कारण ही तो समाज का पतन हो रहा है। मनु और याज्ञवल्क्य और महाभारत के नाम से कई बातें

यहां पर कही गई हैं। ऐसे लोग न मनु को जानते हैं और न महाभारत को जानते हैं। वह केवल इन शब्दों को कह रहे हैं कोटेशन को जानते नहीं। यह तो मैं कहता हूं कि वैसे ही हुआ जैसे "डेविल कोटिंग दि स्क्रिप्चर्स": जो शास्त्र को मानते नहीं वह अपने स्वार्थ में शास्त्रों को कोट करते हैं। जैसे शराबी शराब पीना चाहता है तो कोई न कोई अपने पास कोटेशन रखता है। कोई बीड़ी और सिगरेट की उपयोगिता के लिये कोटेशन ढूंढता है। ऐसे ही अपने स्वार्थ के लिये आप कोटेशन ढूंढते हैं, लेकिन वह मिलता नहीं। यह जो शब्द कोट किये गये उनको एक हमारे मेम्बर ने कोट किया और हमारे माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने भी कोट किया तथा एक दो सज्जनों ने और भी कोट किया। लेकिन मुझे खेद से कहना पड़ता है कि जिन लोगों ने मनु का नाम लिया वह यह नहीं जानते कि यह शब्द मनु के नहीं हैं। जहां पर यह शब्द लिखे हुए हैं वहीं पर टीकाकार ने टीका की है.....

श्री बी० पी० सिंह (मुंगेर सदर व जमुई) : मनु का नहीं बल्कि बाहर कहीं का वाक्य यह है।

श्री नन्दलाल शर्मा : मैं जानता हूं कि यह मनु का नहीं है, इसीलिये मैंने कोट किया है। जिन लोगों ने मनु की बात कही है कि उन्होंने कहा है कि सती साध्वी स्त्रियों के अन्दर किसी दूसरे पति का भाव नहीं होना चाहिये उनके लिये मैं कहता हूं कि पराशर और नारद ने जहां पर यह कहा है वहां पर पति शब्द ही नहीं है। जो लोग संस्कृत की व्याकरण जानते हैं उनसे पूछिये, सप्तमी की अन्तिम विभक्ति में पति का एक वचन पत्यौ बनता है पति नहीं बनता है।

श्री रघुवीर सहाय (ज़िला एटा—उत्तरपूर्व व ज़िला बदायूं-पूर्व): सभानेत्री जी, इस बिल पर जो दो तीन दिन से बहस हो रही है उसको मैंने बड़े ध्यानपूर्वक सुना और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हमारे इस सदन में इस प्रश्न के ऊपर तीन मुख्य विचारधारायें हैं। एक विचारधारा तो अभी श्री नन्दलाल जी शर्मा ने अपने व्याख्यान में हम लोगों के सामने रखी है। वह तो जो पुराने शास्त्र और जो पुराने विचार हैं उनसे ज़रा भी डगमग करना नहीं चाहते। मुझे मालूम नहीं कि जिस वक्त यहां पर प्राइम मिनिस्टर साहब का व्याख्यान हो रहा था वह उसको सुन रहे थे या नहीं।

श्री नन्दलाल शर्मा : वह तो आपकी सोसाइटी को स्टेगनेंट कह रहे थे।

श्री रघुवीर सहाय : जैसा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि जिस तरीके पर उन्होंने इतिहास पढ़ा है उससे वह एक नतीजे पर हम लोगों में से अधिकांश आये हैं कि हमारा समाज हमेशा उन्नतिशील रहा है। समय के अनुसार उस में जगह जगह पर तबदीलियां की हैं। श्री नन्दलाल जी शर्मा इस ख़याल के हैं कि जो चीज़ पांच हज़ार वर्ष पहले लिख दी गयी है वह आज भी आयते हदीस है, उसमें ज़रा तबदीली नहीं हो सकती। हम ज्यादा से ज्यादा यही कह सकते हैं कि इस विचार से तो हम सहमत नहीं हैं और हमें अफसोस है कि उनके ये विचार हैं। दूसरी तरफ हमने श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा और श्रीमती रेणु चक्रवर्ती के विचार भी सुने। वे दूसरी हद पर हैं। एक इस पार है तो दूसरा उस पार।

डा० सी० डी० पांडे : चकवा चकवी हो गये हैं।

श्री रघुवीर सहाय : मुझे अफसोस होता है कि आज श्रीमती तारकेश्वरी यहां नहीं हैं। जिस वक्त कि कल वह अपना भाषण इस प्रश्न पर दे रही थीं उनको इस बात का ख्याल नहीं था कि उनकी क्या उम्र है। उनको इस बात का ख्याल नहीं था कि उनका क्या तजुर्बा है। लेकिन इस महत्वपूर्ण विषय पर जिस

[श्री रघुवीर सहाय]

जोशोखरोश से उन्होंने अपनी बातचीत की उससे हम लोग तो ताज्जुब में रह गये। वह दूसरी हद है।

तीसरी विचारधारा हम सरीखे लोगों की है।

एक माननीय सदस्य : बुजुर्ग।

श्री रघुवीर सहाय : हम इस पार भी नहीं जाना चाहते और दूसरी हद पर भी नहीं जाना चाहते। जो बीच की धारा है उस पर हम रहना चाहते हैं।

एक माननीय सदस्य : लेकिन मझधार में डूब जायेंगे।

श्री रघुवीर सहाय : आप इत्मीनान रखिये। सभानेत्री जी, यह बिल ऐसा बिल नहीं है कि जिस पर यहां इतना बहस मुबाहिसा किया जाय। जिस वक्त पहले हमारे ला मिनिस्टर साहब यह बिल लाये थे और उन्होंने उसको पेश किया था और इस सदन के कुछ सदस्यों ने उस पर अपने विचार प्रकट किये थे तो उस वक्त हमारा यह ख्याल था कि सिलेक्ट कमेटी में जाकर और काउंसिल आफ स्टेट्स में जाकर इसमें जितनी खराबियां हैं वह सब दूर हो जायेंगी और इस हालत में यह बिल आयेगा कि हम उसको खुशी खुशी पास कर देंगे। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वहां से जो बिल आया है तो, आप मुझे माफ करेंगी, ऐसा मालूम पड़ता है कि बिल्कुल चूं चूं का मुरब्बा है। दूसरे अल्फ़ाज़ में वह गुड, बैड एंड इंडिफरेंट मैटर्स का एमेलगम है। इसमें अच्छी चीजें भी हैं, मामूली चीजें भी हैं और बुरी चीजें भी हैं। अब यह बिल आ गया है। इस पर विचार करने में हमें जोशो खरोश से काम नहीं लेना चाहिए बल्कि बुद्धिमानी के साथ, ज़िम्मेदारी के साथ सोच समझ कर उसकी तमाम धाराओं को देखना चाहिए और इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि इसमें जो खराबियां हैं उनको दूर करें और जो इसमें अच्छाइयां हैं उनको रखें। जो मामूली बातें हैं उनमें तरमीमें पेश करें ताकि बिल ऐसा हो जाय कि जब वह कानून की शक्ल में मुल्क के सामने जाय तो मुल्क कहे कि पार्लियामेंट ने बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ इस बिल को पास किया। जबकि शुरू में ला मिनिस्टर साहब स्पेशल मैरिज बिल को लाये थे और मुझे बोलने का मौका मिला था उस वक्त मैंने इसका स्वागत किया था और आज भी मैं इसका स्वागत करता हूं और मैं समझता हूं कि पार्लियामेंट को यह बिल सहर्ष पास करना चाहिए। जिस तरीके पर यह बिल अब आया है उसमें कुछ खराबियां जो पहले थीं वह दूर कर दी गयी हैं। मसलन पहले आपने प्राहिविटेड लिस्ट को बिल्कुल गोल मटोल तरीके से रखा था। हर शख्स अपने अपने तरीके पर अपनी राय कायम कर सकता था। लेकिन यह नहीं समझता था कि प्राहिविटेड रिलेशनशिप है क्या। अब जिस तरीके से यह बिल सिलेक्ट कमेटी से आया है उसमें आपने सूचियों में यह साफ कर दिया है कि यह प्राहिविटेड रिलेशनशिप क्या है। हर शख्स उसको देख कर कह सकता है कि भाई इससे शादी करो और इससे शादी मत करो। मैं इसका स्वागत करता हूं।

दूसरी अच्छी चीज़ इसमें यह कर दी गई है कि अगर कोई लड़का या लड़की घर से बाहर जाकर दूसरी जगह मैरिज आफिसर को इत्तला दें कि हमारा इरादा शादी करने का है तो यह ज़रूरी कर दिया गया है कि वह मैरिज आफिसर उस मैरिज आफिसर को भी इत्तला दे जहां के कि वह लड़का या लड़की रहने वाले हैं ताकि वह मैरिज आफिसर वहां वालों को सूचना दे दे कि ऐसीऐसी शादी होने वाली है अगर किसी को आबजेक्शन करना है तो कीजिये। मैं समझता हूं कि उसमें एक तरमीम और होनी चाहिए कि

जिस वक्त दूसरे मुकाम पर वह मैरिज आफिसर को इत्तला करें तो उनके लिए यह भी ज़रूरी हो कि वह अपने माता पिता का या गारजियन का नाम और पता भी लिख कर दें ताकि दूसरा मैरिज आफिसर उस जगह का जहां के वह लोग हैं उनके माता पिता को या गार्जियन को इत्तला कर दे कि ऐसी ऐसी शादी होने जा रही है अगर आपको कोई ऐतराज है तो कीजिये। मैं इसका भी स्वागत करता हूं और चाहता हूं कि यह तरमीम और कर दी जाय।

मैं एक तीसरी चीज़ का और स्वागत करता हूं। वह यह है। आपने पहले बिल में लिख दिया था कि १८७९ वाला तलाक का कानून भी लागू होगा। वह एक गोल मटोल चीज़ थी। अब आपने डाइवोर्स के बारे में साफ साफ प्रावीजन कर दिया है। यह अच्छी बात है गो कि मैं आगे चल कर बतलाऊंगा कि मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। लेकिन आपने यह अच्छी बात कर दी कि यह साफ कर दिया कि इन सूरतों में डाइवोर्स होना चाहिए।

आपने यह भी बहुत अच्छा किया कि डाइवोर्स के बारे में यह प्रावीजन किया है कि शादी के तीन साल बाद ही अदालत में डाइवोर्स के मामले में फैसला हो सकेगा। तीन साल से पहले अगर खास स्थिति होगी तो अदालत मौका देगी। यह भी बहुत अच्छा है।

चौथी चीज़ जिसका मैं स्वागत करता हूं वह यह है कि इस किस्म की शादी में लड़के या लड़की की उम्र २१ साल की होनी चाहिए। यह पहलू बहुत गौर तलब है। मैं चाहता हूं कि इसको हमारी बहिनें खास तौर पर ज़रा गम्भीरतापूर्वक सोचें। इन बहिनों की तरफ से इस किस्म की तरमीम है कि यह २१ बरस की उम्र १८ बरस कर दी जाय। मैं उनकी नीयत पर हमला नहीं करता लेकिन मैं समझता हूं कि उन्हें बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ यह संशोधन रखना चाहिए। मैं समझता हूं कि इस संशोधन के रखने में कुछ बुद्धिमानी की कमी दिखाई देती है। यह सही है कि इस किस्म की शादियां जो होंगी वह वही शादियां होंगी जहां पर कि माता पिता की रजामन्दी और उनकी इजाजत का कोई ताल्लुक नहीं होगा। इसके लिए एक नौजवान लड़के को और एक नौजवान लड़की को काफी सूझ बूझ होनी चाहिए कि वह अपनी आयन्दा तमाम जिन्दगी के लिए फैसला कर सके। ऐसा करने के लिए उसको काफ़ी अकल होनी चाहिए। और १८ बरस की उम्र में तो, जैसा कि श्री कृपालानी जी ने कहा, उनकी तालीम भी पूरी नहीं हो पाती है। तो मैं इन तमाम चीज़ों का इस बिल में स्वागत करता हूं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनका मैं स्वागत नहीं करता। आपने इस बिल के दफा १९ में, प्रावीजन किया है कि जो इस कानून में शादी करेगा वह अपने खानदान से फौरन अलहिदा हो जायगा। मेरी समझ में नहीं आता कि किस दलील से और किस गरज से यह चीज़ रखी गयी है मैंने इस सम्बन्ध में सैलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट पढ़ी, ज्यादातर मिनट आफ डिसेंट उस प्राविज़न के ख़िलाफ़ हैं, सेलेक्ट कमेटी ने यह जो प्राविज़न रक्खा है उसके बारे में उन्होंने कहा है कि अलहिदा होने के बाद वह जब चाहें तो फिर शामिल हो सकते हैं। यह दलील मेरी समझ में नहीं आई कि पहले अलहिदा हो जायं और फिर एक हो जायं, यह तो वही हुआ कि जैसे पहले नाक काट लिया और जब नाक कट जाय तो फिर शफाखाने में उसको स्टिच कराया जाय। मैं समझता हूं कि इस तरह का प्राविज़न रख करके ज्वाइंट फैमिली के ऊपर एक कानूनी हमला किया जा रहा है और उसको तोड़ना चाहते हैं, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम तो आप ही धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है, उसको अपने आप ख़त्म होने दीजिये। लड़के के माता पिता को कोई ऐतराज़ न हो, वह उसको और उसकी इस कानून से ब्याही हुई स्त्री को

[श्री रघुवीर सहाय]

अपने साथ रखने को तैयार हों फिर भी कानून के ज़रिए उनको अलहिदा होना पड़े, यह भी ठीक नहीं मालूम देता। यदि वे नहीं रह सकते तो अलहिदा तो जब चाहें हो ही सकते हैं।

इसके अलावा दूसरी और आखिरी बात कि जिसने इस बिल को बड़ा डिफेक्टिव बना दिया है वह डाइवोर्स में आपका म्युचुअल कंसेंट का रख देना है। जहां तक इस सम्बन्ध में हिन्दुओं के विचारों का ताल्लुक है सब कोई जानते हैं कि अधिकतर हिन्दुओं के यहां तलाक एक परहेज़ की चीज़ समझी जाती है और उचित यह था कि आप आहिस्ता आहिस्ता हिन्दू सोसाइटी को इस ख्याल को अपनाने के लिये तैयार करते, मेरी समझ में नहीं आता कि आप इस विषय में इतनी जल्दबाज़ी क्यों करते हैं ? बेशक आप बहुत ख़ास ख़ास मामलों में जहां पर कि ख़ाविन्द बेरहमी करता है, औरत की परवरिश नहीं करता है, बच्चों के साथ सख्ती करता है और नालायकी करता है बदचलन हो गया है। वहां आप डाइवोर्स का अधिकार दीजिये, लेकिन इस तरीके से जो राईट अभी तक कभी नहीं रहा है और जिसके लिये हिन्दू ओपीनियन इतनी ख़िलाफ़ है उसमें अगर आप जल्दबाज़ी से काम लेंगे तो बड़ा अंदेशा है कि हिन्दू ओपीनियन को आप अपने ख़िलाफ़ कर लेंगे। मैंने दुनियां के दूसरे पश्चिमी मुल्कों में जहां पर कि यह डाइवोर्स चल रहा है उसके बारे में जानने की कोशिश की कि वहां पर क्या हालत है ? इंगलैण्ड में डाइवोर्स प्रचलित है पर म्युचुअल कन्सेंट के ज़रिए डाइवोर्स नहीं है, ऐसा ही फ्रांस में है। रूस के बारे में मैंने किताबें पढ़ीं तो मालूम हुआ कि सन् १९१७ में जब अक्तूबर का रेवोलूशन हुआ था तब एक दम जोश में आकर उन्होंने डाइवोर्स को बड़ा आसान कर दिया लेकिन बाद में उन्होंने उसमें कई तबदीलियां कीं. बाद में जब होश आया और मामलात ठीक हुए तब उन्होंने देखा और समझा कि इससे तो हमारा सारा सामाजिक ढांचा और लाइफ ही दरहम बरहम हुई जाती है और उन्होंने सन् ४३,४४, ४५ और ४६ में कानून बदलवा दिये और आज उनका डाइवोर्स कानून ऐसा है कि जिसमें डाइवोर्स के लिये दरख्वास्त देने पर मोटिव्स साबित करने पड़ते हैं, वजूहात साबित करने पड़ते हैं, रीज़न्स देने पड़ते हैं और अदालत की पहले यही कोशिश होती है कि ख़ाविन्द और बीवी में आपस में कोई सुलह हो जाय, आपस में मामला तय हो जाय और वह पति पत्नी की तरह आगे भी रह सकें, लेकिन जब अदालत इस कोशिश में नाकामयाब हो जाती है तब उनको मौका दिया जाता है कि आप ऊंची अदालत में जाकर अपना मामला तै करा लें। मैं पूछता हूं कि जब उन देशों में जहां पहले से डाइवोर्स प्रथा प्रचलित है, जब रूस, फ्रांस और इंगलैण्ड में म्युचुअल कंसेंट नहीं है तो आप उनसे दस कदम क्यों आगे बढ़ना चाहते हैं और इसको रखते हैं, मेरी समझ में ऐसा प्राविज़न रखना नामुनासिब है। इसके लिये दलील यह दी जाती है कि हम म्युचुअल कंसेंट का प्राविज़न इसलिये रख रहे हैं कि हम छीछालेंदर नहीं करना चाहते और डर्टी लिनन अदालतों में वाश नहीं करना चाहते तो उसके लिये मैं आपसे यह कहूंगा कि अगर आप डर्टी लिनन वाश नहीं करना चाहते तो तरीका यह है कि जो डाइवोर्स के केस हों व सब "इन कैमरा" हों, क्या ज़रूरत है कि ऐसे केसेज़ में तमाम लोग आयें और आकर यह तमाशा देखें ? मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि आप जाकर अदालतों में देखिये कि ४९८ के मुकद्दमों में क्या होता है आप जानते हैं कि दफा १०० के मातहत वारंट से जो औरतें पकड़ कर वहां लाई जाती हैं तो उनकी क्या हालत होती है, ३६६ में क्या हालत होती है, तमाम दुनियां के

लोग और तमाशाई अदालतों में जमा होते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि हमारी बहिनें जो इस किस्म की मज़बूरी की हालत में अदालतों में जायं और जिनको डाइवोर्स पेटीशन देनी पड़े या जिनके ख़िलाफ़ डाइवोर्स की पेटीशन दी जाय तो उनका इस तरीके से भद्दा प्रदर्शन हो, इसलिये मैं चाहता हूं कि डाइवोर्स केसेज़ "इन कैमरा" किये जायं, इस तरह का इसमें प्राविज़न हो जाना चाहिये और यह आप्शनल न होकर ओबलीगेटरी होना चाहिये, इस तरह के मामले खुली अदालत में होने से पब्लिक ओपीनियन को हम अपने खिलाफ़ बना लेंगे और ऐसे प्राविज़न जो पब्लिक ओपीनियन को हमारे खिलाफ़ करें, उनको इसमें नहीं रखना चाहिये, बाकी जितने प्राविज़न्स हैं उनसे मैं सहमत हूं और मैं बिल का समर्थन करना चाहता हूं ।

१२ बजे मध्यान्ह

श्री आल्तेकर (उत्तर सतारा) : मुझे खेद है कि माननीय मित्र श्री नन्दलाल शर्मा यहां उपस्थित नहीं है । वह धर्मशास्त्र से उद्धरण देने वाले कुछ व्यक्तियों के विषय में कह रहे थे लेकिन मुझे नहीं मालूम कि वह स्वयं किस श्रेणी में हैं। मैं दावा कर सकता हूं कि मुझे वेद, स्मृति और पुराणों के मूल पाठ का श्री नन्द लाल शर्मा से अधिक ज्ञान है। हमारा समाज गतिशील रहा है। परिस्थितियों के अनुसार उसमें परिवर्तन हुआ है इस बात को स्मृति के रचियता धर्मशास्त्रकारों ने भी माना है । प्राचीन समय में स्त्रियां शिक्षा प्राप्त करती थीं । उपनयन प्रथा का प्रचलन था। हरित् ने कहा है कि 'न शूद्रसभास्त्रियः। ब्रह्मवादिनी नामुपनयन मग्नि संस्कारः' । वे शूद्रों के समान नहीं हैं ।

कुछ माननीय सदस्य : श्री नन्दलाल शर्मा आ गये हैं ।

श्री आल्तेकर : मुझे प्रसन्नता है । भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न प्रथायें थीं और परिस्थितियों के अनुसार उनमें परिवर्तन होता गया ।

श्री नन्दलाल शर्मा : परिवर्तन निश्चित सिद्धान्तों के आधार पर होता था ।

श्री आल्तेकर : माननीय मित्र सिद्धांत जानना चाहते हैं तो मैं उन्हें मनु के शब्द बताऊंगा :

"परित्यजेदर्थं कामौ यौ स्यातां धर्मवर्जितौ ।"

इसका अर्थ है कि धर्म के विपरीत मार्ग की ओर प्रवृत्त करने वाली इच्छाओं की ओर नहीं दौड़ना चाहिये । वह कहते हैं :

"धर्मं चाप्यसुखोदर्कं लोक विद्विष्टमेव च ।

यदि धर्म समाज के कल्याण में वृद्धि नहीं करता है और जनता उसे घृणा से देखती है तो वह अनुचित है । महाभारत में लिखा है :

भवत्यधर्मो धर्मो हि धर्मोऽधर्मो भवत्युत ।
कारणाद्देशकालस्य देशः कालस्तु सादृशः ।।

एक समय में जो बात उचित और न्यायसंगत मानी जाती है, समय बदलने पर वही विपरीत रूप धारण कर सकती है । हमारे स्मृतिकार इस बात को जानते थे कि उन्होंने नियम सदैव के लिये नहीं बनाये हैं। आवश्यकता होने पर उन्होंने परिवर्तन करने की अनुमति दी है । धर्म का लक्षण उन्होंने इस प्रकार बताया है :

प्रभवार्थाय भूतानां धर्म प्रवचनं कृतम् ।

धर्म की रचना समाज की उन्नति के लिये की गई है और आवश्यकता होने पर आप उसमें परिवर्तन कर सकते हैं । समाज की उन्नति और कल्याण में सही धर्म ही प्रेरक है ।

यः स्यात्प्रभव संयुक्तः स धर्म इति निश्चयः ।

आप देखेंगे कि प्रत्येक स्मृति में अन्य स्मृति से अन्तर है क्योंकि परिवर्तन समय

[श्री आल्तेकर]

की मांग थी । मैं एक उदाहरण और दूंगा । कुछ समय बाद यह धारणा बन गई कि पुत्री के वयस्क होने पर अर्थात् विवाह के पूर्व, रजस्वला हो जाने से उसके पिता, माता और सम्बन्धी नरकगामी होंगे ।

माता चैव पिता चैव, ज्येष्ठो भ्राता च सोदरः ।
सर्वे ते नरकं यान्ति हृष्ट्वा कन्यां रजस्वलाम् ॥

मनु का क्या मत है ? क्या माननीय मित्र उनका अनुकरण कर रहे हैं ?

काममायरणात्तिष्ठेद्गृहे कन्यर्तुमत्यपि ।

पिता के घर में पुत्री जीवन भर रहे भले ही वह तरुणावस्था में पहुंच गई हो ।

न तु वैनां प्रयच्छेत्तु गुणहीनाय कर्हिचित् ।

लेकिन अयोग्य व्यक्ति के साथ कभी उसका विवाह न किया जाये ।

पुत्री का कल्याण, समाज का कत्याण, सम्बन्धित व्यक्तियों का कल्याण—इसी सिद्धान्त के आधार पर इस महत्वपूर्ण सिद्धान्त की रचना की गई थी । सनातन कहलाये जाने वाले व्यक्तियों ने इस बात को भुला दिया है । (**अन्तर्बाधा**)

अब मैं विवाह के प्रश्न पर आता हूं । हिन्दू विधि के अनुसार विवाह एक पवित्र कार्य है । अतः हमें विवाह के पीछे कार्य करने वाला सिद्धान्त देखना है क्योंकि यह इस महान् देश का सिद्धान्त है ।

मनु और अन्य विधि निर्माताओं ने बताया है कि पति और पत्नी का गठबन्धन पवित्र सम्बन्ध होता है । यदि समाज को स्थायित्व प्रदान करना है तो इसकी आधार-भित्ति को भी स्थायित्व प्रदान करने की आवश्यकता है । समाज की आधारभित्ति क्या है ? परिवार ही समाज और वैवाहिक गठबंधन का आधार है । इसमें नारी और पुरुष का वैयक्तिक रूप में कोई सम्बन्ध नहीं है किन्तु समूचे परिवार और समाज के कल्याण से उसका सम्बन्ध है ।

अर्धं भार्या मनुष्यस्य ।

स्त्री पुरुष का आधा अंग है । इसके बाद कात्यायन, वृहस्पति, आदि ने विधवा के उत्तराधिकार का प्रश्न लिया । उन्होंने कहा कि जब तक विधवा जीवित है, पुत्रों के अभाव में, अन्य कोई व्यक्ति उत्तराधिकारी नहीं रख सकता है ।

यस्य नोपरता भार्या देहार्धं तस्य जीवति ।
नारी के रूप में आधा अंग विद्यमान है ।
जीवत्यर्धशरीरे तु कथमन्यः स्वभाप्नुयात् ॥

जब अर्धांग विद्यमान है तो अन्य किसी व्यक्ति को उत्तराधिकारी बनाने का क्या अधिकार है

मनु ने कहा है :

सकृदंशो निपतति सकृत्कन्या प्रदीयते ।

जिस प्रकार विभाजन एक ही बार होता है उसी तरह विवाह में कन्या दान भी एक बार होता है ।

अन्योन्यस्याव्यभिचारो भवेदा मरणान्तिकः ।

विवाह जीवन में एक बार होता है, निस्सन्देह यह अविच्छिन्न सम्बन्ध है । इसमें कुछ अपवाद हो सकते हैं और अपवाद नियम की पूर्णता है ।

मैं यह बता दूं कि नारियों के हित की रक्षा अत्यधिक उत्साह के साथ कर रहे हैं । मुझे भारतीय नारीत्व में प्रगाढ़ विश्वास है । हमें अपने समाज के विषय में पूरी जानकारी है । हमें मालूम है कि पुनर्विवाह करने वाली विधवायें सम्मान की दृष्टि से नहीं देखी जाती हैं । हम इसके लिये सभी आवश्यक उपबन्धों की रचना करेंगे । यदि किन्हीं अवस्थाओं में विवाह-विच्छेद की आवश्यकता

हुई तो हम इसका उपबन्ध करेंगे । लेकिन इसकी व्यवस्था इस प्रकार नहीं होनी चाहिये कि उपचार कहीं रोग से बढ़ जाये । यह नारी के हित में होना चाहिये । विवाह-विच्छेद की व्यवस्था इस प्रकार हो कि इससे अनुचित लाभ न उठाया जा सके । पीडित नारी के चाहने पर विवाह-विच्छेद हो, पुरुष के लिये यह अत्यन्त दुष्कर होना चाहिये । धन-दौलत वाले लोगों को कभी बुढ़ापा नहीं आता । धनी व्यक्ति अत्यन्त महत्वपूर्ण माना जाता है । अतः कुछ परिस्थितियों में ही परस्पर स्वीकृति द्वारा विवाह-विच्छेद की अनुमति दी जानी चाहिये । इसे विवाह के तितली छाप दर्शन में नहीं बदलना चाहिये ।

चासर ने 'केण्टरबरी टेल्स' में 'लेडी आफ दी बाथ' का वर्णन किया है । यात्रा के लिये जाने वाले कुछ व्यक्तियों में लेडी आफ दी बाथ भी थी । उसके विषय में कवि ने लिखा है :

"चर्चगेट पर पति उसके थे आठ ।"

इससे प्रतीत होता है कि वहां पर विवाह-विच्छेद के प्रति लोगों का दृष्टिकोण कैसा था । हमें इस बात के प्रति सावधान रहना चाहिये कि यह व्यवस्था अनैतिक संस्था के रूप में पतोन्मुख न हो जाय । एक पत्नी-विवाह का पुरः स्थापन कर विवाह-विच्छेद को असम्भव कर देना चाहिये । उसे अपने पति की सम्पत्ति में अधिकार प्राप्त होना चाहिये । और यदि वह दुर्व्यवहार का शिकार है तो उसे स्वतन्त्र आवास का भी अधिकार होना चाहिये । पति की सम्पत्ति में समान अधिकार मिलने पर उसकी स्थिति दृढ़ हो जायेगी । पत्नी को स्वतन्त्र रूप में रहने का अधिकार होगा और एक पत्नी विवाह का कानून होने पर पतिदेव दूसरा विवाह नहीं कर सकेंगे । इस प्रकार के उपबन्ध से नारी की दशा में सुधार हो जायेगा ।

सभापति महोदय : नारियों के प्रति इतना अधिक सम्मान प्रकट किये जाने के बाद अब मैं नारी से ही बोलने के लिये कहूंगी । श्रीमती उमा नेहरू ।

श्रीमती उमा नेहरू (ज़िला सीतापुर व ज़िला खेरी—पश्चिम) : आज दो रोज़ से हम बराबर इस हाउस में बैठे हुये अपने भाइयों के विचार और व्याख्यान सुन रहे हैं । मैं समझती थी कि यहां जो व्याख्यान होंगे वे इतने जोशीले और गुस्से के नहीं होंगे । आज जो बिल हमारे सामने पेश है वह बहुत विचारणीय है । हमको इस बिल पर संजीदगी के साथ विचार करना चाहिये क्योंकि शादी का सवाल जो है वह कोई खेल नहीं है । मैं देख रही हूं कि इस बिल पर हाउस में तरह तरह की बातें कही जा रही हैं । कहीं तो हमको पूजनीया कहा जाता है और कहीं हमको महज़ खिलौना समझ कर हमारा ज़िक्र किया जाता है । आज मैं अपने भाइयों से कहना चाहती हूं और मां की हैसियत से भी कहना चाहती हूं कि अगर आप हमको माता की हैसियत से देखते होते तो आप हाउस में वे बातें न कहते जो कि आपने कहीं और जो कि बिल्कुल ज़ेबा नहीं है और ग़लत हैं । आज मैं अपना स्त्री का हृदय हाउस के सामने रखना चाहती हूं । जब पुराने शास्त्रों की चर्चा मेरे सामने आती है तो मैं खुद चाहती हूं कि काश वह ज़माना आज होता कि हम भी जय माल गले में डालतीं । मैं तो चाहती हूं कि आज सत्यवान और सावित्री का ज़माना होता । मैं तो चाहती हूं कि हमारे यहां सीता जैसी स्त्रियां और राम जैसे पुरुष होते । लेकिन इस वक्त अगर हम असलियत देखते हैं, अगर हम प्रेक्टिकल लाइफ को देखते हैं तो हम चारों तरफ समाज को गिरा हुआ देखते हैं और समाज ही क्या बल्कि हम स्त्री को भी गिरा हुआ देखते हैं । आज सवाल यह है कि हमारी राजनीतिक आज़ादी के

[श्रीमती उमा नेहरू]

बाद हमारी सामाजिक आज़ादी भी होनी चाहिये। जब हम इस प्रश्न पर विचार करते हैं तो हमको स्त्री के बारे में विचार करना पड़ता है। स्त्री के बारे में जब हम विचार करते हैं तो हमको देखना होता है कि स्त्री समाज में क्या है। हमारे कुछ भाइयों ने भारतीय नारी का ज़िक्र किया था। आज मैं नारी होकर भी यह समझती हूं कि समाज में ९० फीसदी ऐसी जातियां हैं कि जहां डाइवोर्स आदि चीजें, जिन्हें हम गलत मानते हैं, रायज़ हैं और कानूनी तौर पर रायज़ हैं। उनकी पंचायतें उनको मंजूर करती हैं। चन्द लोग जो कि मिडिल क्लास के हैं उन पर आज मुसीबत आयी हुई है। जो कि चन्द मिडिल क्लास की स्त्रियां हैं उनको हम रेशमी कपड़ा, बनारसी कपड़ा, हीरे और मोती पहने देखते हैं। लेकिन आपको नहीं मालूम कि यह कितनी गिरी हुई स्त्रियां हैं। यह बात नहीं है कि हमारे पुरुष हम पर अत्याचार करते हैं लेकिन समाज की जो स्थिति आ गयी है उसमें जैसी माता होनी चाहिये वह नहीं दिखायी देती है। इस संसद् में जो स्त्रियां बैठी हुई हैं उनमें बड़ी से लेकर छोटी तक की यह नीयत है कि स्त्री आगे बढ़े, स्त्री पूजनीया होवे ताकि उसके जो बच्चे हैं वे जैसे आज दिखायी दे रहे हैं उससे अच्छे हों। यह उनकी ख्वाहिश है। इसलिये समाज में परिवर्तन करने की ज़रूरत महसूस हो रही है। मुझे ताज्जुब हुआ कि जब कल एक भाई ने कहा कि जो स्त्रियां इस संसद् में हैं उनका पश्चिमी झुकाव है। लेकिन आज मैं अपने उन भाई से कहती हूं कि पश्चिमी स्त्रियों का और हमारा और सारे संसार की स्त्रियों का एक ही सवाल है। कोई फ़र्क नहीं है। अभी मेरे भाई आल्तेकर ने कहा कि अगर हमको अपने पति की जायदाद में हिस्सा मिलने लगेगा तो स्मूथ सेलिंग हो जायगा और शान्ति हो जायगी। मैं उनको बताती हूं कि हम हरगिज़ ऐसा नहीं चाहती। हम बताना चाहती हैं कि हम अपने घरों को तबाह नहीं करना चाहतीं। हम वे भारतीय स्त्रियां हैं कि जिन्होंने नालायक से नालायक पतियों को संभाला है। हम वह स्त्रियां हैं कि अगर घर में कोई खराबियां होती हैं तो हम उनको ओढ़ लेती हैं या ढक लेती हैं हम चौराहे पर खड़े होकर घर की बुराई को प्रकट नहीं करतीं। लेकिन मैं कहूंगी कि हमारे साथ जो बर्ताव हुआ है, मैं अत्याचार नहीं कहूंगी क्योंकि हाउस में भाइयों का बहुमत है, वह ठीक नहीं होगा। हमारे हृदय को देखो। मेरी बहुत सी ऐसी मित्र हैं कि जिनको बहुत मुसीबतें हैं। मैं एक लड़की को जानती हूं जो कि सहते सहते मर गयी। उसका पति घर में आता नहीं था। केवल भोजन करने आता था। उसके अलावा उसका पता नहीं था कि वह कहां रहता है। कहीं उसने अपने खेल कूद के लिये एक औरत रख छोड़ी थी। वहीं जाता था। वह लड़की कुढ़ कुढ़ कर तपेदिक से मर जाती है लेकिन अपने पति के नाम पर मरती है। उसने अपने घर को नहीं छोड़ा और हज़ार समझाने के बाद भी वह अपने मैके तक नहीं गयी। तो हमने तो इतना सेक्रीफाइस किया है। साथ ही आपको मैं यह भी कह दूं कि धर्म धर्म क्या पुकारते हो। चारों तरफ धर्म की पुकार मची हुई है लेकिन हमारे सामने धर्म की पुकार आप क्या रखते हैं। आप देखिये कि अगर किसी ने यहां धर्म को कायम रखा है तो वह भारतीय स्त्री ने रखा है। आपने नहीं धर्म को कायम रखा है। मैं आपको हर चीज़ बतलाती हूं। न हमने अपनी पोशाक बदली, न हमने अपना खाना पीना बदला। चाहे आपने हमको विलायत घुमाया या अमरीका घुमाया पर हमने अपना तर्ज़ नहीं बदला और इसी वजह से आज भारत कायम है, मिटा नहीं है। जब मैं स्त्री के बारे में हाउस में या कहीं भी सुनती हूं

तो एक सब से तकलीफदेह चीज़ जो मेरे सामने आती है वह यह है कि उसको एक खिलौना समझ कर उसकी चर्चा की जाती है। कल जब चौधरी रोहिनी कुमार ने बातें कहीं तो मैं उनके सफेद बालों को देखती थी, उनकी उम्र को देखती थी और सोचती थी कि वह क्या बातें कह रहे हैं। अगर उनको माता की हैसियत मालूम होती तो किसी भाई के मुंह से कभी ऐसी बातें न निकलतीं। तो यह तो मैं ने जनरल बात कही और यह बात मैं फिर कहना चाहती हूं कि यह अच्छी तरह समझ लिया जाये कि औरत को खिलौना न समझा जाय।

इस बिल के बारे में सब से पहली चीज़ जो मैं कहना चाहती हूं वह यह है कि हम शादी करके अपने घर को बिगाड़ना नहीं चाहतीं। वही शादी सक्सेसफुल होती है जहां एक दूसरे की बरदाशत होती है, एक दूसरे में अंडरस्टेंडिंग होती है। उसी घर में अमन और चैन होता है। लकिन कुछ घरों में ये चीजें नहीं होती हैं। आज हमको भी डाइवोर्स का नाम बहुत अच्छा नहीं लगता। हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब ऐसी स्थिति हो जाती है कि कोई इलाज ही नहीं रहता तो हम क्या करें। क्या आप चाहते हैं कि हम अपनी पुत्रियों को ज़िन्दा मार डालें? ऐसी हालतों में ही यह डाइवोर्स का सवाल पैदा होता है। आपने क्या हमको खेल की चीज़ समझा है या इतनी हलकी चीज़ समझा है, क्या जिसने आपको पैदा किया है उसको आपने इतना हलका समझा है कि हम हर रोज़ डाइवोर्स किया करेंगी।

आपकी बात अच्छी नहीं लगी, आपकी नाक अच्छी नहीं लगी, आप का कान अच्छा नहीं लगा तो हमने डाइवोर्स कर दिया, यह बात बिल्कुल गलत है लेकिन मैं आज अपने भाइयों से कहना चाहती हूं कि यह बात आज पाई जाती है, घर में खूबसूरत स्त्री मौजूद है लेकिन फिर भी पति महाशय एक दूसरी स्त्री पर फिदा हैं और उस पर जान निसार किये देते हैं यह चीज़ हमें देखने में आती है।

अब इस बिल के ऊपर मैं आती हूं। मुझे यह कहना है कि इसमें २१ वर्ष की जो उम्र रक्खी गयी है, मैं चाहती हूं कि वह उम्र १८ वर्ष हो। अगर कोई मेरी लड़की १८ वर्ष की है और वह अपनी कौम में नहीं किसी दूसरी कौम में शादी करना चाहती है तो उसका धर्म है कि वह मुझे पहले बतलाये, वह कोई चोर नहीं है कि घर से भाग जायगी वह मुझ से चर्चा करेगी, अब अगर मैं उस से सहमत न हूं तो आपस में सलाह मशविरा हो सकता है वाद विवाद हो सकता है लेकिन वह मुझ से सलाह करेगी इस बात के लिये कि मैं चाहती हूं कि मैं ऐसा घर करूं, अब आपका यह सोचना कि वह लड़की भाग जायगी मेरी समझ में आपका यह डर बिल्कुल बेबुनियाद है, मैं जानती हूं कि जो लड़कियां अपने मज़हब के खिलाफ शादी करती हैं वह शादी करने से पहले मां बाप से उसका ज़िक्र कर देती हैं, इसलिय आप इस चीज़ के प्रैक्टिकल पहलू को देखिये, महज़ एक बिल्कुल ड्रीमलैंड में रह कर फेयरी टेल की सी तस्वीर बनाते हैं जिसको देख कर मुझे ताज्जुब होता है। मैं लड़की की उम्र १८ वर्ष रखवाना चाहती हूं, अब यह कहना कि १८ वर्ष में लड़की को समझ ही नहीं होती और उस उम्र में जो चाहेगा उसे बहका लेगा, यह मेरी समझ में नहीं आता, यह बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि आपने अपनी लड़की को कैसी तालीम दी है, शिक्षा दी है और कैसा उसको बनाया है? और मैं कहूंगी कि अगर आपको यह डर है तो जाहिर है कि आपने उनको जितनी शिक्षा दी जानी चाहिये वह नहीं दी है।

[श्रीमती उमा नेहरू]

जहां तक डाइवोर्स का ताल्लुक है, अभी मेरे एक भाई ने जो यह सुझाव दिया कि उसकी प्रोसीडिंग्स "इन कैमरा" में होनी चाहियें, मैं उनके सुझाव से पूरी तरह सहमत हूं और मैं चाहती हूं कि ऐसे मामलात "इन कैमरा" में तय किये जायें, इसके साथ ही मैं यह भी नहीं चाहती कि डाइवोर्स की नीयत होवे और तीन तीन वर्ष तक हम अदालत में एक दूसरे से भिड़ते रहें, मैं उनका स्पीडी डिस्पोज़ल चाहती हूं क्योंकि जिस वक्त इन्सान यह सोच लेता है कि इससे मैं जुदा रहूंगा तो एक दूसरे के लिये इतनी नफरत बढ़ जाती है कि उनका आपस में मिल कर एक दिन के लिये रहना भी दुश्वार हो जाता है, और कुछ दिन भी एक साथ रहना उनको बर्दाश्त नहीं होता है, इसलिये मैं चाहती हूं कि जब इस विधेयक पर अगले सेशन में क्लाज़ बाई क्लाज़ विचार किया जाय तो इस बात को ध्यान में रख कर उसमें आवश्यक सुधार किया जाय ।

और अधिक न कह करके मैं इतना ही कहना चाहती हूं कि आज इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि हम भारतीय नारी का समाज में जो उपयुक्त स्थान उसका होना चाहिये उसको दिलाने का इन्तज़ाम करें और जैसा कि अभी हमारे एक भाई ने कहा कि हमारी मातायें भगवती और शक्ति का रूप हैं तो इसको मानते हुये निश्चय जानिये कि अगर स्त्री को उसका दर्जा नहीं दिया जाता तो वह मौजूदा सूरत को बदल करके रहेंगी ।

डा० जयसूर्य (मेदक) : सभानेत्री जी, बहुत कम लोगों को मालूम है कि विशेष विवाह विधेयक पहले से ही है, इसकी रचना १८७२ में की गई थी । कुछ लोगों ने अनुभव किया कि प्राचीन पद्धति असहनीय है । इसलिये अंग्रेज़ों द्वारा विशेष विवाह विधेयक का निर्माण किया गया । यह सच है कि उक्त विधेयक विद्यमान था और अभी भी है बावन वर्ष पूर्व श्रद्धास्पद मेरे स्वर्गीय पिता और माता ने उसी विशेष विवाह विधेयक के अन्तर्गत विवाह किया था । पच्चीस वर्ष पूर्व मैं ने भी इसी विधेयक का आश्रय लिया था । गलत हो अथवा सही, इसमें भाग लेने के कारण उन दिनों हमें यह घोषणा करनी पड़ी थी कि "अब हम हिन्दू नहीं रहे हैं" क्या हम इससे हिन्दू नहीं रहे ? कट्टरपंथियों की दृष्टि में हम श्रेष्ठ हिन्दू, श्रेष्ठ मुसलमान अथवा श्रेष्ठ पारसी न रहे हों लेकिन हमें यह आशा करनी चाहिये कि हमने श्रेष्ठ भारतीय कहलाने के दावे का औचित्य सिद्ध कर दिया है ।

अब प्रश्न यह है कि हम जो कुछ करें वह प्राचीन पद्धतियों के अनुसार होना चाहिये । इस दृष्टि से हमारी अनेक विधियां प्राचीन पद्धतियों से न्यारी हैं । उदाहरण के लिये मनु ने समाज के लिये विधि रचना की, उन्होंने असैनिक विधियों का निर्माण किया, न्यायिक प्रक्रिया, ऋण उगाहने, वेतन का भुगतान न करने, भागीदारी, समझौता कार्यान्वित न करने, चोरी, जुआ और यातायात के सम्बन्ध में नियम बनाये हैं । अब इन सब का स्थान अंग्रेज़ों द्वारा बनाई विधियों ने ले लिया है । यदि हम पुराने नियमों के प्रति इतने सजग, तल्लीन हैं तो मिताक्षरा में अब कौन सी बात बची है ।

अमृतसर में आयोजित हिन्दू कोड विरोधी समिति के अध्यक्ष, पण्डित राज बुलाकी राम विद्यासागर, ने कहा था :

"मिताक्षरा में निर्धारित विधि से दूर नहीं जाना चाहिये", लेकिन इसके तुरन्त

बाद ही पुत्री के अंश के प्रश्न पर उन्होंने कहा था:

"मिताक्षरा में इतना लिखा होने पर भी कि पुत्री को अंश दिया जाना चाहिये, मैं इससे सहमत नहीं हूंगा।"

हिन्दू महासभा के बिहारी प्रतिनिधियों ने कहा था:

"हम मिताक्षरा की अपेक्षा प्रिवी कौंसिल द्वारा निर्वाचित हिन्दू विधि को पसन्द करेंगे।"

हमारी रूढ़िवादिता के कारण बड़े बड़े धर्म सुधारक उत्पन्न हुये। महाराष्ट्र में गणेश्वर, तुकाराम और ज्योतिबा, पंजाब में दयानन्द सरस्वती, बंगाल में राम मोहनराय और विद्यासागर और आंध्र में पंतुलु आदि महापुरुष इसी भावना से प्रेरित हुये। लेकिन आज भी यही मनोवृत्ति है। इतना होने पर भी काफिला बढ़ता जाता है, तरक्की रोकी नहीं जा सकती। प्रस्तुत व्यवस्था उन लोगों के लिए है जो इसे मानते हैं। विधि मंत्रालय ने १८६९ के विवाह-विच्छेद अधिनियम को उठाकर १९५२ में भारतीय जनता के समक्ष उपस्थित कर दिया। उसकी शब्द रचना की गल्तियां और परिभाषाएं भी ज्यों की त्यों हैं। एक पंक्ति भी नहीं बदली गई है। विधि विभाग की मनोवृत्ति यथावत है इसी लिए मैं कहता हूं कि जब आप सामाजिक विधियों का निर्माण करें तो सम्पत्ति सम्बन्धी विधि की भांति नहीं हो क्योंकि यह उससे अधिक गहराई में जाता है जहां मानवीय संबंध विद्यमान हैं।

अमरीका के प्रत्येक न्यायालय में एक परामर्श मनोवैज्ञानिक होता है। वह अपराध तथा सामाजिक कुरीतियों की पृष्ठभूमि देखता है। किन्तु दुर्भाग्य की बात कि हम अभी तक पुरानी मनोवृत्ति के ही शिकार हैं। जब तक सामाजिक क्रांति नहीं होती तब तक आर्थिक एवं राजनैतिक क्रांति की आशा नहीं करनी चाहिए। यह एक ऐसा सिद्धान्त है जिसे हमारे विभाग अभी तक नहीं समझ पाये हैं।

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि भारतीय विवाह अधिनियम १८७२ अब पुराना हो गया है। अतः अब हमें जल्दी करनी चाहिये क्योंकि यही उन पक्षपातों का आधार है जिस पर कि ये विधान बनाये गये हैं।

विधेयक की खंडवार चर्चा करने में कोई लाभ नहीं है। खंड ४ में एक विशेष प्रकार की अनियमितता है। सामाजिक मामलों में विधि का उद्देश्य अपने प्रभाव से अधिक नहीं होना चाहिये। यदि हम ऐसे नियम बनाते हैं जो प्रभावशाली नहीं हैं, जो जनता की भावनाओं के अनुकूल नहीं हैं, तो यह स्वाभाविक है कि हमको सफलता नहीं मिलेगी क्योंकि वे निष्प्रयोग एवं दमनकारी हो जाते हैं।

स्त्री स्वभाव से ही गृह, बच्चे, रक्षा, सुरक्षा एवं स्थायित्व चाहती है। और जब वह नैराश्य की उस सीमा पर पहुंच जाती है जब कि मृत्यु ही एक विकल्प रह जाती है। तो वह विवाह-विच्छेद के लिये कहती है। जब सन्तोष नहीं रहता, सभी प्रयत्नों के बावजूद भी विवाहित जीवन बिताना असम्भव हो जाता है तो उस स्थिति में कोई भी विधि सहायता नहीं कर सकती, अथवा अच्छा नागरिक नहीं बना सकती।

श्री वेंकटरामन (तंजारे) : मान लिया कि सदन इस विधेयक को पारित नहीं करता तो १८७२ के अधिनियम जिसमें विभिन्न धर्मावलम्बियों के बीच विवाह करने की

[श्री वेंकट रमन]

व्यवस्था की गई है, का सहारा जनता के लिये है । इस विशेष विवाह अधिनियम के अधीन विवाह करने वालों की, उस अधिनियम का विवाह-विच्छेद वाला खंड सहायता करेगा । अतः विवाह-विच्छेद की आज्ञा देनी चाहिये अथवा नहीं इस पर अधिक वाद विवाद करना बेकार है । इस अधिनियम के अनुसार जो व्यक्ति विवाह करते हैं अथवा इस अधिनियम के नये उपबन्धों के अनुसार पंजीयन कराते हैं, वे इस विधान के उपबन्धों के भी अधीन रहेंगे । अतः १८७२ के अधिनियम और इस विधेयक के द्वारा जो संशोधन किये गये हैं उनके बारे में ही अपने विचार प्रकट करूंगा । यदि ये सुधार करते हैं तो सदन निश्चय ही इनका समर्थन करेगा और यदि ये किसी वर्तमान सुबिधा का हनन करते हैं अथवा रुकावट डालते हैं तो मूल अधिनियम में हमें सुधार करना होगा । और उन्हें इस प्रकार बदलना होगा ताकि वे हमारी वर्तमान स्थिति के अनुसार हो जायें ।

इस विधेयक के अनुसार हम एक सुधार यह कर रहे हैं कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी भारतीय नागरिक से विवाह कर सके बशर्ते कि प्रतिषिद्ध सम्बन्ध वाले खंड में ऐसा करने के लिये रोका न गया हो । यदि यह विधेयक पारित हो जाता है तो सब पर स्वभावतः यह लागू नहीं होगा । बहुत से व्यक्ति इसके अनुसार विवाह नहीं करेंगे और इस अधिनियम के अधीन पंजीयन तक कराने की परवाह न करेंगे । किन्तु जनता के प्रतिनिधि के नाते इस प्रकार के विवाह करने के लिये हमें प्रोत्साहन देना चाहिये ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

हम सदैव ही समान व्यवहार-संहिता की बात करते हैं । मैं जानता हूं कि सदन में बहुमत इसका विरोध करेगा । वे कहेंगे कि यह व्यक्तिगत स्वतन्त्रता एवं भूतकालीन प्रथाओं में हस्तक्षेप करता है । विवाह तथा विवाह-विच्छेद के सम्बन्ध में समान व्यवहार-संहिता लागू करने के लिये यह पहला पग है ।

कल श्री टेकचन्द खंड ४ के उपबन्धों के बारे में बड़ी कड़ी आलोचना कर रहे थे । मेरा निवेदन यह है कि १८७२ के अधिनियम में आये हुये उपबन्धों को ही इसमें रखा गया है । हमने १८७२ के अधिनियम के अधीन कोई ऐसी न्यायिक घोषणा नहीं सुनी जिस में यह शिकायत की गई हो कि विवाहों के रजिस्ट्रार को यह अधिकार नहीं है अतः इन विवाहों के पंजीयन में बल और कपट का प्रयोग किया गया है । यदि कोई व्यक्ति बल और छल कपट के आधार पर हुये विवाहों को रोकना चाहता है तो वह सदैव ही दीवानी न्यायालय में जाकर निषेधाज्ञा करा सकता है । रजिस्ट्रार कोई न्यायिक प्राधिकारी नहीं है । वह कोई ऐसी जांच नहीं कर सकते जैसी कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अधीन होती है । यदि ऐसी जांच करने का उपबन्ध या व्यवस्था आप कर देंगे तो तभी वह व्यवहार प्रक्रिया-संहिता के अधीन जैसी जांच कर सकते हैं । जब तक जांच की सभी कार्रवाइयों की पूर्ति नहीं होती तब तक रजिस्ट्रार सरीखे कार्यपालिका अधिकारी के लिये यह सम्भव नहीं है कि वह निश्चय कर सके कि बल या छल कपट का प्रयोग किया है अथवा नहीं । अतः उनका यह सुझाव मानने योग्य नहीं है । अतः रजिस्ट्रार सरीखे कार्यपालिका अधिकारी को न्यायिक प्राधिकारी के अधिकार देना त्रुटिपूर्ण है और फिर यह कहना कि उन्होंने इन सभी अधिकारों का अनुचित उपयोग किया है । इसकी जांच करना कि यह विवाह किसी प्रकार की ज़ोरज़बरदस्ती तथा जाल के

द्वारा किया गया है न्यायिक क्रिया है। मेरा विचार है कि खण्ड ४ में कोई कमी नहीं है।

दूसरी बात जो मेरे माननीय मित्र श्री सी० सी० शाह ने कही वह यह थी कि विधेयक से अध्याय तीन पूरा का पूरा निकाल दिया जाये। उन्होंने कहा कि इस विधान के अन्तर्गत ऐसे विवाहों के रजिस्ट्रेशन की आज्ञा नहीं होना चाहिये जो परम्परागत तरीक़ों से किये जा चुके हैं। ध्यान रखने की बात तो केवल यह है कि यह विधान हमें किसी बात के लिये मजबूर नहीं करता है। वरन् हमें इस बात का पूरा अधिकार देता है कि यदि हम चाहें तो इस विधान के उपबन्धों से लाभ उठा सकते हैं। मैं मानता हूं कि १८७२ के अधिनियम में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं था। फिर भी यह तो एक अच्छा उपबन्ध है जो पुराने विधान में नहीं था। देखने की बात तो यह है कि इसके द्वारा संयुक्त परिवार को या ऐसे परिवार को जिस का वह नायक हो कोई हानि तो नहीं पहुंचती है। खण्ड १९ का प्रभाव तो उसी तारीख से होगा जब कि किसी व्यक्ति का नाम रजिस्टर में अंकित किया जाय। संयुक्त परिवार से उस सदस्य का प्रथक्करण उसी तारीख से समझा जायेगा। यदि किसी व्यक्ति का विवाह १९४० में हुआ हो तथा उस के दो लड़के हों और १९५५ में वह अपने विवाह की इस विधान के अनुसार रजिस्ट्री करा ले तो संयुक्त परिवार से केवल वह व्यक्ति ही अलग समझा जायगा न कि उसके दो लड़के। विवाह की इस प्रकार रजिस्ट्री हो जाने के बाद इस व्यक्ति के जो लड़के होंगे वह भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार उसकी विधवा के साथ उस की सम्पत्ति में भागीदार होंगे।

विवाह की रजिस्ट्री कराने से लाभ है या नहीं यदि है तो कौन कौन से हैं इस सम्बन्ध में कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसका निर्णय तो वह करेगा जो रजिस्ट्री कराने जा रहा हो। यदि वह समझे कि कोई लाभ नहीं है तो वह रजिस्ट्री नहीं करायेगा। कहा जाता है कि रजिस्ट्री के पहले जन्म लेने वाले बच्चों को भी उन बच्चों के साथ उत्तराधिकार में पाने का अधिकार होगा जिन्होंने रजिस्ट्री की तारीख के बाद जन्म लिया है। हो सकता है ऐसा हो। तो इसमें अनुचित क्या है। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं कि रजिस्ट्रेशन की तारीख को परिवार के जो अन्य सदस्य हों उन की स्थिति में इस खण्ड से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

दूसरा प्रश्न बच्चों की वैधता के सम्बन्ध में उठाया गया है। श्री चौधरी ने कल प्रश्न उठाया था कि खण्ड २४(१) (२) के अन्तर्गत वैध घोषित किये जाने वाले बच्चे को, जिसका सम्बन्ध प्रतिवादी के नामर्द होने के कारण विवाह के निरर्थक घोषित किये जाने से है, उत्तराधिकार पाने का अधिकार क्यों दिया गया है। इस प्रकार यह विधान घोषित करता है कि विवाह निरर्थक घोषित किये जाने की डिग्री की तारीख के पहले पैदा होने वाले बच्चे वैध समझे जायेंगे। मेरा सुझाव है कि इस खण्ड में यह परन्तुक बढ़ा दिया जाये कि खण्ड २४ के अन्तर्गत वैध घोषित किये जाने वाले बच्चों को केवल अपने माता पिता की सम्पत्ति ही में उत्तराधिकार पाने का अधिकार होगा और किसी की सम्पति में नहीं।

श्री सी० आर० चौधरी (नरसरावपेट): मैं तो केवल यह कहना चाहता था कि यदि प्रतिवादी, विवाह होने के समय तथा विवाह के निरर्थक घोषित किये जाने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने के समय नामर्द था तथा सन्तान उत्पन्न करने की सामर्थ नहीं रखता था तो ऐसे काल में पैदा होने वाले बच्चे

[श्री सी० आर० चौधरी]

न्यायालय भले ही वैध घोषित कर दे परन्तु समाज उसके सम्बन्ध में क्या विचार करेगा । अतः इस प्रश्न पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है ।

परस्पर सम्मति से होने वाले विवाह-विच्छेद के सम्बन्ध में माननीय विधि मंत्री सोवियत यूनियन तथा चीन का हवाला दिया है । हमारे देश में ही ऐसे विधान हैं जिन के अनुसार हम इच्छानुसार विवाह-विच्छेद कर सकते हैं, जिन में किसी प्रकार की परस्पर सम्मति को भी आवश्यक नहीं बताया गया है । १९३३ के मरुमकट्टयम अधिनियम के अनुसार छै मास की सूचना दे कर विवाह-विच्छेद किया जा सकता है । इस विधान से मालाबार के समाज में किसी प्रकार की विच्छिन्नता नहीं आई है । इस सम्बन्ध में ध्यान देने की बात केवल इतनी है कि ऐसा न हो कि क्षणिक आवेश में आकर ही लोग विवाह-विच्छेद कर डालें । इस लिये दोनों पक्षों को कुछ समय ठंडे दिमाग़ से सोचने का अवसर अवश्य देना चाहिये । इस लिये हमें कोई ऐसा उपबन्ध बनाना चाहिये कि जिन व्यक्तियों ने विवाह-विच्छेद करने का निश्चय कर लिया है वे न्यायालय में एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करें तथा एक वर्ष बीत जाने पर भी यदि उन का वही निश्चय हो तो वे विवाह-विच्छेद का एक और प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें हमें कोई ऐसा उपबन्ध भी बनाना चाहिये जिससे ऐसी औरतों के हितों की रक्षा की जा सके जिनको अपनी सम्मति देने के लिये विवश किया गया हो ।

श्री गाडगील : जिस संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है क्या उसमें किसी ऐसे आज्ञप्ति का विचार प्रस्तुत किया गया है जो विरोध में कोई कारण न प्रमाणित किये जाने पर, अन्तिम समझी जायेगी ।

श्री वेंकटरामन : जो पक्ष विवाह-विच्छेद करवाना चाहें वह जाकर एक याचिका प्रस्तुत कर सकता है । फिर वे छः मास पश्चात् पुनः याचिका प्रस्तुत करेंगे और न्यायालय का यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि वे अलग रहते रहे हैं और सहमति से अपना विवाह-विच्छेद करना चाहते हैं, न्यायालय को विवाह-विच्छेद का आदेश देना होगा । किसी को साथ रहने के लिये बाध्य करना बलात् श्रम के समान है । हिन्दू धर्म का नाम लेने वाले वर्तमान विधि के उपबन्धों से लाभ उठाना चाहते हैं । अब समय आ गया है जब कि स्त्री को यह कहने का अधिकार है कि वह प्रतिवादी के साथ रहना चाहती है या नहीं ।

राज्य परिषद से संदेश

सचिव : मुझे राज्य-परिषद् के सचिव से एक संदेश मिला है जिसमें कहा गया है कि राज्य-परिषद् ने रेलवे वित्त तथा सामान्य वित्त के पृथक्करण तथा रेलवे द्वारा सामान्य वित्त को दिये जाने वाले लाभांश की दर पर विचार करने वाली समिति में ६ सदस्य नामनिर्देशित करने की लोक-सभा की सिफारिश से सहमति प्रकट की है और राज्य-परिषद् के सभापति ने निम्न ६ सदस्य उक्त समिति के लिये नामनिर्देशित किये हैं :

१. श्री लाल बहादुर शास्त्री
२. श्री आर० एम० देशमुख
३. श्री पी० सी० घोष
४. बा० गोपीनाथ सिंह
५. श्री पी० वी० कमलास्वामी
६. श्री वी० एम० ओबीदुल्ला साहब ।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

दामोदर घाटी निगम के विषय में राव समिति का प्रतिवेदन तथा उस पर सरकार का विनिश्चय आदि

योजना व सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : मैं सदन पटल पर ये पत्र रखता हूं :

(क) दामोदर घाटी निगम के विषय में राव समिति का प्रतिवेदन (संक्षिप्त) और परिशिष्ट ६ तथा कोनर दरों सम्बन्धी अध्याय। **[पुस्तकालय में रखे गये, देखो संख्या एस-२००/५४]**

(ख) राव समिति के प्रतिवेदन की सिफारिशों पर सरकार के विनिश्चय। **[पुस्तकालय में रखे गये, देखो संख्या एस--२०१/५४]**

(ग) प्राक्कलन समिति के पंचम प्रतिवेदन की सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण **[पुस्तकालय में रखे गये देखो संख्या एस-२०२/५४]**

इसके पश्चात् सभा अनिश्चित तिथि के लिये स्थगित हुई।

GIPD—HS—203 PSD—2-12-54—285